खण्ड-456, अंक-3
बुधवार, 2 अग्रहायण, शक संवत् 1927
(23 नवम्बर, 2005 ई0)

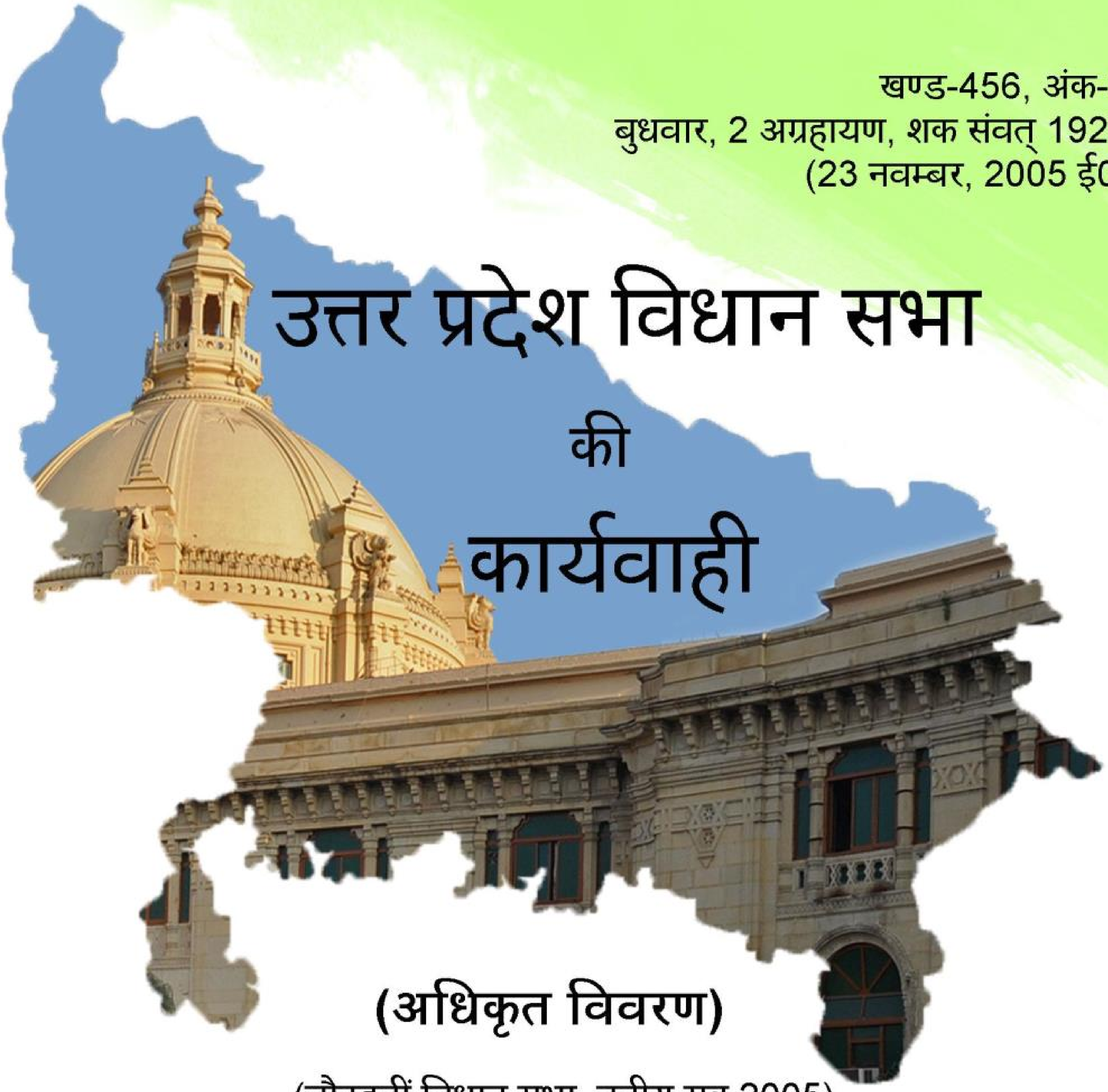

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2005)

खण्ड 456 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत)
2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	घ-ज
प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव कराये जाने विषयक नियम 311 की सूचना को उठाने का प्रयास	1
कार्यमंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्र- निर्धारण की सिफारिशें ।विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	1-2
मऊ नगर में हुए दंगे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सर्वश्री लालजी टण्डन, स्वामी प्रसाद मौर्य, प्रमोद कुमार, रामस्वरूप सिंह तथा डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल आदि द्वारा दी गई सूचनाओं पर नियम-52 के अन्तर्गत चर्चा (जारी)	3-18
मऊ दंगे पर जारी चर्चा का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	18
मऊ नगर में हुए दंगे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सर्वश्री लालजी टण्डन, स्वामी प्रसाद मौर्य, प्रमोद कुमार, रामस्वरूप सिंह तथा डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल आदि द्वारा दी गई सूचनाओं पर नियम-52 के अन्तर्गत चर्चा (जारी)	19-24
विधान परिषद् सदस्य (मंत्री) द्वारा चर्चा में भाग लेने पर व्यवस्था का प्रश्न	24-26
मऊ नगर में हुए दंगे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सर्वश्री लालजी टण्डन, स्वामी प्रसाद मौर्य, प्रमोद कुमार, रामस्वरूप सिंह तथा डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा दी गई सूचनाओं पर नियम-52 के अन्तर्गत चर्चा	26-51
समयाभाव के कारण प्रश्नों को उत्तरित माने जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	51
प्रश्नोत्तर	52-91
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	91-92
जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत सरयू नहर खण्ड-4 के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने एवं किसानों को क्षतिपूर्ति दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	92
जनपद जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय अर्धनिर्मित क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92
कानपुर नगर के न्याय पंचायत राघन के ग्राम राणा एवं सिवामऊ में विद्युत लाइन ठीक कराकर सुचारु विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93
चित्रकूट की जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2004-2005 में सुनिश्चित ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत मजदूरों द्वारा कराये गये कार्य की मजदूरी एवं खाद्यान्न न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93-94
जिला परिषद् कृषि महाविद्यालय के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान जिला पंचायत निधि से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि से कतिपय सम्पर्क मार्गों के घटिया निर्माण कार्य की टी0ए0सी0 से जाँच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94-95
संतकबीर नगर के घनघटा तहसील अन्तर्गत रामपुर बंधा एवं कतिपय गांवों को घाघरा नदी के कटान से बचाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
बलिया के नगर पंचायत सिकन्दरपुर के पुराने जर्जर ट्रांसफार्मर को बदलवाकर विद्युत आपूर्ति बहाल करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
नोयडा में सिंचाई विभाग एवं ग्राम सभा की हजारों एकड़ भूमि पर भूमाफियों द्वारा बनाये गये फार्म हाउसों के अनधिकृत विक्रय को रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
जनपद गाजियाबाद में प्राइवेट चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन के 700 प्राइवेट चिकित्सकों को चिकित्सा मित्र की मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
जनपद मऊ के साम्प्रदायिक दंगे में लूटी व जलायी गयी दुकानों व मकानों तथा मृतकों के परिजनों को सरकारी स्तर से मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
जनपद सोनभद्र के दलित एवं आदिवासी भूमिहीनों को विशेष व्यवस्था के तहत सभी पात्र व्यक्तियों को लाल कार्ड एवं बी0पी0एल0 कार्ड की संख्या बढ़ाते हुए लाभान्वित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97
सिंचाई विभाग लखनऊ के आशुलिपिकों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु हुयी परीक्षा के आधार पर परिणाम घोषित न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97
वाराणसी नगर में समुचित सफाई के घोर अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97-98
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	98-100
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 101 वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	100
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 102 वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	100
नियम 311 की नियम -56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	100-110
उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) अध्यादेश, 2005 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 2005 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	110-116

	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2005 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2005 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	116-120
"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन के इतिहास में "चौकीदार चपाती आन्दोलन के अप्रतिम संघर्ष के इतिहास को अंकित किया जाये" विषयक श्री श्याम लाल रावत द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा का स्थगन	120
"इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर अविलम्ब प्रभावी रोक लगायी जाये" के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा का स्थगन	120
"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में पुलिस कर्मियो एवं वैतनिक होमगार्ड के अधिकारियो एवं कर्मचारियो की भांति अवैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियो की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष कर दी जाये" के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा का स्थगन	120
उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 (पुर:स्थापित)	121
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	121-123
नत्थियाँ	124-129

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2005

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-302

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कुमार, डा0	बागपत
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद श्री,	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री	बाराबंकी
अमर सिंह परमार, श्री	आगरा
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
उज्जवल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कमाल युसूफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
काशी राम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई

कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गंगा भक्त सिंह, श्री	हरदोई
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदी राम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जियाउद्दीन रिज्वी, श्री	बलिया
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दद्दू प्रसाद,अहिरवार, श्री	चित्रकूट
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देव नारायन उर्फ जी0एस0 सिंह, श्री	गोरखपुर
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकर नगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र कुमार गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
परमजीत, श्री	मुजफ्फरनगर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	चन्दौली
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबू लाल, चौधरी	आगरा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री	इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनबाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह , चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुकुल उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मो0 शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राबिया कलाम, श्रीमती	वाराणसी
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम बाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	संत रविदास नगर भदोही
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिवचरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0	मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सलिल बिशनोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना,श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सोमारु राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट:- परिवार कल्याण मंत्री श्री अहमद हसन, सिंचाई मंत्री श्री मुन्ना सिंह चौहान, औद्योगिक विकास मंत्री श्री ख्वाजा हलीम, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री राम आसरे विश्वकर्मा एवं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री अजीत कुमार राजू भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव कराये जाने विषयक नियम-311 की सूचना को उठाने का प्रयास

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैने नियम-311 के अन्तर्गत एक नोटिस दिया था।

श्री अध्यक्ष-

क्रम संख्या-8 पर कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश है, पहले मैं उसको रख रहा हूँ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव न कराकर उसको टाला जा रहा है। मान्यवर, मेरी सूचना को वरीयता के आधार पर सुनने का कष्ट करें। उनका कार्यकाल पाँच साल का पूरा हो गया है इसलिये आवश्यकता है कि उनके चुनाव कराये जायं।

श्री अध्यक्ष-

कृपया शान्त रहें। आप बैठ जायं। आपकी बात आ गई है। मैं कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश रख रहा हूँ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 22 नवम्बर, 2005 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 23 नवम्बर से 05 दिसम्बर, 2005 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

<u>नवम्बर,2005</u>

23 बुधवार

1-जनपद मऊ के नगर में हुए दंगे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सर्वश्री लालजी टण्डन, केशरी नाथ त्रिपाठी, डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, हुकुम सिंह, हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी', सलिल विश्नोई, सुरेन्द्र प्रताप सिंह, नवाब सिंह नागर, राम इकबाल सिह, राम प्रताप सिंह, अमरजीत सिंह, 'जनसेवक', मुंशीलाल गौतम, बाबूलाल एम0काम0, डॉ0 अरुण कुमार मेहरोत्रा, स्वामी प्रसाद मौर्य, जगदीश नारायण राय, सुखदेव राजभर, ओम प्रकाश (ओ0पी0सिंह), लालजी वर्मा, दद्दू प्रसाद, राजेश कुमार, आर0के0सिंह पटेल, रामहेत भारती, कपिलदेव यादव, घूराराम, प्रमोद कुमार, जगदम्बिका पाल, रामनरेश यादव, डॉ0 सुशील चौधरी, प्रदीप माथुर, राम सेवक, वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना', राम स्वरूप सिंह, राम कृपाल, डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल, सुरेश कुमार खन्ना तथा श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा दी गई सूचनाओं पर नियम-52 के अन्तर्गत चर्चा-(डेढ़ घण्टा)

2-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(क) उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 2005-(आधा घण्टा),

(ख) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2005-(आधा घण्टा)

3-श्री श्याम लाल रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :-

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलन के इतिहास में "चौकीदार चपाती आन्दोलन" के अप्रतिम संघर्ष के इतिहास को अंकित किया जाय।"

4-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :-

"इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर अविलम्ब प्रभावी रोक लगायी जाय।"

नवम्बर, 2005

5-श्री प्रमोद कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में पुलिस कर्मियों एवं वैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भांति अवैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष कर दी जाय।"

24 गुरुवार	1-विधायी कार्य 2-असरकारी दिवस (असरकारी संकल्प) (आधा दिन)
25 शुक्रवार 26 शनिवार 27 रविवार 28 सोमवार 29 मंगलवार 30 बुधवार दिसम्बर, 2005 01 गुरुवार 02 शुक्रवार 03 शनिवार 04 रविवार	बैठक नही होगी।
05 सोमवार	बैठक होगी।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना आज माननीय अध्यक्ष ने सदन में दी है, से सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है, से यह सदन सहमत हैं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मऊ नगर में हुए दंगे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सर्वश्री लालजी टण्डन, स्वामी प्रसाद मौर्य, प्रमोद कुमार, राम स्वरूप सिंह तथा डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल आदि द्वारा दी गई सूचनाओं पर नियम-52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष-

अब मऊ की घटना पर चर्चा है। डेढ़ घन्टे की चर्चा है। नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष के लिये कोई समय सीमा नहीं है लेकिन विभिन्न माननीय दलीय नेताओं के लिये 5 मिनट का और माननीय सदस्यों के लिये 3 मिनट का समय निर्धारित है। अब मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूँ कि वे चर्चा प्रारम्भ करें।

(माननीय नेता विरोधी दल के खड़े होने पर)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इनके लिये भी कोई समय सीमा है?

श्री अध्यक्ष-

समय-सीमा नही होती है लेकिन यह माना जाता है कि वे सदन की भावनाओं से भिज्ञ रहते हैं और उसका पालन करते हैं।

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मैं बहुत संक्षेप में बोलता हूँ, आप जानते हैं। मान्यवर, भारत की आजादी के बाद इस प्रदेश में मऊ के दंगे के रूप में एक ऐसा काला धब्बा हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर लगा है जिसे जल्दी मिटाया नही जा सकता है।

आज डेढ़ महीना लगभग हो रहा है अभी पूरी तरह से स्थिति सामान्य नहीं है। अभी वहां नेताओं को जाने की अनुमति नहीं है मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ मेरा कर्तव्य है। मौके पर जाकर देखकर जानकारी सदन में रख सकता हूँ सही अपनी ऑखों देखी। लेकिन अनुमति यह है कि हम वहां नहीं जा सकते हैं। जिस तरह से, जिस क्रूरता के साथ 13 तारीख को वहां पर दंगा हुआ है मान्यवर, भारत के संविधान उनके रक्षकों के द्वारा जैसे उसकी हत्या की जा रही हो जैसे गॉधी जी एक बार फिर से हत्या की गई हो, जैसे देश के बंटवारे के बाद के पहले की स्थिति फिर इस देश में पैदा हो गई हो। जब मस्जिदों के सामने शंख बजाना दंगों का कारण बन जाता था। आज यहां धार्मिक कृत्य करने से रोका गया। पुलिस उसका नमूना थी। आजकल अखबार में, टेलीविजन में देखने को मिल रहा है नाक में नथुनी पहने हैं। पैर में बिछिया पहने हैं। पुलिस की हालत यह हो गई है तो इस तरह की पुलिस क्या करेगी यह उसका नमूना है पुलिस का। वहां गोलियां चल रही है, आग लग रही है, मकान ढहाये जा रहे हैं। लोगों को जिन्दा जलाया जा रहा है। हमारे बी0एस0पी0 के साथियों ने नहीं उठाया लेकिन इनके एक कार्यकर्ता पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। जब भागने लगा तो गोली मार दिया उसके बाद गर्दन काट दी। इस बर्बरता को लोकतंत्र में कौन सहन करेगा?

माननीय नेता सदन मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि हमें देश में घटने वाली घटनाओं से सबक लेना चाहिए। इस सत्ता पर बहुत दिनों तक किसी का अधिकार नहीं रहता है लेकिन इतिहास के अन्दर पन्नों में नोट होता रहता है कौन कर रहा है? गुण्डों, लुटेरों, राहजनों और प्रशासन की मिलीभगत से दंगे हुए हैं कैसे संभव था यह, तीन दिन तक, एक दिन कुछ तनाव हुआ दूसरे दिन और बढ़ा, तीसरे दिन फिर तनाव हुआ चौथे दिन पत्थर चलने लगे। एक डी0वाई0एस0पी0 का सिर फूट गया लेकिन पुलिस को इन्सट्रक्शन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थे। लाठी न चलाएं। वह मूक दर्शक बनी देखती रही। देख रहे हैं घर चल रहे हैं आग लग रही हैं। अभी तक फर्जी मुकदमों में फंसाना बंद नहीं हुआ है। एक-एक चीज को पूरी तरह से गिनाया जाए तो, यह घटना जो कभी यह मऊ के लिए शोभा की बात होती थी। जब मोर्हरम होता था तो मन्दिरों के ऊपर ताजिए आते थे तो उसको टच करते थे भरत मिलाप होता था तो मदरसे पर जो बांस हैं, रखे जाते थे। इस बार उस उदाहरण को तार-तार कर दिया गया। झगड़े की शुरूवात वहीं से होती है क्या यहां इस देश में राम के मंदिर बनाने में एतराज हो सकता है? लेकिन राम के वजूद पर भी एतराज होगा। राम की लीलाओं पर एतराज होगा, वह भी साम्प्रदायिक आधार पर। हमेशा हाईकोर्ट का आदेश है, उस मदरसे को उस दिन सील कर दिया जाता है। पुलिस के कब्जे में एक दिन पहले आ जाता है, इस बार वह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसके बाद जरा घटना को देखें एक विधायक कर्फ्यू के अन्दर पुलिस की जीप पर बैठे घूम रहे हैं हथियार लिए। और एक दल के विधायक से पुलिस ने कहा कि समझौता करा दीजिए और यह भरत-मिलाप दो दिन के लिए टाल दिया जाए, तीन दिन के लिए टाल दिया जाए, वार्ता के लिए बुलाया गया और वह अपराधी बना दिया गया और यह मेरा ही आरोप नहीं है, सारी मीडिया यह कह रहा है, सारी वह तस्वीरें दिखायी जा रही है। जो वहाँ गए हैं, वह कह रहे हैं। दो-तीन दिन तक तो हम लोग सो नहीं पाए हैं, टेलीफोन आ रहा है, बचाओ-बचाओं, कोई बचाने वाला नहीं है। यह जो पहरूए हैं, जो तनख्वाह पाते हैं, पुलिस के ऊपर आरोप लग रहा है, यह कोई आसान बात नहीं है। मैंने तो पहले ही बता दिया है कि आज सारी पुलिस की हालत यह हो रही है कि वह मॉग भरे हुए, बिन्दी लगाये हुए दफ्तर में बैठे हैं, उनमें दम ही नहीं है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यदि कभी दुर्भाग्यपूर्ण उत्तेजना पैदा हुई और सारा प्रदेश और देश जलने लगा, तब उन दंगों में क्या होगा, क्या हमारी छवि दुनिया में जायेगी?

मान्यवर, मैं इस बात का हामी हूँ कि अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन अल्पसंख्यकों के मायने यह नहीं होता कि कश्मीर में अल्पसंख्यक पण्डित है तो उनको मार कर निकाल दिया गया और मऊ में हिन्दू हैं तो वह मार कर निकाले जा रहे हैं, यहाँ फार्मूला दूसरा है। इस दोहरी नीति से क्या छवि इस देश और प्रदेश की बनेगी? मान्यवर, जिस देश में मॉरल गिर जाता है, उस देश की आजादी बचती नहीं है, चली जाती है। कौन आयेगा अपनी जान देने के लिए, क्योंकि उनकी जान तो दंगों में जायेगी, उनकी जान तो साम्प्रदायिकता की वेदी पर चढ़कर बलिदान कर दी जायेगी, देश के लिए बलिदान करने वाला कौन रहेगा? आज ये सारे प्रश्न हमारे सामने हैं, इस पर माननीय नेता, सदन गम्भीरता के साथ विचार करें। इससे थोड़ी-बहुत वोट कम मिल जायगा या थोड़ी-बहुत ज्यादा मिल जायेंगा, सत्ता में रहकर कुछ अप्रिय काम भी करने पड़ते हैं। यदि कोई मेरा समर्थक है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अगर वह गलत करे तो मैं कहूँ कि यह ठीक है, क्योंकि वह मेरा समर्थक है, जो गलत कर रहा है, उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि एक बसपा का कार्यकर्ता जलाकर मार दिया गया, उसे गोली मार दी गयी और उसका गला काट दिया गया, लेकिन यहाँ इनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं होगा क्योंकि यह भी उसी बीमारी से ग्रसित है कि कहीं वोट न कम हो जाएं। यह वोट की राजनीति देश को कहाँ ले जायेगी। वोट की राजनीति करनी है तो विकास के नाम पर करो, सबको साथ लेकर करो। किसी को छूट होगी कि वह वहाँ जाकर घूमेंगे और बाकी लोगों के लिए रोक होगी कि आप अन्दर घुस नहीं सकते हो क्योंकि ऑखों से देखकर हर एक बात का खुलासा हो जायेगा, जो कुछ वहाँ हुआ है। इस तरह की घटनाएँ सामने आयी हैं।

मान्यवर, मऊ एक पुराना कस्बा है, वहाँ बहुत पुरानी बिल्डिंग्स बनी है, अगर बिल्डिंग मुसलमान की है तो किरायेदार हिन्दू हैं और यदि बिल्डिंग हिन्दू की है तो किराएदार मुस्लिम है।

मान्यवर, इस तरह से जलाया गया है कि अगर एक तरफ एक वर्ग की दुकान हैं और दूसरी तरफ भी उसी वर्ग की दुकान हैं तो वह दोनों दुकानें तो जल गयी लेकिन बीच में जो दूसरे वर्ग की दुकान है वह सुरक्षित है। यह नियोजित दंगा नहीं तो और क्या है? ऐसी कौन सी तकनीक इजाद हो गयी है कि जब आग लगाई जाएगी तो खाली हिन्दुओं की ही दुकानों में आग लगेगी और किसी की दुकान में आग नहीं लगेगी। मेरी समझ से विज्ञान में अभी तक ऐसी कोई तकनीक ईजाद नहीं हुई है। जो कुछ हो रहा है वह सब इतिहास के पन्नों में अंकित किया जा रहा है। आचार्य दिनकर जी ने कहा था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अगर सच कहना साम्प्रदायिकता है तो यह कहने में मुझे शर्म नहीं है कि मैं साम्प्रदायिक हूँ। आखिर इन लोगों के लिए कौन बोलेगा? कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हमारे लिए तो दोनों समान है। अगर इस तरह के दंगे कहीं और होते, तो भी मैं इसी तरह से बोलता, इसी प्रकार की पीड़ा तब भी होती। अगर किसी की बर्बरतापूर्वक हत्या होती है तो वह इंसानियत की हत्या है और इंसानियत की हत्या जिस बर्बरतापूर्वक तरीके से मऊ दंगों में हुई है उसका कोई जवाब नहीं है।

मऊ में मुस्लिम-हिन्दू जनसंख्या का अनुपात 2:1 है। वहाँ के चेयरमेन जिनको एक बार सजा हो चुकी कि उन्होंने एक नक्शा प्रकाशित कराया था जिसमें कश्मीर भारत का अंग नही था। इस आरोप पर उन पर मुकदमा चल चुका है, और वह सजा पा चुके हैं। वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हिन्दू है उन्हें मार देने या निकाल देने की योजना कार्य कर रही थी। उस योजना के अंतर्गत जो कुछ हुआ वह कार्यक्रम आज भी चल रहा है। पुलिस ने कहा कि 7 मौतें हुई हैं और एक अज्ञात है। यानी वह लाश उन्हें मिली नहीं होगी। अभी 4 दिन पहले एक रिपोर्ट लिखाई गई कि एक लाश टोंस नदी में बहती हुई गाजीपुर पहुंच गई। वहाँ पर भी हिन्दुओं को रिपोर्ट में नामजद किया गया कि इन्होंने मार डाला। सब नाबालिक अल्पसंख्यक है। क्या मंशा है? क्या चाहते हो? ऐसी स्वतंत्रता कहीं पर नहीं मिलेगी जो स्वतंत्रता हमारे देश में अल्पसंख्यकों को मिल रही है। लेकिन अब उसमें यह शामिल हो गया कि बहुसंख्यक जहाँ पर कम हों उन्हें मार डालों।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, इसमें 4 अल्पसंख्यक भी मारे गये हैं।

श्री लाल जी टण्डन-

कोई मानवीय संवेदना तो रखिए।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

ज्यादातर मुसलमान मारे गये हैं।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

आप बैठ जाइए।

श्री अध्यक्ष-

बैठ जाइये। माननीय रिजवी जी, संसदीय कार्यमंत्री भी आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप बैठ जाएं।

(श्री जियाउद्दीन रिजवी के अपने स्थान पर बैठने पर।)

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, पी0ए0सी0 के अधिकारियों का सर फटा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई।

[समय 11 बजकर 20 मिनट]

उसका परिणाम यह हुआ कि 10 अक्टूबर को दैनिक जागरण में यह आशंका जतायी गयी लेकिन प्रिकाशन नहीं लिया गया। उसके बाद 13 अक्टूबर को मतदरसे के मुफ्ती व रामलीला कमेटी के बीच समझौता हुआ और रामजी सिंह जिन्हें पकड़कर जेल में बंद किया गया, उनके ऊपर आरोप था उनके नाम वारन्ट था। क्योंकि एक के बदले में दूसरे को भी बंद करना है तो एक समदर्शी, समदर्शी तो धृतराष्ट्र भी थे जिनको कुछ दिखायी नहीं देता था जो कुछ वह सम है, तो यह समदर्शिता जो समझौता करने के लिए बुलाया गया वह अपराधी हो गया, जिसका कोई योगदान नहीं है वह अपराधी हो गया और जो खुली जीप में डाबफल लेकर घूम रहा है उसको गिरफ्तार करना मुश्किल है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह प्रशासन की भाषा है। कैसे होगा, यह व्यवस्था चल पायेगी? क्या आप इस तरह से लोकतंत्र को बचा पायेंगे? जिस संविधान की आप शपथ लेते हैं उस संविधान की आप रक्षा कर पायेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ कि इस देश में सैक्यूलरिज्म बचेगा यह खत्म हो जायेगा? सैक्यूरिज्म खाली बोलने से नहीं होता है। सैक्यूलरिज्म में जो गलती है उसको इंगित करना होगा तभी समदर्शिता आयेगी। लेकिन जो कुछ हो रहा है यह एक पक्षीय है। रामलीला में समझौता हो गया लेकिन फिर पथराव शुरू हो गया। हिन्दुओं ने रोक दिया।

इस देश में हिन्दू लाउडस्पीकर नहीं बजा सकते हैं लेकिन उन मस्जिदों में भी जहाँ कोई जाने वाला नहीं है लाउडस्पीकर बजेगा। जब इस लाउडस्पीकर पर झगड़ा होगा तो इसकी एक नीति बनायी जाये। या तो यह दोनों जगह बंद हो जाय अन्यथा कोई किसी को रोके नहीं। यह तो वही हो रहा है कि जब शंख बजते थे तो दंगा हो जाता था। मान्यवर, यह एक सार्वभौम स्वतंत्र देश है। कहाँ तक आप हिन्दुओं से चिढ़ोगे क्योंकि इसका नाम ही हिन्दुस्तान है। कहाँ तक राम से चिढ़ोगे, जिसने पाकिस्तान बनाने का मंत्र फूंका था वह अलामा इकबाल कहता था कि इमामे हिन्द है राम अर्थात राम हिन्द के इमाम हैं उनके सामने सिजदा करना उनके पीछे खड़ा होना यहाँ के हर नागरिक का कर्तव्य है। आज इस नाम पर चिढ़ होगी, राम लीला नहीं होने दोगे, भरत मिलाप नहीं होने दोगे, दंगा करोगे, होगा तो खून खराबा हो जायेगा, अरे राम लीलायें तो गली-गली में होती है, पूजायें तो गली-गली में होती हैं, आज यह नयी बातें शुरू हो रही है जो नहीं होती थी। रमजान में तराबियाँ मैदान में होती थी मस्जिदों में होती हैं लेकिन आज यह सड़कों पर होती हैं। घन्टों ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन कोई उनको टोकता नहीं है। सब सहन कर लेते है। लेकिन क्या सारी जिम्मेदारी हिन्दुओं की है, सारी जिम्मेदारी हमें ही करनी है, बाकी किसी की जिम्मेदारी नहीं है? जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो पथराव शुरू हो गया और लोग घायल हो गये। कल लखनऊ में भी हुआ। रैली निकाली गयी। कितनों के सर फट गये, कितनों के हाथ पैर टूट गये, कितनों को जेल भेज दिया गया। क्या आरोप था? क्या प्रदर्शन धरना भी नहीं हो सकता है, क्या किसी घटना के समर्थन में कोई सड़क पर आकर बात भी नहीं कर सकता सरकार को सुनाने के लिए?

मान्यवर, इतिहास से सबक लेना चाहिए। गोधरा में एक ट्रेन के डिब्बे को जला दिया गया था और उस एक घटना की कितनी बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी, सारा देश चिल्ला उठा था कि यह सब नरसंहार हो गया, कत्लेआम हो गया, लेकिन वहां के इलेक्शन ने साबित कर दिया कि वह सब गलत हैं जो भी वहा के मुख्यमंत्री है उसको वहां की जनता नहीं कहना चाहती है कि वह दोषी है, लेकिन उस दंगे की शुरूआत क्यों हुई थी? वहां पर भी कुछ लोग अयोध्या से लौट रहे थे और वहा पर आग लगा दी गई। कुछ लोग डिब्बे

में ही जल कर मर गये। वहां पर जो कुछ हुआ मैं उसका जिक्र नहीं नहीं करना चाहता हूँ और हजारों की संख्या में जाकर ट्रेन रोक ली गई वहां पर सिविल पुलिस ने कुछ नहीं किया, लेकिन रेलवे पुलिस ने फाईरिंग की और एक मारा गया, उसको दो लाख रूपये मिल गये, लेकिन बाकी जो लोग मारे गये, जिनका नुकसान हो गया, जो आज इस सर्दी में एक कम्बल के लिए हाथ फैला रहे है, उनके लिए कुछ भी नहीं करना हैं?

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल, अभी आप और कितना समय लेगें? कई लोगों को अभी बोलना है।

श्री मुंशीलाल गौतम-

मान्यवर, चर्चा का समय बढ़ा दीजिए।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, अगर यह धैर्य का बांध टूट गया तो इनको, इनकी फौज बचा नहीं पाएगी। यह ताली बजाते रहे और यह सरकार की गुलामी करती रहे और जनता मरती रहेगी तुम्हे इसलिए तनख्वाह मिलती है? आखिर इसमें किसी की कुछ जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? कौन हैं वह नपुंसक, भला जिन्होंने यह सब बरदास्त किया? जब यहां से मांग हो रही थी कि वहां के डी0एम0 और एस0पी0 को बदल दीजिए तो किसी ने चूँ नहीं की,जब राज्यपाल वहां पहुँच गये तो वहाँ कमिश्नर तक बदल दिए गये, सस्पेण्ड कर दिया गया। यह पहले नहीं हो सकता था? अगर पहले दिन ही इन सबको हटा दिया गया होता जब दंगा शुरू हुआ था तो शायद यह स्थिति पैदा नहीं होती। हमेशा यह हुआ था जहां दंगे हुए वहां दो बातें अवश्य हुई, एक तो वहां के जिलाधिकारी और एस0एस0पी या और जो अन्य अधिकारी वहां इन्वाल्व पाये गये उनको हटाया गया, दूसरा यह कि हर दंगे की न्यायिक जांच हुई। यहां हम लोग मांग कर रहे हैं कि न्यायिक जांच करा दी जाय ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो सके। नहीं तो ऐसा हो सकता है हम जो कह रहे है उसकी सत्यता पर दूसरे लोगों को शक हो सकता है और दूसरे लोग जो कह रहे है, उस पर हम लोगों को शक हो सकता है। अगर इसकी न्यायिक जांच हो जायेगी तो सारी सत्यता सामने आ जायेगी।

मान्यवर, इस दंगे की जांच के लिए राजस्व परिषद् के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई, लेकिन जिस दिन वह कमेटी बनायी गई उसी दिन वह विदेश चली गई। आज तक वह कमेटी वहां नहीं गई और मान्यवर हो क्या रहा है कि सिविल सर्वेन्ट, सर्विस रूल में कही यह नहीं है कि एक अधिकारी चला जाय और अपनी रिपोर्ट दे दे, एक यहां ऐसे भी है, आई0एस0एस0 जो स्वयं वहां चले गये और जा करके एक रिपोर्ट प्रकाशित कर दिया और अखबारों में बयान दे दिया। क्या यह अनुशासनहीनता नहीं है? और क्या माननीय मुख्य मंत्री जी अपने बयान में कहेंगे कि उनको वहां पर नहीं भेजा गया था? और अगर उनको वहां न भेजा गया हो और उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है तो क्या यह उनको सजा देगें? मुझे नहीं लगता है कि यह उनको सजा देगें क्योंकि यह सजा देने की स्थिति में भी नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि मुख्य मंत्री जी चारों तरफ से परेशानी में घिरे हैं, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि यह हथियार डाल दें, और अराजक तत्वों को प्रदेश को लूटने की छूट दे दें। यह नहीं हो सकता है। इलाहाबाद रोड पर एक राम प्रताप यादव पुत्र कृष्ण देव यादव अपने परिवार के साथ जा रहे थे वहाँ उनकी रेलवे स्टेशन पर हत्या कर दी गई। लाल चन्द्र तिवारी पुत्र श्री शिवधनी तिवारी बेंच पर बैठे हुए थे, गोद-गोद कर उनको मार दिया गया। स्टेशन पर 10 हजार लोगों की भीड़ जमा थी जबकि वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था और

वहीं इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इस प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष और मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री के बाद नेता प्रतिपक्ष का स्थान होता है और अगर नेता सदन की जितनी जिम्मेदारी हो सकती है उससे कम जिम्मेदारी मैं अपनी नहीं मानता हूँ, उनको वहाँ जाने से रोका गया।

मान्यवर, मछरेहटा गौकशी में दंगा हो गया। मै वहाँ गया और प्रशासन के अधिकारियों को सीतापुर के सर्किट हाउस में बुलाकर बात की और लोगों को समझाया कि लड़ने से काम नहीं चलेगा जिन्होंने इस घटना को किया है उसको सज़ा मिलेगी। वहाँ शान्ति हो गई। मै जहाँ पर जाऊँगा वहाँ पर शान्ति होगी। मैं यह भी नहीं चाहता कि ऐसा कोई संदेश निकले कि हम सब गिरफ्तार हो गये और सब जेल चले गये और जिससे सारे प्रदेश में उत्तेजना का वातावरण पैदा हो। एक और हिंसा का वातावरण पैदा हो। मान्यवर, मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है।

माननीय नेता सदन जब अपना उत्तर भाषण देंगे तो बतायेंगे कि रेलवे स्टेशन पर जो मारा गया उसको तो 2 लाख रूपये मिल गये और बाकी जो मारे गये हैं उनको आज तक क्या मिला है? तत्काल सहायता की जहाँ जरूरत थी जिनके घर खाक हो गये थे आज वहाँ पर जो झोपड़ पट्टी में रहने वाले लोग हैं गाँवों में, उनके पास एक कटोरा नहीं बचा है, एक कम्बल नहीं बचा है। आज उनकी कोई सहायता करने वाला नहीं है। मान्यवर, यादवों की बस्ती में जिस तरह का अत्याचार हुआ है, वह लोग विश्वास में थे कि मुख्यमंत्री जी उनके बहुत हितैषी है और हम लोगों पर कोई कुछ नहीं कर पायेगा, वह भी मारे गये हैं। खूब जम करके मारे गये। ये हमारे पास एक सूची है कि वहाँ कितने वाहन जलाये गये थे और वहाँ कितने यादवों के साथ घटना घटी? मान्यवर, वहाँ सारी मान्यताएँ इस घटना से ध्वस्त हो गई, सारे एलाइन्सेस खत्म हो गये। यहाँ पर दलितों और पिछड़ों की बात करने वाले लोगों के मुँह से आवाज नहीं निकलेगी और अगर निकलेगी भी तो मेरे विरोध में ही निकलेगी। क्योंकि इस समय तो होड़ लगी हुई है कि कौन-कौन ज्यादा से ज्यादा वोट पा सकता है। अभी मेरे मित्र प्रमोद जी बोलेगें तो मुझ पर ही हमला करेंगे।

श्री प्रमोद कुमार-

आप पर हमला करने के लिए तो आप के सहयोगी ही बैठे हुए हैं। मैं तो हमेशा आपको बचाने की कोशिश करता हूँ।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, बहुत लोगों ने तो शर्म के कारण सामाजिक सम्मान के कारण पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई है। महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर अत्याचार हुआ है। इन सब बातों के ऊपर क्या सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं? मान्यवर, आप जिस पीठ पर बैठे हैं उसके ऊपर आप कुछ निर्णय देने की स्थिति में है कि नहीं कि सरकार यह करे? मैं फिर दोहराता हूँ कि न्यायिक जांच के लिए नेता सदन, आप घोषणा करें, इसमें आपका पल्लू साफ हो जायेगा, जो दोषी होगा वह सामने आयेगा। आज मान्यवर, हमारे एक साथी यहाँ पर जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, जिनको मीडिया ने दिखाया है, हर अखबार में जिनका जिक्र है वह यहाँ बैठे हैं और प्रोफेसर राम जी सिंह को विधान परिषद् की कार्यवाही, मे भाग लेने की इजाजत नहीं है।

(शेम शेम की आवाजें)

मान्यवर, यह मृतकों की सूची है। यह आयी है इसमें 13 है और एक अज्ञात है लेकिन सरकारी आँकड़ों के अनुसार 9 हैं जिसमें एक अज्ञात है अब वह अज्ञात ज्ञात हुआ है 26 दिन बाद। जिसके खिलाफ रिपोर्ट लिखायी गयी, जिसकी लाश बहती मिली वहाँ जाकर टांस नदी में और वहाँ नामजद रिपोर्ट लिखायी

गयी है गाजीपुर में। और वह 16-16, 17-17 साल के बालक उनके नामजद रिपोर्ट है उनको पकड़कर पुलिस ले आई। क्या हमारे यहाँ पर हमारे पूजा गृह सुरक्षित है कि नहीं यह सबको अपनी आत्मा से पूछना चाहिए। मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरूद्वारा हो, कोई भी हो यहाँ सब सर्वधर्मसमभाव है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी रक्षा करें, लेकिन यह रक्षा हुई नहीं। श्री राम मंदिर ढिकोलियाघाट ध्वस्त है, ब्रह्मा मंदिर पुराना सराय लखवन्टी थाना उसको क्षति पहुँचाई गयी, दुर्गाजी मंदिर सलाहाबाद मोड़, शंकरजी मंदिर, सलाहाबाद मोड़, काली जी की चौरी मलिकाताहिपुर, कालीजी का मंदिर, कमरिया और एक कालीजी का मंदिर है जिसमें 10 साल के अन्दर से कोई पूजा अर्चना करने के लिए उसके अन्दर घुस नहीं पाया, बन्द पड़ा है। यह है हमारी धार्मिक आजादी और यह है इस देश का सेक्यूलरिज्म। एक मस्जिद टूट गयी तो सारी दुनिया में भारत का मुँह काला कर दिया गया लेकिन एक जगह पर इतने मंदिर तोड़ दिये गये और किसी के मुँह से आवाज नहीं निकली।

(शेम-शेम की आवाजें)

श्री आलमबदी-

मान्यवर, यह सब [x x x] है ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय आलमबदी जी, बैठें।

श्री लालजी टण्डन-

दंगे में जलाये गये व्हैकिल्स, मुकेश गुप्ता की बुलेट मोटर साइकिल 100 फीसदी जलकर राख हो गयी, पंकज गुप्ता की वैन मारूति 100 फीसदी जलकर राख हो गयी, श्री देव नारायन यादव इनका टीवीएस 100 फीसदी जलकर राख हो गया, श्री सीताराम यादव इनका टीवीएस विक्टर 100 प्रतिशत जलकर राख हो गयी, श्री राम जी यादव की टी0वी0एस0सेन्ट्रा 100 प्रतिशत जलकर राख हो गयी, श्री राम जी यादव की टीवीएस मैकसीआर 100 प्रतिशत जलकर राख हो गयी। टैक्टर मय ट्राली के, श्री सीताराम यादव, ट्रैक्टर मय ट्राली श्री राजा राम यादव, मारूति वैन श्री सीताराम यादव, ट्रैक्टर मय ट्राली श्री सूता यादव मान्यवर, यह वाहन जलाकर राख कर दिये गये। भले ही माननीय मुख्यमंत्री जी इस आशय से न बोलें, क्योंकि उनके ऊपर यादववाद का आरोप लग जायेगा। लेकिन हम तो बोल सकते हैं, क्योंकि यादव हिन्दू समाज से अलग नहीं है। अगर इनके साथ कुछ हुआ है तो भी बोलने के लिये हम ही हैं। यह नहीं बोलेगें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल, डेढ़ घन्टे की चर्चा है, आपका 35 मिनट हो गये हैं।

श्री लालजी टण्डन-

समय बढ़ा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

अब कितना समय लेगें।

श्री लालजी टण्डन-

एक घन्टा और बढ़ा दीजिये।

नोटः- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

आपको उत्तर भी देने का मौका मिलेगा, तो उसमें और बोल लीजियेगा।

श्री लालजी टण्डन-

मैं संक्षिप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आपके दल के लोग भी बोलेगें।

श्री लालजी टण्डन-

हॉ। बोलेगें।

मान्यवर, यह तो एक नमूना था। लेकिन प्रदेश में और जगहों के ऊपर भी साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। आजमगढ़ के निजामाबाद में एक सितम्बर में हुआ। सीतापुर में 18 सितम्बर को हुआ। इलाहाबाद कौशाम्बी में 23 अगस्त को हुआ। बहराइच के जैतार बाजार में 15 अक्टूबर को हुआ और कई जिले हैं जहॉ पर बराबर दंगों का सिलसिला शुरू हो गया है। आगरा में हुआ, बाराबंकी में हुआ। इस सदन ने मान्यवर, सर्वसम्मति से गोकशी के ऊपर प्रतिबंध लगाया और मान्यवर, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि देवबंद के जो मुफ्ती साहिबान है, उन्होंने फतवा भी जारी किया कि गोकशी हिन्दुस्तान में नहीं होनी चाहिये। उसके बावजूद भी हिन्दुस्तान में खुलेआम गोकशी हो रही है। गोवंश के गोपालजी यहॉ पर हैं, मुख्यमंत्री हैं, आज जो स्थिति प्रदेश में पैदा हो रही है, इसके ऊपर इस सदन को विचार करना चाहिये। मैं समझ रहा हूँ आपकी विवशता को, लेकिन मैं अगर नहीं बोल सका और इसके सत्य को नही रखा तो फिर कौन रखेगा?

श्री अध्यक्ष-

अभी आपके माननीय सदस्यगण और बोलेगें।

श्री लालजी टण्डन-

जहॉ 12 दिन तक स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं गयी, ट्रेन के रास्ते डाइवर्ट कर दिये गये, या रद्द कर दी गयी, अब इसकी गंभीरता है या नहीं है। किसी दंगे में यह नहीं हुआ कि ट्रेन रोकी गयी हो। लोग स्टेशन तक पहुँच गये हों, यहॉ पर वह भी हो गया, यह कोई मामूली बात नहीं है कि जहॉ स्टेशन से ट्रेन नहीं गुजर सकी। शहर में कर्फ्यू लगा है, ट्रेन में तो कर्फ्यू नहीं लगा है, वह तो अलग है, उनका तो अपना स्वतंत्र क्षेत्र है। लेकिन वहॉ पर भी लोग पहुँच गये और ट्रेन को रोककर आग लगाने की पूरी योजना थी, लेकिन एक बहादुर सिपाही ने गोली मार दी, एक वहीं ढेर हो गया, उसके बाद पुलिस भागो-भागो करके लोगों को भगाई और ट्रेन किसी तरह से पास हो गयी। उसके बाद ट्रेनों का आना-जाना बंद हो गया। जहॉ इतनी गंभीर बाते हो रही हों . . .

(लाल बत्ती जलने पर)

आप यह करेगें तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपकी भावना समझ रहा हूँ। उसका पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं संक्षेप करके ला रहा हूँ। चार दिन तक लाशें पड़ी रही, उनका अंतिम संस्कार नही हो सका। कैसी भी वीभत्स घटना हो, जहॉ लोग चीख रहे हों, चिल्ला रहे हों, लाशें सड़ रही हों, उनका अन्तिम संस्कार न हो रहा हो, वह बहुत ही दुःखद घटना होती है। शायद हमारे मौर्या जी को न मालूम हो इसलिए मैं उन्हें नाम बता दूँ। काशिम पोखर के रहने वाले व्यक्ति का नाम राम किशुन उम्र-24 वर्ष को पहले नंगा किया गया, उसके बाद उनके ऊपर पेट्रोल डाला गया, फिर आग लगायी गयी और जलती हुई

स्थिति में उन्हें गोली मार दी गयी और उसके बाद उनका सिर काट दिया गया। इसके लिए भी यह लोग नहीं बोलेंगे, जो यहाँ दु:खी और पीड़ित है उनके हितों की खातिर बोलने के लिए भी हम ही हैं।

मान्यवर, जो कुछ मैंने कहा है, उसकी सत्यता के लिए मेरे पास कागजात हैं, इन्हें मैं आपके पास भेज सकता हूँ। यह फ्रंट पेज न्यूज, जिसमें सारी तस्वीरें हैं, इनमें वह चित्र भी हैं कि कैसे दुकाने फुंक रही हैं, कैसे मकान गिराये जा रहे हैं। इन ध्वस्त मकानों-दुकानों के किरायेदार और रहने वाले परेशान हैं, उनको बनाने की इजाजत नहीं दी जा रही हैं जिनकी वह भूमि है, वह बनाना नहीं चाहते हैं, प्रशासन का दबाव उनके ऊपर इतना है कि वह नहीं मरने देंगे सरकार में दम नहीं है कि वह इसकी जिम्मेदारी ले। रेट कंट्रोल की जो बिल्डिंगें है उसमें रहने वालों को कुछ गुंडे-मवाली आ करके तोड़ डालें और उसके बाद उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। एक नया तरीका अगर यह हो जाएगा तो क्रास हो जाएगा सारे प्रदेश में। मान्यवर, आपकी भावनाओं का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए मैं अपनी बात को यही पर समाप्त कर रहा हूँ। मेरे पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन समय कम है, आपने हम लोगों की बात मान ली थी, मैं उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

श्री राम हेत भारती-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, यह चर्चा हो रही है, इसलिए एक बार माननीय सदस्य विपक्ष से और एक बार सत्ता पक्ष से बोलेंगे।

श्री राम हेत भारती-

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण में [x x x] शब्द का इस्तेमाल किया है, जो कि असंवैधानिक है और इसी सदन में इस शब्द पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। इसलिए नेता प्रतिपक्ष को इस सदन में क्षमा माँगनी चाहिए।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मैं जानता था कि इन्हें उस व्यक्ति की चिन्ता नहीं है, इन्हें तो केवल शब्दों की चिन्ता है। इन्हें उस दलित बालक की हत्या की चिन्ता नहीं है, उस नृशंस हत्या की चिन्ता नहीं है, इन्हें तो बस [x x x] शब्द की चिन्ता है। इसलिए मैं [x x x] के स्थान पर दलित शब्द कह देता हूँ।

श्री मोख्तार अंसारी-

अध्यक्ष जी, आज आपने सदन में हमें बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, आप कृपया बैठ जाएं, आपका नम्बर अभी आ जाएगा।

श्री मोख्तार अंसारी-

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश की बड़ी भयंकर घटना है और इसके लिए मैं पूरी बात आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि मैं मऊ का विधायक हूँ और दूसरी बार वहाँ से मैं जीता हूँ और मऊ एक तरह से मेरे लिए मन्दिर और मस्जिद के समान है, जिसकी मैं पूजा करता था। मऊ में दंगे भड़का कर साम्प्रदायिक ताकतों

नोट:- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

ने, इन फिरकापरस्त ताकतों ने वहाँ के माहौल को खराब किया है और यह लोग वहाँ की गलत तस्वीर आपके सामने लाये है। मैं उसको आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि आदरणीय टण्डन जी ने कहा है कि 10 तारीख से ही मऊ के माहौल को खराब करने की कोशिश की गयी है। समाचार पत्रों में भी निकला है कि 'मऊ में पूजा पण्डाल को लेकर झड़प'। 10 तारीख से ही वहाँ पर साम्प्रदायिक ताकतें दंगा कराने की फिराक में थी। 30 साल के बाद पहली बार एक ऐसा अवसर आया था जब रमजान के महीने में तराबी हो रही थी और भरत मिलाप भी हो रहा था।

मैं यह मानता हूँ कि मऊ के प्रशासन ने निश्चित रूप से वहाँ लापरवाही बरती। आप कह रहे है कि एम0एल0सी0 साहब समझौता कराने गये थे। यह सही है कि समझौता कराने गये थे लेकिन उनसे पूछ लिया जाए कि उन्होंने यह समझौता कराया था कि 8.00 से 9.00 बजे रात्रि के समय तराबी और ईशा की नमाज होगी इसलिए उस समय माइक बंद रखा जाए और बिना माइक के ही पूजा पाठ किया जाए। लेकिन रात्रि 8.10 बजे ही कुछ शरारती लोगों ने माइक बजाना शुरू कर दिया। जबकि कोतवाली के अन्दर हिन्दू और मुसलमान दोनों पक्ष के लोगों ने बैठ करके यह समझौता किया था। उस समझौते का पालन नहीं किया गया और रात्रि 8.10 बजे ही माइक बजाना शुरू किया गया जिसके चलते दूसरे पक्ष के शरारती लोगों ने वहाँ जाकर माइक बजाने से रोकने की कोशिश की, इसमें दोनों पक्षों में विवाद हुआ, यह विवाद इतना बड़ा नहीं था कि उसे आगे बढ़ाया जाए। बात खत्म हुई, 9.00 बज गया फिर मुस्लिम पक्ष के सभी लोग, खुद जामा मस्जिद के इमाम साहब ने जा करके कहा कि अब आप माइक बजा लें, नमाज खत्म हो गयी है। 9.00 बजे तक के लिए समझौता था, उस पर दोनों पक्षों के साइन थे। लेकिन 9.00 बजे के बाद फिर माइक नहीं बजाया, वे जिद में थे कहा कि अब भरत मिलाप मनाना ही नहीं है। सुबह ठीक 7.00 बजे हिन्दू वाहिनी के अध्यक्ष श्री अजीत सिंह चन्देल ने मऊ की मुख्य सड़क पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम के कारण जो बच्चे गाड़ियों से या रिक्शे से स्कूल के लिए चले थे रास्ते में रिक्शों की भीड़ लग गयी। इस पर भा0ज0पा0 और हिन्दू वाहिनी के मात्र 30-40 कार्यकर्ताओं से झड़प हुई और रिक्शेवालों और स्टूण्डेंस की उनसे ढेलेबाजी हुई। इस पर अजीत सिंह चन्देल ने गोली चला दी और घटनास्थल पर 14 तारीख को 7.30 बजे सुबह 5 लोगों को गोली लगी और वहीं से दंगा भड़का। गोली न चलायी गयी होती तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मऊ में दंगा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे मऊ को जलाने की साजिश की गयी थी और यह कोशिश थी कि मऊ के नाम पर सरकार को बदनाम किया जाए और सरकार को गिराने की साजिश की गयी थी, जो पूरी तरह से नाकाम हुई। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी को जिन्होंने मऊ के लिए कड़ा कदम उठाया। पहली बार मऊ के डी0एम0, कमिश्नर, एस0पी0 और डी0आई0जी0 सस्पैंड हुए और दंगा रूका। मैं बताना चाहूँगा कि . . ..

श्री अध्यक्ष-

कृपया अपनी बात संक्षेप में रखिये।

श्री मोख्तार अंसारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कभी बोलता नहीं हूँ। लेकिन मऊ दंगे का मुझे मुख्य रूप से आरोपी बनाया गया है। मैं किसी चीज से घबराता नहीं हूँ। पचासों बार जेल में बंद हुआ हूँ और अभी भी जेल में बंद हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, पहली बार इस प्रकार मैं दंगाई बनकर बंद हुआ हूँ जिसका मुझे बहुत कष्ट है। आज एक महीने से ज्यादा का समय बीत गया है लेकिन चैन से सो नहीं पाया हूँ। इसलिए आपके सामने पूरी बात बताना चाहूँगा। लालजी टण्डन जी जिनको मैं बाबूजी के नाम से पुकारता हूँ और केशरी नाथ त्रिपाठी चचा

जिनकी मैं पिता के समान इज्जत करता हूँ। आज हम उन्हें चुनौती देते हैं यह सी0डी0 लाया हूँ, यह वह सी0डी0 है, जिसकों देख लिया जाए। मीडिया के लोग जो सामने बैठे हुये हैं, उन्होंने हमारे साथ बेईमानी की है। इस सी0डी0 को माननीय लालजी टण्डन जी और केशरीनाथ त्रिपाठी जी देख लें ये दोनों ही जज होंगे। अगर इसको देखने के बाद यह फैसला सुना देंगे कि मुख्तार अंसारी मऊ दंगे का दोषी है तो मैं फाँसी का फन्दा भी पहनने के लिए तैयार हूँ।

अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूँ कि मऊ से विधायक हूँ मैं मऊ को सजाने संवारने में दिन रात कोशिश करता रहा हूँ जब मऊ में दंगा हुआ था इस सदन में जितने भी सदस्य बैठे है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनके क्षेत्र में अगर दंगा हो जाएगा उनके विधान सभा क्षेत्र में दंगा हो जाएगा तो वह साम्प्रदायिकता की आग बुझाने जाएंगे या नहीं जाएंगे? मैं भी वही करने गया था। मेरा नाम मीडिया के लोगों ने कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने एक साजिश के तहत चाहे वह आज तक हो या स्टार न्यूज टी0वी0 हो उन्होने मेरा नाम पेश कर मुझे दंगाई बनाकर पेश किया। अगर कोई भी यह साबित कर दे कि मैंने दंगा कराया है तो मैं सदन से तो इस्तीफा दे ही दूँगा जिन्दगी भर के लिए राजनीति छोड़ दूँगा। मैं टंडन जी की बहुत इज्जत करता हूँ मैं उन्हें बाबू जी कहता हूँ मैं केशरी नाथ त्रिपाठी की भी बहुत इज्जत करता हूँ उनको और पूरे सदन को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कभी साम्प्रदायिक नहीं हो सकता। मेरी भी रगों में मेरे माँ बाप का खून दौड़ रहा है मेरे दादा मुख्तार अहमद अंसारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अपनी कुर्बानी दी है। जब सरहद पर पहला पाकिस्तानी हमला हुआ था तो बिग्रेडियर उस्मान अंसारी ने देश के लिए लड़ते हुए उसमें अपना खून बहाया था वह मेरे बाबा थे वही खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। मुल्क की खिदमत करना, आवाम की खिदमत करना मैंने विरासत में पाया है।

मैं बताना चाहता हूँ कि यह जो दंगाई नाम मेरे साथ जुड़ा है इसका मुझे बेहद कष्ट है चाहे वह हिन्दू हों या मुसलमान मेरे दोनो भाई है। जो यह कहा जा रहा है कि 200 लोग मारे गए है 100 लोग मारे गए हैं मैं चेलेंज दे रहा हूँ कोई 50 लोगों की सूची ही प्रस्तुत कर दे। इतना ही नहीं कोई 10 लोगों से ज्यादा सूची प्रस्तुत कर दे तो जो सजा मुझे सदन देगा वह मैं मानने के लिए तैयार हूँ। दंगे में चाहे कोई हिन्दू मरा हो या मुसलमान मरा हो उसका हमें दुख है मैं वहाँ से निर्दलीय विधायक हूँ मैं हिन्दू मुस्लिम एकता संगठन से जुड़ा हूँ मेरे संगठन में 18 हजार कार्यकर्ता है और उसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों समुदायों के लोग है। मऊ में सरकार गिराने की साजिश रची गई वहाँ पर हमारी छवि बिगाड़ने की साजिश रची गई हमारा नाम जानबूझकर जोड़ा गया। इससे मुझे बदनाम किया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से मांग करूंगा जो मृतक आश्रितों को दो-दो लाख रुपए के चेक दिए गए हैं इस धनराशि को बढ़ाया जाय क्योंकि यह बहुत गरीब लोग है किसी के सात-सात बच्चे हैं उनमें 4-4 लड़कियाँ हैं, मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूँ इनके परिवारों को पाँच-पाँच लाख रुपये देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री मोख्तार अंसारी-

मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। इन परिवारों को इतनी सहायता देने से यह अपना जीवन यापन कर सकेंगे। अध्यक्ष जी रही बात मेरी बेगुनाही के सबूत की तो कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगा है जो 14 तारीख को हत्या हुई है, जो उस बेचारे गरीब यादव की सलाहाबाद मोड़ पर हत्या हुई है जिसमें 17 तारीख की रात को 10 बजे मुझे एफ0आई0आर0 में नामित किया गया। मऊ में सारी मीडिया के लोग

जमा थे और पल-पल की खबर दे रहे थे और वह फोटो खीचते घूम रहे थे किसी ने मेरा नाम नहीं लिया क्या यह हत्या का राज चार दिन तक छिपा रह सकेगा? मुझे एक साजिश के तहत फंसाया गया। इसलिए मैं चाहूँगा कि इसकी भी जॉच करा ली जाय। हमारे बाबूजी टंडनजी ने एक घटना का जिक्र किया कि एक लाश मिली जो 20 दिन की थी। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि 16 तारीख की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है 14 तारीख को दंगा हुआ और 16 तारीख को लाश मिली जिसको बाबू जी ने बताया कि वह एक नाबालिग है लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। हमारे मऊ को दंगे के माध्यम से बरबाद करने की कोशिश की गई है। जिन लोगों ने मऊ में दंगा कराया है उनके बारे में जॉच करा ली जाय। अगर वाकई उनको लगता है कि ये दंगाई है तो इन सबको गिरफ्तार किया जाय जिनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष-

आपका समय समाप्त हो गया है, अब आप बैठ जायं।

श्री मोख्तार अंसारी-

मान्यवर, एक मिनट का समय और दे दें। मैं बताना चाहूँगा बाबू जी को और केशरी नाथ त्रिपाठी जी को कि जो जिक्र हुआ है कि जेल में बेगुनाह कैद किये गये है। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि मान्यवर, मुझे लेकर 91 मुस्लिम जेल में बन्द हैं। मुझे लेकर कत्ल के केस में 91 मुस्लिम बन्द हैं और हिन्दू पक्ष के टोटल 10 लोग बन्द है, जिसमें से बस 4 आदमी कत्ल के केस में बन्द है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यही इन्साफ है? क्या इसी को इन्साफ कहते हैं? 91 आदमी बन्द हैं और आप कह रहे हैं कि कोई पकड़ा ही नहीं जा रहा। 4 आदमी आपके बन्द हैं। आज बी0जे0पी0 के लोग मुझ पर दंगाई का इल्जाम लगा रहे है। मैं तो कहना चाहूँगा कि नेता जी से कि जो दंगाई है चाहे वह हिन्दू हैं या मुसलमान क्योंकि जो दंगाई होता है वह हिन्दू या मुसलमान नही होता, उसका कोई धर्म नहीं होता है वह तो सिर्फ दंगाई होता है और दंगाई को गिरफ्तार किया जाय और उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूँ बाबूजी आपको कि यह मेरे हिन्दू भाइयों की लिस्ट है जो मेरे हिन्दू भाइयों की मकान, दुकानें लूटी है जो भाजपा के लोगों ने बनाई है। वहॉ पर जितने भी लोगों की झोपड़ी जलें हो या महल जला हो जिनका भी जितना नुकसान हुआ है उनको सहायता दिये जाने की मॉग सरकार से करता हूँ। इसके साथ साथ यह भी मॉग करता हूँ कि उनकी संख्या चाहे गाड़ियों की हो, घर की हो या आदमियों की हो। जो नुकसान हुआ है। यह बी0जे0पी0 ने जो लिस्ट दी है उसमें 127 लोगों की लिस्ट दी है। मुस्लिम पक्ष की यह लिस्ट 437 की है। पूरा सदन इसको देख ले आज बी0जे0पी0 प्रदेश के अन्दर झूठा प्रचार कर रही है कि वहॉ कत्लेआम किये गये है वहॉ पर जुल्म ढ़ाया गया है।

मान्यवर, यह रिकार्ड देख लें। रिकार्ड ऐसी चीज है जो झूठ नहीं हो सकती। आप फोन करके जेल से एक सूची मॅगवा लें आपको पता चल जायेगा कि दोनों पक्षों के कितने-कितने लोग है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। इसके साथ ही साथ मैं बाबू जी से यह भी कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि हमको मऊ में नहीं आने दिया। आप लोग मऊ जा रहे थे, वहॉ साम्प्रदायिकता फैलाने जा रहे थे। बाबू जी मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ आप मेरे पिता समान है और केशरी नाथ त्रिपाठी जी आपको मैं चचा कहता हूँ। आप वहॉ गये थे तो आप वहॉ यह कहते कि एक हिन्दू भाइयों, मुसलमान भाइयों आकर गले लग जायं और इस दंगे को समाप्त कर दिया जाय। तब मैं समझता कि आपने इस देश के नेता होने का फर्ज अदा किया है। बल्कि उल्टे आपने वहॉ जाकर यह बयान दिया 'हिन्दू संगठित हों और हथियार उठाओं' इस तरह

का बयान यह साबित करता है कि आप साम्प्रदायिकता में विश्वास करते है। टुकडे-टुकड़े कर देना चाहते हैं इस देश के।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बन्द करें, आप काफी बोल चुके हैं। आपका समय समाप्त हो गया है। आप बैठ जायं।

श्री मोख्तार अंसारी-

मान्यवर, मुझे बोलने का समय दिया जाय। मैं सदन में बहुत कम बोलता हूँ। मान्यवर, साथ-साथ यह मेरी तस्वीर जो इंडिया टुडे में छपी है इंडिया टुडे के भाई यहाँ बैठे होगें। जिसमें दिखाया है फोटो क्लिक करके। इस बात को कोई साबित कर दे कि मोख्तार अन्सारी के हाथ में एक फूल की भी छड़ी थी। चार गनर थे मेरी जिप्सी के ऊपर और वे चारों हिन्दू थे, सरकारी गनर बैठे थे। आप खुद इस बात का इन्साफ करो मेरे भाइयों कि मेरे पास न कोई हथियार। मैं निहत्था अपने क्षेत्र में अपने हिन्दू और मुसलमान जनता को मना कर रहा था। यह लोग कह रहे है कि मैं दंगा करा रहा था। इस तरह से यह तस्वीर मीडिया के लोगों ने बनाई है।

श्री अध्यक्ष-

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री मोख्तार अन्सारी-

मान्यवर, मैं रोज नहीं बोलता हूँ। आज मुझे बोल लेने दीजिये। मुझे आज बहुत कष्ट हैं। दंगाई बनाकर मुझे जेल में रखा गया है। जिसका मुझे जिन्दगी भर अफसोस रहेगा। फिरकापरस्त ताकतें यह कह रही थी इनके [x x x] कहते है कि मोख्तार अन्सारी [x x x] है। मैं पूछना चाहता हूँ कि उनके परिवार का एक आदमी बता दें जिसने इस देश के लिये कुर्बानी दी हो। मेरे परिवार ने इस देश के लिये कुर्बानी दी है।

श्री अध्यक्ष-

अब बैठ जायं। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री मोख्तार अन्सारी-

एक बात और सुन लीजिये बाबू जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप लोग टी0वी0 पर बोल रहें थे, मैं जेल में बैठा देख रहा था। आप कह रहे थे कि वहाँ माँ बहनों की इज्जत लूटी गई है। (व्यवधान) हिन्दुस्तान की हर जेल में टी0वी0 एलाऊ है। साथ ही साथ मै यह बताना चाहता हूँ किस तरह से इज्जत आबरू लूटी गई . . .

(डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल के कुछ कहने पर)

इज्जत आबरू लूटने की बात बताना चाहता हूँ। मैं एक पत्र आपके सामने रखने जा रहा हूँ और इस उम्मीद से रखने जा रहा हूँ। यह इस उम्मीद से मुझे जेल में लिखा है कि इन्साफ मिलेगा।

श्री हुकुम सिंह-

जिस तरह से समाचार पत्रों, कागजों का प्रदर्शन आपके सामने हो रहा है। इससे पहले नहीं हुआ। आज भी नियम परम्पराओं का पालन कराएं।

श्री अध्यक्ष-

मैं सहमत हूँ।

नोटः- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हुकुम सिंह-

अगर सहमत है तो रोकते क्यों नही?

श्री अध्यक्ष-

आप समाचार पत्रों का प्रदर्शन न करें।

श्री मोख्तार अन्सारी-

यह उस बेसहारा का खत है। इसको आप देख लें उसने नाम से लिखा है। एक कमरे में एक बेटी और माँ के साथ पचासों लोगों ने, गैंग रेप किया है उसकी जॉच करा ली जाए . . .

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाएं।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

माननीय सदस्य ने मेरा नाम लिया है। मैं नही चाहता सदन की स्थापित परम्परायें टूटें। पहले आप माननीय नेताओं को सुन लें लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी के बोलने के पहले मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आपको अवसर मिलेगा।

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आज गम्भीर मुद्दे पर चर्चा के लिए आदेशित किया गया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मान्यवर, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और हम सब हिन्दू, मुस्लिम सिक्ख, ईसाई, बुद्धिष्ट, जैन सब मिलाकर इस धर्मनिरपेक्ष भावना का पालन करते है। साम्प्रदायिक सद्भाव पनप रहा था। एक समाज को आगे बढाने के लिए निरन्तर प्रयासरत रहे है लेकिन मऊ में दंगो के माध्यम से जो बड़े पैमाने पर आगजनी, लूटपाट एवं हत्यायें हुई है वह चाहे हिन्दू की हो, चाहे मुससमान की हो कुल मिलाकर इंसानियत का कत्लेआम हुआ है और यह हमारे ऊपर अभिशाप है। 57 साल आजादी के गुजर गए। हम अभी भी खून खराबे की राजनीति पर विश्वास करते है। जो इसको ताकत देते है सही मायने मे उनको कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए।

मान्यवर, जैसा आपको मालूम है 14 अक्टूबर को दंगे की शुरूवात होती है। 13 तारीख से दंगे की शुरूआत होती है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ खून खराबा होता है चाहे वह हिन्दू का हो चाहे मुसलमान का हो, इंसानियत का कत्लेआम होना अभिशाप है। यह देश के संविधान की हत्या है। इसलिए आज आप हिन्दू की बात कहकर, मुसलमान की बात कहकर जो लोग यह कहना चाहते है वह दोनों इंसानियत के हत्यारे है ऐसे लोगों को बिल्कुल छूट नहीं मिलनी चाहिए। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर मजहब के नाम पर, इन चीजों का सहारा लेकर राजनीतिक रोटी सेंकने का काम जो करते है...

उनको सही मायने में अपने अन्दर झांक कर देखना चाहिए और यदि कोई भी ईश्वर में, भगवान में, अल्लाह में यकीन करता है जो उसे पैदा करता है और यहाँ पर जो भी जाति और धर्म के बंटवारे होते है, वह इन्सान बांटता है, अल्लाह, भगवान, खुदा उसको बांटने का काम नहीं करता है, इनको धर्म के जो ठेकेदार है, वह बांटा करते है और ऐसे ही कुछ लोग जो अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेंकना चाहते है, जिनकी राजनीति खत्म हो चुकी है, वह इसका सहारा लेना चाहते है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वर्ष 1952 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था जिसमें उसने शाही मैदान में स्थिति शाही मस्जिद और मन्दिर से दो-दो सीढ़ियाँ हटाने के लिए कहा था लेकिन दोनों सम्प्रदाय के लोगों ने आपस में मिलकर कहा कि हम दोनों सम्प्रदाय के लोग अपने-अपने महजबी काम शांतिपूर्वक करते रहेंगे और तब से वहाँ शान्तिपूर्वक उनके कार्यक्रम होते चले आ रहे है। मान्यवर, मऊ घटना की सीबीआई से जाँच की माँग हमेशा बहुजन समाज पार्टी ने की है। आज कुछ सम्मानित सदस्य सत्तापक्ष की ओर इशारा करके कह रहे है कि उन्होंने यह काम किया है और समाजवादी पार्टी के लोग कहते है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह काम कराया है। मान्यवर, यह दोनों पार्टियाँ एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है इसलिए सीबीआई से जाँच कराने का ही एक ऐसा माध्यम होगा जिसके माध्यम से सारी बात साफ हो सकेगी कि इसमें दोषी कौन है? मान्यवर, 14 तारीख को एक मस्जिद में लाइड स्पीकर को बन्द कराने की घटना से इसकी शुरूआत होती है, वृहस्पतिवार को प्रशासन वहाँ के जिम्मेदार लोगों के साथ बैठक करता है, जिसमें डी0एम0, एस0एस0पी0, एमएलसी श्री रामजी सिंह आदि सभी बैठते है और उन्होंने तय किया कि 29 तारीख को भरत-मिलाप कराया जाए लेकिन 14 तारीख को ही कुछ लोग धरना-प्रदर्शन करने लगते है, आपका प्रशासन क्यों सोता रहा? जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की जो व्यवस्था दी थी, बावजूद उसके फिर 14 तारीख को धरना-प्रदर्शन कैसे शुरू हुआ? आपका जिला प्रशासन गूंगा-बहरा बनकर बैठा रहा और सही मायने में उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक छवि है, इससे उस पर उँगली उठती है और मऊ एक हफ्ते तक जलता रहा। वहाँ सैकड़ों घर बर्बाद हो गए, हिन्दुओं के भी घर जले और मुसलमानों के भी जले, उनकी रोजी-रोटी पर खतरा आया।

मान्यवर, वहाँ पर पूरा का पूरा हिन्दू-मुस्लिम भाईचारा जो था, उसको तहस-नहस करने का काम किया गया। मान्यवर, रिजवान और सीबू सबसे पहले चोट खाते है फिर लवकुश मारा जाता है, राम प्रकाश यादव की हत्या की जाती है और इस प्रकार लगभग डेढ़ दर्जन लोगों की हत्याएं होती है। मान्यवर, इसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों की हत्याएँ होती है, मैं कहना चाहता हूँ कि हिन्दू की हत्या हो या किसी मुसलमान की हत्या हो, यह उत्तर प्रदेश सरकार के निकम्मेपन की निशानी है और वह राजनीति करने के लिए दंगे की बिना पर राजनीतिक रोटियाँ सेकने का काम कर रही है। अगर सरकार छूट दे रही है तो सरकार दोषी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि नेता सदन मऊ दंगों को गम्भीरता से लेंगे। नेता सदन अगर आप चाहते है कि हिन्दू-मुस्लिम भाई-चारा वास्तव में स्थापित हो, अगर आप चाहते है कि हिन्दू-मुस्लिम भाई-चारे में कही भी टूट न होने पाये तो इस दंगे की सी0बी0आई0 से जांच कराने का आदेश देने का काम करे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि महामहिम राज्यपाल जी 22 तारीख को वहाँ जाते है। 20 तारीख को भी दो लाशें मिलती हैं। यानी 13 तारीख से प्रारम्भ होने वाले दंगे एक सप्ताह से लेकर 10 दिन तक चलते रहते है। उत्तर प्रदेश का प्रशासन उस दंगे को नियंत्रण में नहीं करने पाया। जिला प्रशासन नियंत्रित नहीं कर पाया। लगातार एक सप्ताह से लेकर 10 दिन तक मऊ दंगों की आग से जलता रहा और पूरे प्रशासन के लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे।

श्री अध्यक्ष-

संक्षेप में कहें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मऊ दंगों की आग मऊ से होते हुए बलिया, गाजीपुर तक पहुँची। आगरा में भी, कौशाम्बी में और बाराबंकी में भी यह दंगों की आग पहुंची।

श्री अध्यक्ष-

तथ्यों को संक्षेप में कहें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। मान्यवर, वहाँ पर अगर एक तरफ के0सी0आई0 ट्रान्सपोर्ट मशीने तोड़ी गयी, गोयल ट्रेडर्स, दीनानाथ वस्त्रालय, छत्तरपुरा किराने की दुकाने, सिंधी बीड़ी आदि की दुकानों को जलाने, लूटने का काम किया गया तो दूसरी तरफ मुसलमानों की तरफ भी बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ हुई जिसमें मॉडल पब्लिक स्कूल, अली बिल्डिंग आदि को लूटने का भी काम किया गया है। अगर एक तरफ हिन्दुओं की दुकानें है तो दूसरी तरफ मुसलमान भाइयों की दुकाने है। दोनों तरफ की दुकानों को लूटने का काम दंगों में किया गया है। हमारे कहने का मतलब यह है कि साम्प्रदायिक सौहार्द्र की हत्या की गयी है। वहाँ हिन्दू-मुस्लिम भाई-चारे की हत्या की गई है जो हमारे संविधान की मंशा है, जो धर्मनिरपेक्षता का भाव है उसकी हत्या की गई है। और हमारे नेता सदन बडी धर्मनिरपेक्षता की बाते करते है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार के अंदर अगर वाकई संविधान के प्रति निष्ठा है और सम्मान है तो दोषियों को सजा दिलाने के लिए मऊ दंगों की जांच सी0बी0आई0 से करा लें तभी दंगों के असली दोषियों को सजा दी जा सकती है। इन्ही शब्दों के साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रूपये की सहायता दी जाये और जो दुकानें लूटी गयी हैं, जो मकान ढहाये गये हैं उनके निर्माण के लिए भी मुआवजा दिया जाये।

मान्यवर, चाहे समाजवादी पार्टी के चेहरे हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हों जो भी दंगों में शामिल हों उनके खिलाफ कठोर सजा का प्राविधान किया जाये। साथ ही मैं नेता सदन से कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में बसपा की तीन बार सरकार थी, साढ़े चार महीना, छह महीना, पन्द्रह महीना चाहे वह जितने भी दिन की रही हो, जिन्हें हम साम्प्रदायिक कहते हैं उन्ही के साथ हमारी सरकार थी। मेरी नेता में इतना दम था कि इनको नकेल लगाकर अंकुश में रखने का काम किया और एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं होने पाया। यह हमारा कौल था। मैं चाहता हूँ कि आप भी कठोर कार्यवाही करने का काम करें।

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

यही तो समझौता था आपका दंगाइयों के साथ। तभी तो सरकार चली थी आपकी।

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

मऊ दंगे पर जारी चर्चा का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

एक बात है। यह चर्चा 11.05 पर शुरू हुई थी और इसे 12.35 पर खत्म होना था। इस समय 12.20 हो रहा है और अभी माननीय मुख्य मंत्री जी का जवाब भी होना है, तो यदि सदन सहमत हो तो इसे आधे घंटे बढ़ा दिया जाय। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव कर दें।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आजम खॉ)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस चर्चा पर आधे घंटे का समय बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, जब आधे घंटे बढ़ाना था तो फिर आपने हमें जल्दी क्यों बैठा दिया?

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ गये हैं। आप स्पष्टीकरण पूछ लीजियेगा।

मऊ नगर में हुए दंगे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सर्वश्री लालजी टण्डन, स्वामी प्रसाद मौर्य, प्रमोद कुमार, राम स्वरूप सिंह तथा डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल आदि द्वारा दी गई सूचनाओं पर

नियम-52 के अन्तर्गत चर्चा (क्रमागत)

*श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर चर्चा आज यहां पर आहूत है और आपने मुझे अपने दल की ओर से विचार रखने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत आज इस बात के लिए इकट्ठा है कि हम जहाँ दंगा हुआ, जो दंगे से पीड़ित हैं उनके जख्म पर मरहम लगायें। फिर दोबारा इस प्रकार की घटना न हो इसके लिए हम अपने सुझाव दें और जो लोग इसमें दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाय इसकी मांग करने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन मान्यवर, क्या हम ईमानदारी से मांग रख सकते हैं? जब मैं देखता हूँ मऊ साम्प्रदायिक दंगे की छांव में, उनकी आवाज साम्प्रदायिक आवाज इस विधान सभा में उठते देखता हूँ और इस विधान सभा को भी साम्प्रदायिकता के आधार पर बटे हुए देखता हूँ तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है। मुझे दुख होता है, पीड़ा होती है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि दंगाइयों की कोई जाति नहीं होती है, उनका कोई धर्म नहीं होता है वे सिर्फ दंगाई होते हैं और वह सजा के हकदार होते हैं। जो पीड़ित होता है उसकी कोई जाति नहीं होती उसके प्रति केवल मानवता और ममता होती है। लेकिन जब जिम्मेदार दल साम्प्रदायिकता की भाषा बोलने लगता है तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र कहीं ढह गया है। मेरा इशारा [x x x] आखिर क्यों?

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी बात न छेड़ी जाय तो अच्छा हो। [x x x] इसलिए ऐसी बात न छेड़ी जाय।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, इन्होंने ही धर्म के आधार पर आरक्षण लगाया था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय इकबाल जी आप शांत हो जायें। माननीय प्रमोद जी को बोलने दें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, इस सदन को मऊ बनने से आप रोकें। माननीय अध्यक्ष जी, [x x x] इनको कोई अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय इकबाल जी, आप बैठ जायें, जब आपका नम्बर आयेगा तब अपनी बात कह दीजियेगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज हम बहुत ही गम्भीर प्रश्न पर विचार करने के लिए बैठे हैं। अब आप उस विषय को डाइवर्ट करने के लिए गुजरात का मामला यहां पर ले आये किसी और प्रदेश का मामला यहां पर ले आये। आप सारे माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आप माननीय नेता कांग्रेस को निर्देशित करें कि वह विषय पर बोले इस तरह से सदन में उत्तेजना पैदा करने का काम न करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य जब बोलें तो इसी मऊ दंगे तक ही अपने को सीमित रखें।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

श्रीमन्, माननीय हुकुम सिंह जी की राय बिल्कुल सही है कि हम विषय पर रहें, लेकिन जिस नाम पर ऐतराज है आपको वह नाम खुद नेता विरोधी दल ने लिया था तो अपने नेताओं को भी उन नामों के लिए, उन विचारों के लिए, उन भावनाओं के लिए रोकें जिन भावनाओं पर आपको ऐतरज हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ। मान्यवर, 13 अक्टूबर को जो दंगा प्रारम्भ हुआ, मान्यवर, निश्चितरूप से वह दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और इस प्रदेश के इतिहास में हमेशा दुख के साथ याद किया जाता रहेगा, मान्यवर, मैं बिल्कुल सरकार को इस बात के लिए कटघरे में खड़ा करना चाहता हूँ, कि अगर प्रशासनिक लापरवाही न होती तो यह दंगा भड़कता नहीं और अगर प्रशासनिक लापरवाही न होती तो तीन दिन बाद आप महसूस करके वहां के डी.एम0 और एस0पी0 को हटाते भी नहीं, इस तरह से मान्यवर, इसमें कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही तो हुई, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही आप जो कर रहे हैं मैं उसकी तरफ इंगित करना चाहता हूँ। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्यजी ने कहा कि जब यह हमारे साथ सरकार में रहे तब कभी दंगे नहीं हुए तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब इनके पास नौकरी रहती है तब यह दंगे नहीं करते है और जब यह सरकार के बाहर होते हैं तो बेरोजगार रहते है, तभी दंगा करते हैं। आज सरकार से बाहर है तो आपको जितनी सख्ती इनसे करनी चाहिए उतनी सख्ती आप कर नहीं रहे हैं इनके खिलाफ जो कार्यवाही आपको करनी चाहिए वह आप कर नहीं रहे है। क्यों इतनी नम्रता है कहीं आने वाली दोस्ती का संकेत तो नहीं है अगर है तो इसको यही पर रोक दीजिए, इनका साथ अगर रहेगा तो यह देश को जला देगें, देश को तोड़ देगें, लेकिन देश को बांटने की कोई भी कोशिश होगी तो उसका मुकाबला हम सब मिलकर करेगें, इसमें कोई दो राय नहीं है।

मान्यवर, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ ब्योरेवार घटना रखना चाहता हूँ। मान्यवर, 13 तारीख को तराबी और राम-भरत मिलाप था, मान्यवर, होना ही चाहिए, उनका हक है, लेकिन तनाव हुआ पर रात में समझौता भी तो हुआ, समझौते के बाद 14 तारीख को संस्कृत पाठशाला के सामने हिन्दू वाहिनी के चन्देलों ने जब चक्का जाम किया और गोली चलाई तो उस पर प्रशासन ने क्या किया? कौन है यह हिन्दू वाहिनी के चन्देल? उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होती तो दोबारा किसी दंगाई की हिम्मत नहीं होती दंगा कराने की। मान्यवर, मेरा अखण्ड विश्वास है और वहां पर जाकर के जो मेरी टीम लौटी है, उसके अनुसार मैं कहना चाहता हूँ कि मान्यवर, 13 को दंगा समाप्त हो रहा था, लेकिन 14 को दंगा एक सुनियोजित साजिश के तहत लखनऊ में बैठे हुए नेताओं के इशारे पर इसे कराया गया क्योंकि आज वह पार्टी जो खत्म हो रही है उस पार्टी को जिन्दा करने के लिए फिर कुछ हिन्दू-मुसलमानों की लाशों की जरूरत है और वह लाशें मऊ में ढूँढी गई। इक्तेफाक नहीं मान्यवर, सिर्फ पॉच हिन्दू मरते हैं, पॉच मुसलमान मरते हैं, जैसे गिन कर मारे गये हों। मान्यवर, करघे लूटते हैं बुनकरों के, मान्यवर, ऐसे नहीं चले जाते एक करघे को हटाने के लिए एक ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी, डेढ़ सौ और तीन सौ हथकरघे हटे हैं, तो

इसका मतलब कम से कम दो या तीन दिन वहां जंगल का राज रहा क्यों प्रशासन सोता रहा? इसकी जवाबदेही से प्रशासन बच नहीं सकता है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ और बहुत ही विश्वासपूर्वक कहना चाहता हूँ जब तीन कम्पनियां आई रैपिड ऐक्शन फोर्स की तो दंगों पर नियंत्रण लगा तो मान्यवर, क्या एक विरोधी दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की जो जिम्मेदारी थी, उसे निभाया, वहां जाने के बाद क्या किसी ने शान्ति की अपील की? शान्ति की जगह मान्यवर, सिर्फ अफवाह फैलाने का काम किया। दंगे की आग की जैसे-जैसे चिंगारी बुझती जाती थी वैसे-वैसे आपने वहां पहुँच कर दंगे की चिंगारी को ज्वाला में परिवर्तित करने की हर संभव कोशिश की। आज भी मान्यवर, जहां मैं मरहम लगाता हूँ मऊ में दंगा पीड़ितों के लिए और उनकी बहादुरी को भी सलाम करता हूँ, इन्होंने तो चाहा था कि पूरा मऊ जल कर राख हो जाय, लेकिन अगर कुछ बच गया है तो निश्चितरूप से यह मऊ की जनता का आपसी भाई-चारा था, तभी बचा है।

मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर यह कोशिश हो रही है कि आज हम सिर्फ एक वर्ग की बात विधान सभा में करते हैं, हममें इतना साहस आ गया है, हममे नैतिकता की इतनी गिरावट आ गई है, मान्यवर जहाँ आपकी आखें देख रही है, हमारी आखें है वहाँ ये लोग यह कहते है जहाँ हमारी आपकी आखें नहीं होगी और वहाँ पर निश्चित रूप से जब यह जाते होंगे तो साम्प्रदायिकता की बात करते होंगे। मान्यवर, इनकी तो आदत पड़ गयी है कि इस तरीके की बातें करके किस तरह से लूटी हुई शक्ति को वापस लाने की कोशिश हो। मान्यवर, अयोध्या में एक काण्ड हुआ आतंकवादियों द्वारा दूसरे दिन इनके द्वारा प्रदेश बन्द की बात कही गई, धरना दिया गया। मऊ में घटना हुई तो इनके द्वारा प्रदेश बन्द की बात कही गई और धरना दिया गया। क्या कभी एक कोशिश नेता विरोधी दल ने की कि सारे विरोधी दल के नेताओं को बुलाते और हम लोग को लेकर वहाँ चलते और वहाँ जाकर सब लोग शान्ति और अमन की बात करते। लेकिन मान्यवर, वहाँ पर तो आपका एक एजेण्डा था कि किस तरह से बुझी हुई आग को सुलगाया जाए।

मान्यवर, मैं मानता हूँ कि दंगाई अपराधी होता है पर दंगों की राजनीति करने वाले उस दंगाई से बड़े अपराधी होते हैं। जो दंगों की राजनीति करते हैं और जो दंगाइयों की राजनीति पर रोटियाँ सेकते है वह बड़े अपराधी है। एक राजनैतिक दल जब से पैदा हुआ है वह इस तरीके की बाते करता रहता है और उस पर जितना कठोर नियंत्रण आपको करना चाहिए था उतना नहीं किया जा रहा है। इससे क्या साबित हो रहा है? मैं चाहता हूँ कि आपके द्वारा उस पर कठोर नियंत्रण किया जाए। स्थानीय विधायक ने कुछ तथ्य रखें है वहाँ के जो आपके सदस्य है उस पर कुछ तथ्य रखेंगे। मान्यवर, आप देखे कि एक इकरारनामा था, शर्तनामा था वह तोड़ा क्यों गया? यह एक गैर जिम्मेदारी की बात थी कि एक लिखित समझौता हो गया था उसको तोड़ा गया। मान्यवर, मैं तो कहता हूँ कि दंगाईयों को अपराधियों के कठघरे में खड़ा किया जाना चाहिए लेकिन जो उन पर राजनीति करते है उन पर भी दोष मढ़ा जाना चाहिए।

मान्यवर, मैं तो कहता हूँ कि न तो टण्डन जी की बातों पर यकीन किया जाए और न मेरी बातों पर यकीन किया जाए, एक फैक्ट फाइटिंग टीम बना दी जाए, एक हाईकोर्ट के जज द्वारा सम्पूर्ण घटना की जांच की जाए ताकि यह सामने बात आ सके कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हो। वह यह भी देखे कि किसने क्या रोल निभाया? वह उसकी पूरी जांच कर ले। आपराधिक घटनाओं को उससे अलग कर दिया जाए। आपराधिक घटनाओं की जांच सी0बी0आई0 से सीधे-सीधे करा ली जाए। राजनीति यहाँ सदन में बैठकर यह होनी चाहिए कि कैसे मन्दिरों में घण्टे बजे और मस्जिद की अजान की आवाज एक हो और जब

यह बातें होने लगती है तो उसे अलग करने के लिए इस तरह की घटनाएं घटित हो जाती है। अभी आपने कहा कि सभी लोग वोट बढ़ाने की बात कर रहे है। मान्यवर, कल जो बातें यहॉ पर हुई नारे लगे है उसको सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई है। वह साम्प्रदायिकता को बढ़ाने वाले नारे है, समाज को तोड़ने वाले नारे है, उनसे हम कोई आशा नहीं कर सकते है। मैं तो मान्यवर, इसमें जो प्रशासन की लापरवाही रही है उसको मानता हूँ [x x x x x] को भी कटघरे में खड़ा करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी वाले यहॉ बैठे है तीन बार उनके साथ सत्ता में रहे हैं यह कहते है कि जब तक हमारे साथ रहते है तो ठीक रहते है। ऐसा लगता है कि जैसे ये मास्टर हो और जैसे ही ये लोग उस क्लास से बाहर गये कि दंगा हो गया। मैं पुन: बल देता हूँ कि सम्पूर्ण घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। मान्यवर, मैं यह भी कहता हूँ कि जब टण्डन जी बोल रहे हो तो राज्यपाल दीर्घा में किसी बड़े नेता को नहीं बैठना चाहिए क्योंकि उससे वे अपने मन की बात नहीं कर पाते है। यह नहीं होना चाहिए कि वह अपने मन की बात न कर सके।

श्री अध्यक्ष-

आप राज्यपाल दीर्घा की बात न करें। अपनी बात करें।

श्री प्रमोद कुमार-

क्योंकि मान्यवर, जब साम्प्रदायिक तनाव हुआ था तो यह वहॉ देखकर अपने मन की बात न कह कर कहने लगते है कि ये तुमने कराये हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, हमारा समय आने वाला है। मैं पुन: बल देता हूँ कि सम्पूर्ण घटना की न्यायिक जांच कराई जाए और आपराधिक घटनाओं की सी0बी0आई0 से सीधे-सीधे जांच कराई जाए।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, इनके समय की बिहार से शुरूआत हुई है।

*श्री राम स्वरूप सिंह (बिजनौर)-

माननीय अध्यक्ष जी, मऊ के दंगे की जो घटना है वह प्रांत और देश के लिए बहुत संकेत करता है इस ओर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और वहॉ विशेष रूप से मैं पहले सरकार से कहूँगा कि सूबे में जो तमाम अधिकारी है उनकी जॉच पड़ताल करने की बात होनी चाहिए कि वह किस सोच के है, क्या उनकी समझदारी है, उनके मन में क्या भावनाएं है, उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर लगाना चाहिए? उन अधिकारियों की जॉच होनी चाहिए जिनके कारण दंगा हुआ सबसे बड़े दोषी वही है। यह तो दंगाई है ही इनके बारे में क्या सोचना? कहने की बात नहीं है लेकिन उन अधिकारियों की जॉच होनी चाहिए क्योंकि उन्हें मालूम था कि मऊ में कई बार दंगा हुआ है और दो ऐसे विवादित स्थल है जहॉ पर विवाद होता रहता है। उनको यह भी समझना चाहिए कि दीवाली और रमजान एक साथ है, ईद भी उसके साथ आने वाली है जो उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उन ताकतों पर उन व्यक्तियों पर कोई निगाह नहीं रखी, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की दंगों को रोकन की, वह ऐसी चीजों को, शक्तियों को रोकने का

नोट:- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रयास करते। तो सबसे बड़े दोषी अधिकारी है। क्या नये दंगे के बारे में कार्यवाही की गयी है? करना आपको यह चाहिए कि सारे जिलाधिकारी और एस0पी0 के बारे में जॉच करा लें जो सही हो, धर्मनिरपेक्ष अधिकारी हो उनको जिलों में तैनात करे तब दंगे रूकेगें, उनके बारे में क्या किया? इनका तो प्रोग्राम ही दंगा है, और इनके पास कोई प्रोगाराम नहीं है। मैं प्रमोद कुमार से अपील करूँगा कि वह अपनी सरकार को सुझावें कि दंगे कैसे रोके जा सकते है, आज उनके दल की सरकार है ऐसे साप्रदायिक संघों पर पाबन्दी लगनी चाहिए। आरएसएस पर पाबन्दी लगनी चाहिए तब दंगे रूकेगें। मैं इस सदन से अपील करता हूँ कि ऐसे संघों पर निगाह रखनी चाहिए। ऐसे लोगो को पुलिस को बात दिया जाय और पुलिस को सूची सौंप दी जाय कि दंगाइर कौन है, ताकि वह ध्यान रखें कि उनका इरादा क्या है? यह जो दंगाई लोग किये है कहते हुए भी शर्म आती है, उन्हें कोई दोषी भी मानता। यह कसम खाते है, प्रतिज्ञा करते है इनका संगठन ही सम्प्रदायिक है। हम सच नहीं बोलेंगे, हम [x x x] बोलेंगे यह कसम खा चुके है कि जीवन मे कभी सच नहीं बोलेगे इन्होंने मंदिर का नारा दिया और बात चलाई कि राम जी की मंदिर बाबर ने तोड़ दिया था। बाबर के मरने के बाद 19 साल बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी उसमें नहीं लिखा कि बाबर ने मंदिर तोड़ा था तुलसीदास ने कही जिक्र नहीं किया कि रामजी का मंदिर बाबर ने तोड़ा था ये सफेद [x x x] बोले और सारे देश से [x x x] बुलवाया कि रामजी का मंदिर बाबर ने तोड़ा था।

श्री हुकुम सिंह-

एक मेरा आग्रह है। सरकार की तरफ से मुख्य मंत्री जी को बोलना है। स्थानीय विधायक बोल लिये है। अब बाकी समय हम लोगों को मिलना चाहिये। हम लोगों का नोटिस है।

श्री अध्यक्ष-

अभी नेता विरोधी दल को फिर बोलने का मौका मिलेगा। मुख्य मंत्री के भाषण के बाद नेता विरोधी दल को फिर समय मिलेगा।

श्री हुकुम सिंह-

होगा वही जो आप चाहेगे।

श्री अध्यक्ष-

आप समझदार है। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ।

सिंचाई मंत्री (श्री मुन्ना सिंह चौहान)-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार ने ऐसी पार्टियों और ऐसे लोगों का मंसूबा सफल नहीं होने दिया जो जानते है कि उनका राजनैतिक विश्वास जनता से उठ गया है। आज हम कहना चाहते है कि दंगाइयों की कोई धर्म और जाति नहीं होती।

श्री लालजी टण्डन-

क्या कामरोको प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष के लोग बोल सकते है।

श्री अध्यक्ष-

कामरोको की ग्राह्यता पर नहीं बोलते है लेकिन जब चर्चा होती है तो कोई भी माननीय सदस्य हिस्सा ले सकते है। आप नियमावली का नियम 292 देख ले।

नोटः- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री लालजी टण्डन-

जिनका नाम नोटिस में है, उनको अवसर दीजिये।

श्री प्रमोद कुमार-

जब नियमावली के नियम-56 में आयेगा तो कार्यस्थगन कहलायेगा। जब नियम 52 में चर्चा कहलायेगा। अब यह 56 नहीं रहा, बल्कि 52 हो गया। तो इसमें वह भी बोलगें जो मंत्रि-परिषद के सदस्य है। वह भी बोलेगें, जिनके हस्ताक्षर नहीं है। लेकिन प्राथमिकता उनको मिलेगा। अब मान्यवर, इतने से ही काम नहीं चलेगा, इसमें घन्टा-दो घंटा और बढ़ा दीजिये ताकि सबको मौका मिल जाय। बड़ा गंभीर विषय है, आप संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध कर लें। जो इसमें बाते है, वह सामने आनी चाहिये। चर्चा को बढ़ा लने में कोई हर्ज नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, आप संक्षेप में अपनी बात रखें।

विधान परिषद सदस्य (मंत्री) द्वारा चर्चा में भाग लेने पर व्यवस्था का प्रश्न

सिंचाई मंत्री (श्री मुन्ना सिंह चौहान)-

मान्यवर, हमारे देश में जिनके मंसूबे खराब है, जो इस प्रदेश का आम जीवन खराब करना चाहते है। जिनको यह पता लग गया है कि अब प्रदेश की जनता मुद्दों पर वोट देकर लोकसभा और विधान सभा भेजेगा, उनके मंसूबों को असफल करने के लिये सरकार ने अपना काम किया। वैसे अयोध्या में आपने देखा कि एक प्रयास हुआ, जब [x x x] हमला हुआ, जिसे सरकार ने सख्ती से रोका।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

जो इस सदन का सदस्य नहीं है, वह भी क्या चर्चा में भाग ले सकता है?

श्री अध्यक्ष-

अगर मंत्रि-परिषद का सदस्य है, तो कैसे भी नहीं लेगा?

श्री लालजी टण्डन-

मंत्रि-परिषद का सदस्य, यदि उसके विभाग से संबंधित काम है तो बोलेगा, लेकिन कोई चर्चा होगी तो उसके ऊपर भाग लेने का अधिकार नहीं है। इस सदन में उन्हें बैठने का अधिकार है, अपने विभाग से संबंधित कोई विषय है, उसको रखने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री होने के नाते उनको बोलने का हक मिल जाता है। अगर आप कहते है तो पूरी परम्परा निकलवाकर देख लेगें।

श्री लालजी टण्डन-

मैं इनकेबोलने का विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इनको केवल अपने विभाग से संबंधित विषय पर बोलने का अधिकार है। जो इस सदन का सदस्य नहीं है, उसको चर्चा में भाग लेने का अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्रि-परिषद का सदस्य बोल सकता है।

नोटः- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मैं बताना चाहूँगा। कि मैं राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से बोल रहा हूँ। मान्यवर, मऊ में साम्प्रदायिक वातावरण बिगाड़ने के लिये कुछ लोगों ने प्रयास किया। लेकिन सरकार सचेत थी और समय पर कार्यवाही करके उसने मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया। मान्यवर, मैं यह इसलिए कहना चाहता हूँ कि अयोध्या में भी जब आतंकवादी घटना हुई थी तो हमारे जवानों ने बहुत तत्परता से कार्यवाही करके और सरकार ने उचित कार्यवाही करके लोगों के मंसूबों को विफल किया था। जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रमोद जी कह रहे थे कि जब कोई घटना घटित होती है, जिसका असर सीधे जनता पर पड़े तो ऐसी स्थिति में बन्द कर आह्वान नहीं करना चाहिए। इस सदन को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के हित में विचार करना होगा। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह ने लोकसभा में एक बिल पेश किया है, जिसमें यह कहा गया है कि एक ऐसा आयोग बनना चाहिए जिसे चुनाव आयोग के समान शक्तियाँ प्राप्त हो और जब कहीं भी साम्प्रदायिक दंगे हो तो वह आयोग उसकी विवेचना कर सके और दण्ड दे सके। क्योंकि आज जो भी राजनीतिक और साम्प्रदायिक दंगे कराये जा रहे हैं, वह इसलिए कराये जा रहे है कि लोग उन दंगों से लाभ उठाकर लोकसभा और विधान सभा पहुँचना चाहते है। यदि कोई राजनीतिक आदमी दंगों में लिप्त पाया जाए तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आप कृपया बैठ जाएं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

उस आयोग को चुनाव आयोग की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। यदि इस प्रकार का कानून प्रदेश सरकार बना देगी तो यदि किसी प्रदेश में गुजरात जैसी सरकार होगी तो वहाँ इस कानून के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं हो सकती, इसलिए केन्द्र सरकार के द्वारा एक आयोग बनाया जाना चाहिए जिससे कि अगर कोई जातीय दंगे भड़काये जाते हैं तो उन पर कार्यवाही हो सके। मान्यवर, आप पूर्वांचल के भी है, आज पूर्वांचल में बहुत से लोग साम्प्रदायिक सौहार्द्र को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, चूँकि सरकार सचेत है इसलिए उनके प्रयास सफल नहीं हो पा रहे है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो राजनीतिक साथी यहाँ पर बैठे हुए है, उनको चाहिए कि दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में जो बिल हमारे नेता चौधरी अजित सिंह ने पेश किया है उस पर बहस करायें और उसमें जो खामियाँ हों उन्हें दूर करके एक ऐसे आयोग का गठन कराये जिससे कि दंगों पर हमेशा-हमेशा के लिए पाबन्दी लगायी जा सके।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, अब आप समाप्त करें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

मान्यवर, यहाँ पर जो माननीय सदस्य बैठे है, वह अपनी पार्टी के लोकसभा के सदस्यों से कहें कि उस बिल पर बहस करायें और उसे पास करायें और ऐसे कानून का निर्माण करें। जिससे कि इस प्रकार के दंगों पर पाबन्दी लगायी जा सके। जो देश-प्रदेश के अमन-चैन को खराब करके लोकसभा और विधान सभा में जाना चाहते है उनके मंसूबे सफल न हो सकें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अभी जो प्रश्न उठाया था, उसके बारे में संविधान के अनुच्छेद-177 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार के बारे में यह व्यवस्था दी गयी कि प्रत्येक मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को यह अधिकार होगा कि वह उस राज्य की विधान सभा में या विधान परिषद् वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में बोले और उनकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले और विधान मंडल की किसी समिति में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्यवाहियों में भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, यही तो मैं भी कह रहा था।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आजम खॉ)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल का पद बड़ा सम्मानित है। जब नेता विरोधी दल खड़े हो जाते है तो चाहे कोई भी माननीय सदस्य हो, खड़े नहीं होते है। इसलिए नेता विरोधी दल को ऐसी कोई भी बात नही कहनी चाहिए जिसकी पूर्ण जानकारी उन्हें न हो। जिस बड़े मन से उन्होंने इस सदन में प्रश्न रखा था, उन्हें उतने ही बडे मन से इस पर खेद भी प्रकट करते हुए अपना प्रश्न वापस ले लेना चाहिए। क्योंकि उनके इस कथन से माननीय मंत्रीजी का अपमान हुआ है और इस सम्मानित सदन में किसी भी व्यक्ति का इस प्रकार से अपमान किया जाना उचित नहीं है।

मऊ नगर में हुए दंगे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सर्वश्री लालजी टण्डन, स्वामी प्रसाद मौर्य, प्रमोद कुमार, राम स्वरूप सिंह तथा डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा दी गई सूचनाओं पर नियम-52 के अन्तर्गत चर्चा (क्रमागत)

श्री हुकुम सिंह- माननीय अध्यक्ष जी, बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। यह सर्वविदित है कि मऊ अति संवेदनशील रहा है, पहले भी रहा है।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आजम खॉ)-

मान्यवर, मेरे प्रश्न को ग्राह्य नहीं किया?

श्री अध्यक्ष-

मैंने अनुच्छेद पढ़ करके बता दिया और नेता विरोधी दल समझदार है, वह समझ गये हैं।

श्री हुकुम सिंह-

अगर आपकी अनुमति हो तो केवल सूत्र में अपनी बात रखना चाहूँगा। सर्वविदित है कि मऊ पहले से ही संवेदनशील माना गया है। जब कभी भी वहॉ पर कोई कार्यक्रम हुये, रामलीला या कोई अन्य कार्यक्रम, यह परम्परा रही है कि स्थायी रूप से कमिश्नर ने अपना कैम्प लगाया है और व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे हैं और सारे कार्यक्रम सम्पन्न कराकर ही गये है। पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी रही है कि स्थिति पर नियंत्रण रखे। इस बार क्या कारण था कि उस परम्परा को तोड़ा गया, क्योंकि कमिश्नर का शिविर नहीं लगा और पुलिस अधीक्षक ने अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानकर सारे कार्यक्रम को सम्पन्न नहीं कराया? इस बार अपवाद यह रहा कि स्थानीय विधायक के दवाब में दोनों अधिकारी वहॉ नहीं रहे। इससे एक गलत संदेश गया है। दूसरी बात एक एग्रीमेण्ट की बात कही गयी कि लिखितरूप से समझौता था कि 8 से 9 बजे रात के बीच में कोई लाउडस्पीकर नहीं बजाया जायेगा। थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि लाउडस्पीकर बजाना शुरू किया गया तो उसको बंद कराने का अधिकार किसको है? प्रशासन के

तत्वाधान में समझौता हुआ तो प्रशासन के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वह वहाँ जॉए और कहें कि जो समझौता हुआ है उसके अनुसार लाउडस्पीकर बजाना बंद करिये। क्या यह एक वर्ग विशेष को यह अधिकार होगा? वह संख्या में भारी पड़ते है, उनकी लाठी की शक्ति, फायरिंग की शक्ति ज्यादा है तो वह जा करके जबरिया बंद करायेगें। वहाँ पर भरत मिलाप का कार्यक्रम है, सारा स्टेज सज चुका है, मंच लग चुका है तो क्या एक वर्ग को यह अधिकार है कि वह जा करके मंच को तोड़ दें, बाधा पैदा कर दें। चूँकि अधिसंख्यक लोगों का विश्वास इन सारे के सारे कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है, प्रतिवर्ष परम्परा को निभा रहे हैं। कुछ लोग आ करके मंच को तोड दें और प्रशासन देखता रहे, प्रशासन निरीह बना रहे। उन लोगों का संख्या बल है, लाठी के साथ आ रहे है, फायरिंग कर रहे हैं, मंच को तोड़ रहे हैं। इससे क्या संदेश जायेगा कि मऊ का प्रशासन और प्रदेश सरकार पंगु बन कर रह गयी है या फिर स्थानीय विधायक के दवाब में कुछ करना नहीं चाहती। लेकिन सोचने की बात यह कि इस सारे कार्यक्रम को लेकरके, स्थानीय विधायक से लेकरके नेता प्रतिपक्ष से लेकर सभी सम्मानित नेताओं ने प्रशासन की चूक मानी है और अगर प्रशासन को दोषी माना है तो क्या उसकी जॉच नही होनी चाहिए। सवाल उठता है कि जॉच कौन सी एजेन्सी करे? क्या प्रशारानिक और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक जॉच होना ठीक रहेगा? उनसे न्याय मिल सकेगा। भारतीय जनता पार्टी ने सोच-समझ करके न्यायिक जॉच की मॉग की है। इसलिए सिटिंग हाईकोर्ट के जज से जॉच करायी जाए।

श्री अध्यक्ष-

दो घण्टे हो गये हैं, थोडा समय और बढ़ाना होगा।

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष जी, बहुत लम्बे समय तक मीडिया की तरफ इशारा करके दोष दिया गया कि आप लोगों ने मुझकों यह दिखा दिया, वह दिखा दिया, मीडिया क्या करे? सारे मऊ में कर्फ्यू लगा हुआ है उसके बाद विधायक जी सरकारी जीप में सवार होकर, पीछे 4 गनर है, हथियारों का प्रदर्शन करते हुए घूम रहे है। उसे सारे प्रदेश में टी0वी0 के माध्यम से देखा जा रहा है, टी0वी0 ने उसे कही और से तो नही दिखाया। सारा प्रदेश ही नहीं देश देख रहा है। एक व्यक्ति मजबूती के साथ हाथ हिलाकर इशारा कर रहा है इशारा साफ है चिन्ता मत करो जितनों का कत्ल करना हो कत्ल कर दो यह संदेश जा रहा है इससे हमें तकलीफ नहीं होगी। मुझे गर्व हे कि मुझे उस व्यक्ति के साथ काम करने का अवसर मिला है बिग्रेडियर उस्मान के साथ काम करने का मुझे कुछ समय का अवसर मिला है जिनका अभी नाम लिया गया लेकिन उनकी विरासत कहाँ पहुँच जाएगी। हम तो उनके साथ काम करने पर गर्व महसूस करते थे लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि महापुरूषों का नाम लेने के बाद हम अपना आचरण इस तरह का कर लें। पूरे प्रदेश को जलाने का षडयंत्र कर ले मेरा आग्रह है कि इसकी न्यायिक जॉच होनी चाहिए और हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जॉच कराने की सरकार घोषणा करे ताकि सारी बाते स्पष्टरूप से सामने आ सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्रीमती लुईस खुर्शीद-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं माफी चाहती हूँ नेता प्रतिपक्ष ने बहुत अजीब माहौल इस सदन में और सदन के बाहर पैदा करने की कोशिश की।

---

* वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपने कहा कि इस देश में हिन्दू सुरक्षित नहीं है ऐसा नहीं है हाँ बी0जे0पी0 सुरक्षित नहीं है। आपका यह कहना बहुत गलत है कि इस देश में केवल अजान सुन सकते है भजन नहीं सुन सकते हैं। यह गलत बात है। नेता प्रतिपक्ष आप लखनऊ से निकालकर बाहर चलें गांवों में चले आप हमारे यहाँ कायमगंज फर्रूखाबाद चलें तो पता चलेगा कि नवरात्रि के अवसर पर रात-रात भर भजन सुनाई देते है। यह ऐसा देश है जहाँ हिन्दू मुसलमान दोनों रहते है यहाँ पर दशहरा और होली दोनों समुदायों के लोग मिलकर मनाते है। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी होली में गुलाब और रंग की जगह खून की होली खेलना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष ने गोधरा और गोबध का जिक्र तो किया लेकिन मऊ के बारे में बात नहीं की। मऊ के बारे में उनके पास लम्बी फेहरिस्त है लेकिन उस फेहरिस्त में वह 300 बुनकर परिवार शामिल नहीं है उसमें हिन्दू वाहिनी का नाम शामिल नहीं है। जबकि टी0बी0एस0 वेक्टर मोटर साइकिल तक शामिल है। वहाँ पर 300 बुनकर परिवारों की क्या हालत है उन परिवारों के घरों की चौखट तक उखाड़कर लोग ले गए।

श्री अध्यक्ष-

अब आप अपनी बात समाप्त करे। क्योंकि समय कम बचा है और किसी चर्चा में ढाई घंटे से ज्यादा समय नहीं होता है।

श्रीमती लुईस खुर्शीद-

मान्यवर, मुझे मुश्किल से समय मिला है। नेता सदन से भी मैं कहना चाहती हूँ कि नेता सदन जब लोग लूम निकाल रहे थे जब हैण्ड पम्प उखाड़ रहे थे, चौखट निकाल रहे थे कर्फ्यू के बाद भी ट्रैक्टर लगा दिए थे उस समय सरकार क्या कर रही थी। इसमें जिला प्रशासन का पूरा हाथ है। इसमें भाजपा दोषी नहीं है सपा भी दोषी है। इतिहास गवाह है जब राजा बीन बजाता है। जब राजा बीन बजाते है तो प्रदेश जल जाते है। हमारे यहाँ जो राजा है वह रोज बीन बजा रहे है। उस वक्त बीन बजा रहे है जब मऊ में दंगा हो रहा है। मऊ में दंगा फैलने के समय मुलायम सिह जी को एक बार भी वहाँ जाने का समय नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। आपसे आग्रह है कि आप बैठ जायं। माननीय त्रिपाठी जी आप अपनी बात शुरू करें। नियम-52 के अन्तर्गत आप जानते है कि ढाई घन्टे का समय होता है। एक घंटा 55 मिनट का समय हो गया है। आप खुद अध्यक्ष रहे है।

*श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

मान्यवर, आपने चर्चा स्वीकार की है नियम 311 में।

श्री अध्यक्ष-

नहीं फिर काहे को उसमें बहस करें। आप अपनी बात शुरू करिये।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

नियम-52 में ढाई घन्टे का प्रतिबध है। लेकिन नियम 311 में तो सारे नियमों को निलम्बित करके अबाध चाहे जितनी चर्चा करनी हो चर्चा हो सकती है।

श्री अध्यक्ष-

मैने नियम-311 को परिवर्तित करके नियम-52 में कर दिया है। नियमों को निलम्बित करके नहीं कहा। आप अपनी बात कहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

उसी पर तो हमारी आपत्ति थी।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी बात कहें।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

मैं अपनी बात संक्षेप में बताना चाहता हूँ। मान्यवर, मऊ में साम्प्रदायिक दंगों का इतिहास रहा है और जब इस बात की आशंका हुई कि वहाँ दंगा फैल सकता है प्रशासन ने पहले इंतजाम किए। कई ऐसे अवसर आये जहाँ प्रशासन के इंतजाम के बाद भी दंगा रूक नही सका। चाहे भावनाओं का टकराव रहा हो, चाहे पहले से लोगों ने तय कर लिया हो कि दंगे होने है तो दंगे हुए है। इस बार थोड़ी सी पृष्ठभूमि बहुत संक्षेप में माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में आपके माध्यम से लाना चाहता हूँ। 3 अक्टूबर को एक मंदिर में मूतियाँ तोड़ी गई। हनुमान जी की मूर्ति नदी में फेंक दी गई लेकिन पुलिस के द्वारा अपराधियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह सब इस दंगे की पृष्ठभूमि है जिस ओर मै आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूँ। 9 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के लिये मंच सजा। एक भवन जो अब व्यवसायिक भवन है जिसमें कभी उर्दू लाइब्रेरी रहा करती थी, उस मंच के दो बॉस उस भवन से छू गये। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने इस पर आपत्ति की तो बहुसंख्यक समाज के लोगों ने कहा अच्छी बात है, अब पूरा मंच तो तोड़ा नहीं जा सकता पर जो दो बॉस निकले है उनको आरी से काट दिया जायेगा। एक बॉस काटा जा रहा था कि अचानक कौन हुआ बी0एस0पी0 घायल हो गई। कोई कार्यवाही नहीं हुई। न दंगा रूका, न कोई गिरफ्तार किया गया।

13 तारीख हो गई। 13 तारीख को शाम भरत मिलाप का आयोजन होना था। पिछले दस सालों से यह होता आ रहा हे। उस मदरसे को शाम को खाली करा लिया जाता है पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी आ जाते और मदरसे की छत पर पुलिस तैनात कर देती है फिर भरत मिलाप सकुशल सम्पन्न हो जाता है। इस बार ऐसा नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया उस बारे में हुकुम सिंह जी ने उल्लेख कर दिया है और वह एक जॉच का विषय हे कि पिछले 10 सालों से अपनाई जाने वाली पद्धति नहीं अपनाई गई। कोई भी कारण हो सकता है। भरत-मिलाप का लाउडस्पीकर उपद्रवियों ने तोड़ दिया, कुछ कर दिया बहरहाल समझौता हुआ। अब उस समझौते में बहुसंख्यक समाज ने यह तय कर लिया कि अच्छी बात है अगर आपको कोई आपत्ति है तो हम 29 तारीख को भरत-मिलाप का आयोजन कर लेंगें। कोई उत्तेजना नहीं, कोई कटुता नहीं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में यह समझौता हुआ। दूसरे दिन कुछ लोग जैसे ही दिन निकलता है स्कूल में बच्चों के आने जाने का समय होता है। कल तरावी की नमाज में लाउडस्पीकर क्यों बजाया गया इस बात को लेकर के सड़कों पर उतर आते है और दंगे की शुरूआत हो जाती है। दंगे की शुरूआत इस बात से नहीं होती है कि कल भरत मिलाप में लाउडस्पीकर क्यों रोक दिया गया। जब समझौता हो गया तब कहाँ शुरूआत की बात हुई। सारे हिन्दू समाज ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हम भरत मिलाप 29 तारीख को करेंगे। लेकिन 14 तारीख की सुबह से दंगा प्रारम्भ हो गया। 15 हो गई, 16 हो गयी 72 घंटे तक दंगाइयों को नंगा नाच करने की पूरी छूट थी। 16 तारीख को, 15 तारीख को पुलिस महानिदेशक जाते है। प्रमुख सचिव गृह जाते हैं, दूरदर्शन पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम नीचे देखते है कि दंगाइयों को गोली मारने का आदेश, मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि 14,15,16 तारीख की दोपहर तक क्या मऊ में एक भी गोली चली क्या? मऊ में एक राउन्ड तो दूर एक भी गोली चली क्या? महानिदेशक के

निदेश के बाद भी गोली नहीं चली। क्योंकि प्रदेश की सरकार नहीं चाहती थी कि कोई ऐसा बलवाई घायल हो जाए जिससे वोट बैंक प्रभावित हो। 72 घंटे तक लूट होती रही, मार होती रही।

मैं, माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय लालजी टण्डन जी जाना चाहते थे। 16 अक्टूबर को, उन्हें नहीं जाने दिया। लखनऊ में ही हमारे पास आर्डर दे दिया गया कि आप लोगों का मऊ प्रवेश वर्जित है। कोई बात नहीं मऊ नहीं जाएंगे। आपका आदेश है नही जाएंगे। हमें रोका जा रहा है बाराबंकी में। वहां रोके जाने के कोई आदेश नहीं थे। जौनपुर में रोका जा रहा है। शाहगंज के पहले जिलाधिकारी आ जाते है। आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्यों नहीं बढ़ने देंगे? हम आजमगढ़ जा सकते थे? मऊ के बाहर जा सकते थे? जानकारी ले सकते थे। मऊ जल रहा है। हमको जानकारी लेने से रोक दिया लेकिन फिर भी हमारे बारे में कोई गलतफहमी न हो इसलिए शाहगंज से हम वापस चले आए। हमें कुछ घंटे बाद छोड दिया गया। हम वापस चले आए। लेकिन हमने गुहार लगाई राज्यपाल से। 16 तारीख को जब राज्यपाल कार्यक्रम बनाते है अपने जाने का। तब सरकार के कान खडे होते है कि अब तो मामला कुछ गड़बड हो जाएगा। लिहाजा बात होती है फिर। महामहिम से बात होती है। माननीय मुख्य मंत्री से बात होती है। क्या बात हुई मुझे मालूम नहीं। इतना समाचार-पत्रों में आया उसका उल्लेख करूँगा तो आप कहेंगे कि समाचार पत्रों का उद्धरण आप दे रहे हैं। वह मान्य नहीं इसलिए मैं उसकी बात नहीं करूँगा लेकिन इतना सत्य है कि महामहिम राज्यपाल को मऊ जाने से रोका गया। क्यों रोका गया? हम तो एक राजनीतिक दल के थे। राज्यपाल तो कार्यपालिका के सर्वश्रेष्ठ हैं। कार्यपालिका के शीर्ष पुरुष है उनको जाने से क्यों रोका गया। स्थिति खराब हो जाएगी। राज्यपाल के जाने से स्थिति क्या खराब हो जाती? उनके जाने से क्या व्यवस्था खराब हो जाती मुझे मालूम है। क्योंकि अभी जब हम लोग 14 नवम्बर को गए है तब मुझे मालूम हुआ कि क्या बात है क्या कारण है राज्यपाल साहब के आगमन पर यह निर्देश दिए जा रहे थे यह जली मोटर साइकिलें सड़क के किनारे है यह हटा दो। यह स्कूटर जली है हटा दो। यह ट्रैक्टर जला है हटा दो। ताकि राज्यपाल महोदय के सामने यह सच्चाई न आये। यह बात जलाहपुर मोड़ के तमाम यादव बस्तियों के लोगों ने, बाजार के दुकानदारों ने बताई कि कोशिश की उन्होंने, कि हटाया जाए। लेकिन हम लोग भी अड़ गए वह लोग बाजार के लोग अड़ गए कि यह चीजें नहीं हटेंगी।

14 नवम्बर को जब हम लोग गए हैं तो जली हुई मोटरसाइकिल, जली हुई स्कूटर, जला हुआ ट्रैक्टर, मकानों में आग लगी है, दुकानें तोड़ डाली गई है। शटर के पीछे उठाकर देखा तो एक सामान नहीं है। एक वृद्ध रोती हुई महिला आई मेरे घर में चूल्हा तक टूट गया है उसने टूटा हुआ चूल्हा दिखाया। बिस्तर में आग लगी हुई है। बिछाने को बिस्तर नहीं। ओढ़ने को रजाई कम्बल नहीं है। खाना पकाने को बर्तन नहीं है। यह जलालपुर मोड़ के पास मैंने अपनी ऑख से देखा और जब मैंने पूछा कि सरकार की तरफ से आपको कोई मुआवजा मिला उन्होंने कहा आज तक एक पैसा मुआवजा नहीं मिला। 14 नवम्बर तक जिनकी दुकानें जली, जिनके मकानों में आग लगी उनको एक पैसा मुआवजा नहीं मिला। हम लोग आगे बढ़े देखा कि छांट-छांटकर बहुसंख्यक समाज की दुकानों को तोड़ा गया। आग लगाई गई उसका थोड़ा सा उल्लेख माननीय टण्डन जी ने किया है। मैं दोहराने का आदी नहीं हूँ। उतरे हम वहां और दसियों हजार आदमियों की भीड़ हिन्दू और मुसलमान की थी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। हम लोगों ने, हम थे वहां, माननीय कल्याण सिंह जी थे। हमारे साथ प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री थे दोनों ने खूब जमकर बात की। हिन्दू लोगों ने अपनी बात कही मुस्लिम लोगों ने बात कही। हम लोग निरीक्षण करके आगे बढ़े। आगे एक स्थान था जहां लोगों ने रोकने की कोशिश की। लेकिन वहां तैनात जो पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने कहा कि

यह बहुत संवेदनशील इलाका है आप यहां पर मत रुकिए। कहीं कोई बात हो जाएगी तो आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है हम लोगों ने उनके आदेश का पालन किया। लेकिन वहां एक घटना हुई जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हम लोगों के काफिले के साथ भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की पदाधिकारी महिला जैसे ही उस बिन्दु से गुजरने लगी . . (लाल बत्ती होने पर) समय की बात इस समय न करें।

मैं तथ्य रखना चाहता हूँ, महिला मोर्च के जो हमारे पदाधिकारी थे, उनको मोटर से खीचने की कोशिश की गई लेकिन जो पुलिस वहाँ तैनाती थी, उसने उनकी रक्षा की। उसके बाद हम लोग देवपुरा जाते है, वहाँ लोग रो रहे है, बिलख रहे है, वहाँ पर जरी का काम करने वाली जो मिल थी, वह पूरी तरह ध्वस्त कर दी गई थी, मिल में एक सूत नहीं बचा। लोगों ने बताया कि इस मिल में 35 लाख रूपये का नुकसान हुआ है लेकिन क्या 35 पैसे की भी व्यवस्था सरकार ने उसके लिए की? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते है, लगभग डेढ़ सौ राजभर परिवार है, वह आकर रोने लगे, उन्होंने बताया कि हमारे घर लूट लिए गए, कुछ भी नहीं बचा और उन्होंने बताया कि हम लोग 3-4 रातों तक बगल में जो रेलवे पटरी है, उसके किनारे रात बितायी। जब उनसे पूछा कि रेलवे पटरी के किनारे क्यों रात बितायी तो उन्होंने बताया कि वहाँ कम से कम हमारे पास रेलवे लाइन के किनारे की गिट्टियाँ तो थी जिससे हम लोग अपनी कुछ रक्षा कर सकते थे। उनसे कहा गया कि यदि हिन्दुओं के पास आत्मरक्षा के लिए हथियार है तो उठा लेना, कानून में भी यही अनुमति है। मऊ में जब पुलिस ने अनुमति मांगी तो उसको अनुमति नहीं दी गयी। लोगों ने बताया कि आर0पी0एफ0 शहर के बाहर लगी है, गोपाल पांडये की मौत हुई है ओर उनके परिवार वालों को 2 लाख रूपये का मुआवजा दिया गया है। मऊ में जो घटना हुई है, बहुत ही दुखद घटना है, 13 दिन तक मऊ से होकर रेलगाड़ी नहीं गई। माननीय सदस्य ने कहा कि मेरे पास एक सी0डी0 है और कहा कि मै और टण्डन जी जो फैसला करेंगे।, फैसला नहीं है लेकिन मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूँ कि जो डी0जी0पी0 ने कहा कि फलों को पकड़ना आसान नहीं है तो इससे उसने कौन सा सन्देश दे दिया? इससे इनकी जो छवि थी उसको उन्होंने प्रदेश के सामने रख दिया। मैं पूछना चाहता हूँ आपने तो सी0बी0आई0 से जॉच की मांग क्यों नहीं कर रहे है?

श्री अध्यक्ष-

त्रिपाठी जी, समय हो गया है।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

मान्यवर, हमने जुडीशियल इन्क्वारी की मांग की है। मेरे पास तमाम कागजात है, मैं आपके पास उन्हें भेजूँगा। इस मामले की किसी सेवारत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराई जाये। वहाँ पर जो मकान और दुकानें जली है, किरायेदारों को मकान बनाने के लिए इजाजत नहीं है, मेरा मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि वह रेंट कन्ट्रोल एक्ट का बिल इसी सत्र में लाये ओर उसमें यह प्राविधान करें कि जिन किरायेदारों को क्षति हुई है वह किरायेदरों उन्हें बना लें। मुआवजे की जो घोषणा की है, वह आपकी विश्वसनीयता का प्रश्न है, दो लोगों को मुआवजा मिला है, एक वह जो रेलवे लाइन पर गोधराकाण्ड पर मरे है और और दूसरे गोपाल पाण्डेय है।

श्री अध्यक्ष-

त्रिपाठी जी, 15 मिनट हो गया है।

अब आप बैठ जाइए।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं नेता सदन से कहना चाहता हूँ कि 1975 में हमने भी भोगा है आपातकाल, और आपने भी भोगा है। उस समय जो आह लगी थी तो शासन पलट गया था। आपको मै इतना ही याद दिलाना चाहता हूँ।

(डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइए। सवा दो घण्टे हो गये है। जो पूछना हो वह मुख्य मंत्री जी से स्पष्टीकरण में पूछा लीजिएगा।

(श्री मुंशीलाल गौतम, श्री राम इकबाल सिंह, सहित भाजपा के कई माननीय सदस्यों के खड़े होने तथा एक साथ बोलने पर सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया) (व्यवधान के मध्य)

देखिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप बैठ जाइए। सबसे ज्यादा समय आपको मिला है, बैठ जाइए। जब मुख्य मंत्री जी बोल लेगें। तो बाद में स्पष्टीकरण पूछ लीजिएगा। पहले आप बैठिए। राधा मोहन दास अग्रवाल जी आप बैठ जाइए। नेता विरोधी दल कृपया आप अपने दल के सदस्यों को चुप करा दें। माननीय मुख्य मंत्री जी आप बोलें।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, पहले इन्हें तो बैठाइए।

श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी भी तो दलीय नेताओं की श्रेणी में आते है।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा के लिए डेढ़ घण्टे का समय निर्धारित था, आपके आग्रह पर दो घण्टे किया गया फिर दो घण्टे से ज्यादा बढ़ा दिया गया। ढाई घण्टे से ज्यादा चर्चा नहीं हो सकती। जो आप नहीं कह पाये हों वह आप स्पष्टीकरण में पूछ लीजिएगा। यह परम्परा अच्छी नहीं है। देखिए, सब महत्वपूर्ण दल बोल चुके है! सारे तथ्य आ गये। अब आप बैठ जाइए। जब मुख्य मंत्री जी बोल चुकेंगे तब आप स्पष्टीकरण ले लीजिएगा। आप बार-बार इतना समय क्यों नष्ट कर रहे है?

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

(घोर व्यवधान के मध्य).

माननीय सदस्य जब मुख्य मंत्री जी बोल चुकेंगे तो जिस बात पर आपको संतोष नहीं रहेगा आप उसमें स्पष्टीकरण पूछ लीजिएयेगा। माननीय नेता विरोधी दल मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने सदस्यों को शांत करें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, किन नियमों के तहत हमें नहीं सुना जा रहा है? मैं भी हिन्दू महासभा विधायक दल का नेता हूँ और मुझे भी बोलने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें।

(डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल सदन के फ्लोर पर आ गये।)

श्री अध्यक्ष-

आप वापस जायें। यह कोई तरीका नहीं है। इस तरह से नहीं चलेगा। मैंने आपसे कहा है कि जब मुख्य मंत्री जी बोल लेंगे तो आप उनसे स्पष्टीकरण पूछ लीजियेगा। आप क्या बोलेंगे? क्या आप पंडित केशरी नाथ त्रिपाठी जी से, नेता विरोधी दल से, नेता बसपा से अलग कोई तथ्य रखेंगे?

श्री मोहम्मद आजम खॉं-

मान्यवर, पूरा सदन इस बात का साक्षी है कि जब सत्ता दल के एक सदस्य ने व्यवधान किया, हालांकि हमारी नजर में वह व्यवधान नहीं था, वह अपनी बात रखना चाहते थे, अपने मन की पीड़ा कहना चाहते थे, जो अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती हुई है उसे कहना चाहते थे लेकिन बहुत ही सख्ती के साथ उनको रोका गया। हमने उन्हें बोलने से मना किया। मैं रिजवी जी की बात कह रहा हूँ। उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया।

(डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल सदन के फ्लोर से जब कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके एक सदस्य है, को बोलने का अवसर दिया गया तो मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है?)

श्री अध्यक्ष-

कम्युनिस्ट पार्टी के एक नहीं दो सदस्य है। अकेले है और आपके दल को मान्यता भी नहीं है। आप बैठ जायें। मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैंने आपसे कहा है कि स्पष्टीकरण पूछ लीजियेगा आप अपनी सीट पर जायें।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, इनको दो मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

पहले जो संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे है उसे सुनने दें।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया शान्ति रखें। डा0 साहब आप जगह पर जाकर बैठ जायें।

डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल-

मान्यवर, जब तक हमें अपनी बात कहने का अवसर नहीं देगें मैं अपनी जगह पर नहीं जाऊँगा।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी जगह पर जाकर बैठ जायं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे है, इनकी बात को सुनने दीजिये।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, इन्हें दो मिनट बोल लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

डेढ़ घण्टे की चर्चा, ढाई घण्टे में बदल गई, अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है?

(भाजपा के कुंवर भारतेन्द्र सिंह भी डा0 राधा मोहन दास का समर्थन करते हुए सदन के फ्लोर पर आ गए। नेता विरोधी दल के प्रयास से फ्लोर पर आये हुए सदस्यगण अपनी अपनी जगह पर वापस चले गये।)

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल जब बोल रहे थे तो हमारे माननीय रिजवी साहब ने कुछ अपनी बात कहनी चाही थी तो बहुत कड़ाई के साथ हम लोगों ने उनको बैठाया कि नेता, विरोधी दल को हस्तक्षेप न कीजिए। अब आपने मुझे बोलने का आदेश दिया, हम खड़े हो गये तो कम से कम नेता विरोधी दल को भी नियन्त्रण में रखना चाहिए। लेकिन नेता विरोधी दल आपसे अनुरोध कर रहे है तो आप इन्हें दो मिनट बोलने का अवसर दे ही दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, डा0 अग्रवाल जी, सिर्फ तीन मिनट है, आप इतने समय में संक्षेप में अपनी बात कह लें।

*डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि यह दंगा समाजवादी पार्टी के दो गुटों की आपसी लड़ाई, वर्चस्व का प्रतिद्वन्दता का प्रतिफल है। एक माननीय विधायक की गतिविधियों की चर्चा हुई, दूसरा जो नगर पंचायत का सदस्य है और रासुका का अपराधी रहा है आज तक उसकी चर्चा इस सदन में नहीं हुई न किसी जांच में हुई। मैं मांग करता हूँ कि यह जांच होनी चाहिए। जो मऊ का नगर पंचायत सदस्य जिसके ऊपर एक जमाने में रासुका लग चुका है उसकी भूमिका क्या थी? इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या प्रशासन ने पर्याप्त पुलिस बल मांग की थी? शासन में कौन से वे लोग थे जो मांग करने के बाद भी प्रशासन को पुलिस उपलब्ध नही करा रहे थे, यह जांच होनी चाहिए कि पुलिस क्यों गलियों में नहीं भेजी गई? क्यों सड़कों पर भेजती रही। इस बात की जांच होनी चाहिए कि एस0पी0 ट्रांसफर हुआ, डी0आई0जी0 ट्रांसफर हुआ, सी0ओ0 राम नारायण यादव जिसने सबसे अधिक बरगलाया सबको, जिसने एस0पी0 को लगातार रिपोर्ट दी, उसका स्थानान्तरण क्यों नहीं हुआ? इस बात की जांच होनी चाहिए कि प्रशासन का ए0डी0जी0पी0 बाबू लाल यादव जो स्वयं बीस दिनों तक वहां रहा, जिसके प्रति स्वयं उसकी जिम्मेदारी बनती थी, उसके प्रति कार्यवाही क्यों नही हुई? उस आदमी ने कैसे पुलिस अधिकारियों के बीच में बैठ करके अपनी ओर से बयान दिया कि भाजपा के सांसद ने दंगा फैलाया। मैं मांग करता हूँ कि इसकी जांच हो और सबसे बड़ी चीज आज तक यह अखबार है हिन्दुस्तान, इसमें बी0एन0 राय एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कमेण्ट है कि किस प्रकार से पुलिस मानसिकता ग्रस्त है, मुस्लिम विरोधी, एक ऐसे पुलिस अधिकारी, बड़े पदों पर बैठा हुआ पुलिस अधिकारी अगर पुलिस की मानसिकता के बारे में इस प्रकार से खुलेआम टिप्पणी कर रहा है तो मैं नहीं जानता हूँ अगर वह वही बी0एन0 राय है जो जांच कमेटी में है तो मै नही समझ पाता हूँ कि ऐसी जांच कमेटी बनाने का मतलब क्या होगा? अध्यक्ष महोदय, मै इस बात की मांग करता हूँ कि यह सारी चीजें बेनकाब होनी चाहिए। इस देश में हिन्दू अगर अपना त्योहार नहीं मनायेगा, रामलीला नहीं मनायेगा।

मान्यवर, ये राम मनोहर लोहिया के अनुयायी रामलीला की जो बात करते है तो किस आधार पर कहते है कि वे समाजवादी पार्टी की विचाराधारा के पाल है। अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज अपने त्यौहार को नहीं मना पायेगा तो कैसे काम चलेगा?

---

* वक्ता ने भाषण का पुर्नीक्षण नहीं किया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, इस ढाई घण्टे की चर्चा में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से केवल मै मात्र पांच मिनट बोला हूँ जबकि कांग्रेस पार्टी के 10 विधायक है और वहाँ से चार-चार लोग बोल चुके है। जिसने दंगा कराया वहाँ से दर्जनों लोग बोल चुके है और जिसने दंगा कराने की छूट दी वहाँ से दर्जनों लोग बोल चुके है। तो यह कहाँ का न्याय है कि हमारी तरफ से एक ही आदमी बोले?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, इनके साइज के हिसाब से ही टाइम दीजिएगा।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, अगर बहुजन समाज पार्टी की ओर से सुखदेव राजभर जी बोलना चाहते है तो लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अगर सरकार सहमत है और विपक्ष के सदस्य बोलना चाहते है तो हमें क्या आपत्ति है?

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, इस सूचना में मेरा भी नाम है।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मेरा भी नाम है। मेरी तो वहाँ गिरफ्तारी भी हुई है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राम नरेश यादव जी को बोलने दें। जब हम आप यहाँ सदस्य नहीं थे तो वे यहाँ नेता सदन थे। आपका तो अन्य सूचनाओं में भी नाम है।

श्री राम नेरश यादव-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने और माननीय नेता सदन ने मुझे इस सूचना पर बोलने का मौका दिया है। मैं इसलिए भी इस पर बोलना चाहता हूँ कि एक तो यह मेरे जनपद का हिस्सा रहा है और आज भी मै उसे अपना हिस्सा समझता हूँ। वहाँ पर जिस तरह की घटना घटी है वह बहुत ही शर्मनाक है और निन्दनीय है और मानवता पर एक बहुत बड़ा कलंक है और जो धब्बा लगा है उसे धोया नहीं जा राकता है।

मान्यवर, इस सदन की एक गरिमा रही है और जब भी ऐसे मौके आये है तो सारे लोग राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर बात करते रहे हैं और यहाँ से शान्ति की अपील होती रही है। साथ ही साथ इस बात की भी जरूर चर्चा होती रही है कि कही फिर हमारी वजह से जो घाव हुआ था और उन घावों पर जो मलहम लग रहा है फिर से वह घाव हरा न हो जाए। मान्यवर, जिस तरीके से यहाँ पर हिन्दू मुस्लिम के नाम पर और जाति बिरादरी के नाम पर चर्चा हो रही है वह ठीक नहीं है नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की तरफ से इस तरह की चर्चाएं हुई। मान्यवर, जो वहाँ घटना घटी उसमें न हिन्दू देखा गया, न मुस्लिम देखा गया और न कोई जाति बिरादरी देखी गई। चाहे हिन्दू हो या मुस्लिम हो, लोगों के मकान जलाये गये है हैण्डलूम पावरलूम के करघे जले है, हैण्डपम्प तक तोड़े गये है। मकानों की खिड़की दरवाजे तोड़े गये है। ये बातें कही गई कि मुस्लिमों ने हिन्दुओं पर आक्रमण किया जबकि वस्तुस्थिति जिन्होंने देखी वह हकीकत जानते है। लेकिन मान्यवर, जिस तरह की स्थिति वहाँ पर पैदा हुई उसके लिए विशेष रूप से प्रशासन जिम्मेदार है।

वहाँ पर 14 तारीख को फायरिंग हुई और प्रशासन 4-5 दिन सोता रहा। घर जलते रहे और आग लगाई जाती रही। प्रशासन को उसकी रोकथाम के लिए जो कदम उठाना चाहिए था वह नहीं उठाया गया। जिसके परिणाम स्वरूप इतनी भयावह घटना हो गई। मान्यवर, मैं विशेष रूप से वहाँ के नागरिकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया और जिस कारण से जो घटना घटी थी उसका असर आसपास के जिलों पर नहीं पड़ा। वह लोग शान्ति के साथ बैठे कि फिर से अच्छा वातावरण बन जाय और हमारे कारोबार चल सके?

ऐसे अवसर पर जब इस तरह की सारी घटनाएँ हुई है तो मेरा आपसे निवेदन है अभी प्रमोद जी ने सारी बाते रखी है, लेकिन मेरा निवेदन है कि जो 10 लोग मेरे है उनके प्रति हम शोक संवेदना व्यक्त करते है चाहे वह किसी भी जाति धर्म के रहे हो। दूसरी बात यह है कि जब वे चले गये हमारे बीच से तो उनके पीछे उनकी संतानें है, गरीब लोग है, इसलिए कम से कम 10-10 लाख रूपये की व्यवस्था सरकार की तरफ से उनके परिवार के लोगों को राहत के नाम उनको देना चाहिए। बहुत से घर जले है, हैण्डलूम जले है या जलाये गये है।

मेरा सरकार से निवेदन है माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि अभी जब भाषण देने के लिए खड़े होंगे, अपना वक्तव्य देने के लिए तो उनसे मेरा निवेदन है कि बाकी इस बात की घोषणा करेंगे कि जिनके मकान जले है, करघे जले है या नष्ट हुए है या जलाये गये है तो उनके लिए धन व्यवसाय की बात होनी चाहिए। मऊ कस्बा बहुत मशहूर है बुनकर का इलाका है, बाहर के मजदूर आते रहे वहीं। करघे पर काम करते रहे, सारे लोगों की रोज़ी-रोटी छिन गयी है। यहाँ तक कि जो कमजोर वर्ग के लोग थे वह भी बहुत बुरी तरह से तबाह हुये है। इसलिए उनकी रोजी-रोटी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। मै यह भी कहना चाहता हूँ कि मै जा रहा था तो मुझे रोक दिया गया, मजिस्ट्रेट आये उन्होंने कहा आपको गिरफ्तार किया जाता है मैने कहा जेल ले चलिये उन्होंने कहा कि इन्सपेक्शन हाउस ही आपके लिए जेल है। 3 घंटे तक वहाँ रहा लेकिन इसके बाद बराबर प्रयास करता रहा, नहीं जाने दिया गया फिर 13 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे साथियों के साथ वहाँ की जो स्थिति देखी तो बड़ी रूलाई आती थी, बड़ी दर्दनाक स्थिति थी। इसलिए एक बार फिर जो लोग मर गये है उनके प्रति श्रद्धाँजलि है, शोक संवेदना व्यक्त करते है, पुर्नव्यवस्था की बात जरूर होनी चाहिए। क्योकि वही उनकी जीविका का आधार रहा है इसमें न हिन्दू देखा जाना चाहिए और न मुसलमान देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, आपने जो बोलने की अनुमति दिया है उसके लिए मै आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ मऊ दंगे के चरित्र और चित्रण के बारे में पूरी बात आ चुकी है मै उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। शासन और प्रशासन ढिलाई किये है। मौजूदा सरकार को प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी लोकदल पार्टी प्रतयक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी उसकी मदद कर रही है और कुछ हमारे 40 बागी विधायक भी मदद करते है। यह भारतीय जनता पार्टी, लोकदल कम्युनिस्ट पार्टी ओर कांग्रेस पार्टी के समर्थन की सरकार है। तमाम सदस्यों ने सीने पर हाथ रखकर कहा है कि प्रशासन बहुत बदमाशी किये है। कांग्रेस के नेता ने कहा कि आज सरकार कटघरे में खड़ी हो गयी है जो सहयोगी दल है आज दुख का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के उच्च सदन के सदस्य और समाजवादी पार्टी के विधान सभा के सदस्य मुल्जिम बनाये गये है दानों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरफ के लोग। हम लोग तो इंसानियत के आधार पर इस पूरे खेल को देख रहे है इधर भी मुल्जिम उधर भी मुल्जिम इधर भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे है और उधर भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और सब कह रहे है कि शासन प्रशासन दोषी है। कितनी क्षति हुई है उस पर हम लोग दुख व्यक्त करते है जानमाल की जो क्षति हुई है उस पर मुआवजे की मांग करते है। आज सवाल यह नहीं कि शीशा टूटा या बचा अब सवाल यह है कि पत्थर किधर से आया उसकी जॉच हो रही है उसी की बहस हो रही है। इसके लिए दोषी कौन है, बहुत से सदस्यों ने हमारे अध्यक्ष ने, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी मांग किया है, हम लोग भी मांग कर रहे है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जब एक बात सदन में आ गयी, एक समाजवादी पार्टी के सदस्य ने भी कहा कि जॉच होनी चाहिए, एक-एक घटना की जॉच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने, लोकदल ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने और नेता प्रतिपक्ष ने भी मांग किया है हमारे नेता ने मांग किया है जब पूरे सदन ने मांग किया इसमें कहीं से कटौती सीबीआई जांच की नहीं होनी चाहिए। जब सत्तापक्ष के सहयोगी दल ने कटघरे में खड़ा कर दिया और कह दिया कि शासन प्रशासन के लोग दोषी है।

इतनी बड़ी बात जब उच्च सदन में आ गयी और पूरा प्रदेश देख रहा है कि मऊ दंगे पर आज बहस हो रही है और सदन में कोई फैसला होने वाला है और मुलजिमों को सजा मिलेगी।

मान्यवर, मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि जब कातिल ही अपराधी और कातिल ही सिपाही है तो फैसला कहॉ से आ पायेगा? हम बहुजन समाज पार्टी के लोग चाहते है कि यह प्रदेश में जो नौटंकी हो रही है, यह बंद हो और इंसानियत और मानवता के आधार पर पूरे प्रदेश में, चाहे वह हिन्दू भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, जिनकी क्षति हुयी है, उनको बराबर मुआवजा मिले और इस मामले की सी0बी0आई0 जॉच हो। आज यह एक मुद्दा बन गया है कि राजस्व विभाग के एक अधिकारी से यह जॉच नहीं हो पायेगी। पूरे सदन ने इसमें जॉच की मॉग की है, सत्ता दल के लोगों ने भी मॉग की है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मॉग किये है और मुआवजे के लिये जोर दे रहे है। नेता, विरोधी दल ने [x x x] कहा, अगर आप इस तरह बोलेगे तो उस दिन धर्मनिरपेक्षता और राम की वाणी बंद हो जायेगी। सबरी का बेर खिलाने वाले ऐसा ऐसा कहते है। आज तक चाहे हिन्दू मरे हों, चाहे मुसलमान मरें हो, चाहे यादव हो, उसमें भेद नहीं किया गया है। हम लोग इंसानियत में भरोसा रखने वाले लोग है, बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर की नीतियों में भरोसा रखने वाले लोग है, यह बहुजन समाज पार्टी इस बात की मॉग करती हे कि इस मामले की सी0बी0आई0 जॉच हो, मान्यवर, यह सरकार की नैतिकता का सवाल है। नेता सदन आप जाति के आधार पर मत बोलिये।

श्री अध्यक्ष-

जिन्हें आप नेता सदन कह रहे है, वह नेता विरोधी दल है।

(श्री राम करन आर्य द्वारा बीच में बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

आर्य जी, आप बैठ जायें, बीच में व्यवधान न करें।

माननीय सुखदेव जी, अब आप भी बैठ जायें।

श्री सुखदेव राजभर-

इसलिये आज बहुजन समाज पार्टी दलितों की लड़ाई लड़ेगी।

नोटः-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, आज मऊ के दंगे को लेकर माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता बसपा, माननीय नेता कांग्रेस पार्टी, माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी, माननीय राष्ट्रीय लोकदल और माननीय कई सदस्यों माननीय तिवारी जी, हुकुम सिंह जी ने और माननीय राम नेरश यादव जी ने अपने विचार व्यक्त किये है। लेकिन मै प्रारम्भ में ही कहना चाहता हूँ आज की बहस को मैंने मौन होकर गंभीरता से सुना। माननीय राम नरेश यादव जी ने और माननीय कांग्रेस के नेता ने जरूर यह बात कही कि सौहार्द का वातावरण बनना चाहिये। इसमें ऐसी बहस हुयी है इस सदन से लेकर संसद तक, कहीं किसी नेता ने यह आह्वान नहीं किया कि हम देश को एक रखकर समाजिक एकता, धार्मिक एकता को बनाये रखकर देश में शान्ति व्यवस्था बनाये रखनें की अपील करते है या ऐसा कोई प्रस्ताव लेकर आये।

एक भी माननीय नेता ने इस प्रकार के आदर्श की बात नहीं कही है और न ही इस प्रकार का आह्वान किया है, इसका मुझे अफसोस है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं को ले करके राजनीति नहीं की जाती और जो राजनीति करने वाले इस प्रकार की राजनीति करते है वह कभी कामयाब हुए नहीं। हॉ, इतना जरूर है कि समाचार-पत्रों में छप जाएगा और कुछ विशेष समुदाय के लोगों को सुना भी देंगे कि देखो हमने सदन में क्या-क्या बोला है। इसके अलावा ऐसे लोगों की राजनीति करने की उम्र लम्बी कभी नहीं हो सकती, उन्हें इस बात का एहसास करना चाहिए। जहॉ तक मऊ के दंगों का प्रश्न है, यह सही है जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा कि क्या इससे पहले दंगा नहीं हुआ था? वर्ष 1969 में दंगा हुआ, 1983 में दंगा हुआ, 1991 में दंगा हुआ और वर्ष 2000 में भी दंगे हुए। यहॉ सभी दल बैठे हुए है और मऊ में सभी की सरकारों के कार्यकाल में दंगे हुए है। जहॉ तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है तो इनके बारे में मेरा यही कहना है कि जब दंगाइयों के साथ मिल करके सरकार बनायेंगे ता दंगा होने का सवाल ही नहीं होगा। चोरी करने वालों को ही अगर पहरेदारी में लगा दो तो चोरी तो अपने आप ही रूक जाएगी। वह कौन साहब है, जिन्होंने ऐसी उपलब्धि और ऐसा तौर मारा है? यदि कभी आपके घर में चोरी हो और पता चल जाए कि चोर कौन है, तो उस को चौकीदार बना दो तो कभी भी चोरी का सवाल ही नही पैदा होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि दंगे को जितना गम्भीर बनाने की साजिश की गयी है, क्या उतना बड़ा यह दंगा था? पूरे के पूरे देश और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ हमारे गैलरी में बैठे हुए लोगों ने इसे ऐसा उछाला कि जैसे आज तक इस प्रकार का कभी दंगा हुआ ही नहीं, जैसा कि मऊ में हुआ है।

अपने राजनीतिक फायदे के लिए दंगे को ज्यादा प्रचारित किया है। मैं समझता हूँ कि नेता विरोधी दल हमेशा सही तथ्य सामने रखते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या 15 दिनों तक रेलगाड़ियॉ रुकी रही? मैं कहूँगा कि 19 तारीख को ही रेलगाड़ी चलनी शुरू हो गयी थी। 19 तारीख तक कुछ एक आध रेल..ड़ेयॉ रूकी रहीं और उसके बाद चलनी शुरू हो गयी थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि दंगा कब शुरू हुआ था? आखिर दंगा कराने वाले लोग कौन थे? जिन दंगाइयों को आप कह रहे है, उन दंगाइयों को कौन संरक्षण दे रहा है? 14 तारीख को दंगे की शुरूआत हुई रास्ता रोक करके, रास्ता जाम करके। 29 अक्टूबर को भरत मिलाप हो, यह फैसला किसने किया था? यह फैसला दोनों समुदाय के लोगों ने किया था, भारतीय जनता पार्टी एवं हिन्दू वाहिनी के नेताओं ने किया था। और उसके बाद नेताओं ने रास्ता जाम किया और कैसे-कैसे भाषण दिये, यह सभी जानते है। क्या आपको यह अच्छा लगेगा कि विधान सभा के किसी सदस्य को गिरफ्तार करना पड़े? यह सी0डी0 जो माननीय सदस्य लिये हुए है, यह सी0डी0 सही है, इस सी0डी0 को हमने भी देख लिया है।

लेकिन जब आपके पुकार, जनता की पुकार और महामहिम श्री राज्यपाल जी ने आरोप लगा दिया तो हमारी जिम्मेदारी थी कि सरकार की विश्वसनीयता रखने के लिए के लिए हमें मोख्तार अंसारी की गिरफ्तारी करनी पड़ी। आगे चल करके मुख्तार के बारे में पता चल जायेगा। जनभावनाओं का आदर करते हुए गिरफ्तार करनी पड़ी। उस वक्त इनको नहीं जाना चाहिए था, हम जानते थे कि आप दोष लगायेंगे। इसलिए उसको नहीं कहना चाहता हूँ। जॉच हो रही है और जेल में भी है। जॉच के बाद तस्वीर साफ हो जायेगी कि कौन जिम्मेदार है। आपके प्रोफेसर साहब है, इतने महत्वपूर्ण नेता है, मुझे उम्मीद नहीं थी, पहली बार उन्होंने इतना भड़काऊ भाषण 14 तारीख को दिया। 14 तारीख दंगे शुरू हुये, 15 को जारी रहा, 16 तारीख को भी 10 बजे के बाद दंगा हुआ। दो दिन के दंगे के बावजूद हमने प्रेस में प्रदेश और देश के सामने स्वीकार किया कि दो साल के हमारी सरकार के कार्यकाल में कलंक लग ही गया। क्या कभी आपने ऐसा बयान दिया है? यह बयान कौन दे सकता है? मैं आप पर छोड़ता हूँ, इस पर विचार करना।

त्रिपाठी जी, आप इस पर विचार करना, आप बहुत विद्वान है, अच्छे वकीलों में से है, सोचना। राजनीति में कौन यह स्वीकार करता है प्रेस के सामने कि दो साल के बाद कलंक लग ही गया? आप भी स्वीकार करते है कि हम दंगा रोकने में कामयाब हुए और लड़े भी। जो तरह-तरह के भाषण देते है उससे दंगों की ताकत बढ़ी है। अगर मऊ में सामान्य स्थिति नहीं है तो दोनों सम्प्रदायों के इतने महत्वपूर्ण त्योहार दीवाली और ईद बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से कैसे निपटे? क्या एक वर्ग विशेष के बहुमत वाले लोगों को कोई अधिकार ही नही रहा है। नेता विरोधी दल, आपकी पार्टी बड़ी है। आप ही बतायें कैसे हो गयी ईद और नमाज? कैसे मना ली गयी दीवाली? यह अलग है कि दुख: के साथ दोनों सम्प्रदाय के लोगों ने त्योहार मनाया, लेकिन दीवाली और ईद दोनों अच्छी तरह से मनाये गये। यह सामान्य स्थिति नहीं तो और क्या है? वैसी सामान्य स्थिति आप चाहते है? सामान्य स्थित की परिभाषा का पता चले। भारतीय जनता पार्टी और बसपा दोनों मिलकर बतायें कि कैसी सामान्य स्थिति होती है? वहॉ पर पूरी तरह से सामान्य स्थिति है। लेकिन सामान्य स्थिति को भाषण दे करके खराब करने की कोशिश मत कीजिए। यह अपील और प्रार्थना है। जब आप यह कहते है कि वहॉ पर दंगा लगातार हुआ है, कई बार हुआ, तो पहले से सावधानी क्यों नहीं बरती गयी? मैं पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2000 में सावधानी क्यों नहीं बरती गयी थी? आज दोनों सम्प्रदायों में दूरियॉ बढ़ती जा रही है, यह यह इस देश के लिए और प्रदेश के लिए खतरनाक होगा। दो बच्चे खेलते हुये लड़ जाते है तो दो सम्प्रदायों के बीच दंगा हो जाता है, दो साइकिलें लड़ जाती है तो दंगा हो जाता है। अगर दो साइकिलों के लड़ने पर दंगा होगा, लड़कों के खेलने पर दंगा होगा तो क्या आप इस पर विचार करेगे कि यह दूरियॉ क्यों बढ़ती जा रही है? एक दूसरे पर अविश्वास कितना है? अविश्वास के चलते इन दूरियों के बढ़ते हमारे देश और प्रदेश का क्या होगा? हमें और आपको यह विचार करने की जरूरत है कि कौन मरे है और कितने घर जले है? आज यह जो दूरियों बढ़ती जा रही है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह मुझसे मत कहलवाइये। ये दूरियॉ किसने बढ़ायी है? किसने बुनियाद डाली है?

प्रमोद जी, अब कभी मत कहना। इससे ज्यादा राजनैतिक गाली कोई नहीं होगी कि बी0जे0पी0 और हम दोनों मिले हुये है। यह राजनीतिक गाली मत दो कि हम बी0जे0पी0 से मिले है। यह कभी नहीं होगा। ऐसा फायदा हम राजनीति में कभी नहीं उठा सकते हैं। अगर आप हमारी बात मान गए होते तो यह दुर्दशा न होती जो बिहार में दुर्दशा हुई है। आप दिल्ली में अगर बैठे हैं तो यह केवल समाजवादी पार्टी के बलबूते पर बैठे है। नहीं तो राजस्थान में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? झारखंड में क्या हुआ? सभी जगह आप हारे। लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में इनको हराकर आपको दिल्ली पर

गद्दी पर बिठाया है। अगर उत्तर प्रदेश में 19-20 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई होती तो अटल बिहारी बाजपेयी देश के प्रधान मंत्री बने होते। लेकिन हम इनको 60 सीटों से 29 सीटों पर लाए और उसके बाद 9 पर खड़ा किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि केवल हम ही इनको सत्ता से दूर रख सकते है और यह इस महान प्रदेश की जनता के सहारे करेंगे। प्रमोद जी, आप तो समझते हैं लेकिन आपके साथी इस बात को नहीं समझते हैं। इस लड़ाई में यह बी0एस0पी0 वाले फायदा उठा रहे हैं। लेकिन यह ज्यादा घमण्ड में मत रहे। अभी हम लोग जनता के बीच निकलने वाले हैं, तब पता चल जाएगा कि किसमें कितना दम है। क्योंकि अभी तो आप लोग ही निकल रहे हैं। जब हम निकलेंगे तो पता चल जाएगा कि हालात क्या है? जहाँ तक विकास की बात है, नेता विरोधी दल जी, उत्तर प्रदेश के विकास का इतना प्रचार है कि उसी के सहारे आप बिहार में चुनाव जीते हैं। हमने दो साल में इतना काम किया है और इतना काम कैसे कर लिया यह प्रचार करके आपने बिहार में चुनाव जीता है।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया शांत रहे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

हुकुम सिंह जी, आप बहुत सीनियर हैं लेकिन फिर भी कुछ सीखिए। विश्व बैंक से लेकर योजना अयोग तक ने स्वीकार किया है कि हिन्दुस्तान में प्राथमिक शिक्षा के मामले में सर्वप्रथम अगर किसी ने काम किया है तो वह उत्तर प्रदेश है। इसी तरह से औद्योगिक निवेश के बारे में सबसे ज्यादा किसी प्रदेश ने काम किया है तो वह उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर 41 हजार करोड़ रुपए का पूँजी निवेश हुआ है। जहाँ तक चीनी मिलों की बात है, हमने 700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फायदा किसानों को कराया है। आप जो दाम बढ़ाने की बात करते हैं तो दाम सोच समझकर बढ़ाए जाते हैं, जिससे किसानों को भी फायदा हो और मिलें भी चलती रहें। नेता विरोधी दल कहते है कि राम मंदिर से उद्धार होगा। मुरादाबाद के संदीप अग्रवाल जी बैठे है। मैं जब मुरादाबाद में चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर गया था। आप राम की बात करते है और आप कहते है कि राम के अस्तित्व को नहीं मिटाया जा सकता है। राम के अस्तित्व को अगर किसी ने मिटाने की कोशिश की है तो आपने की है। मुरादाबाद में रामलीला मैदान की बाउन्ड्री बनाने के लिये बड़ी कोशिश की गई जब आप सरकार में आये। दुःखी होकर सन्दीप अग्रवाल मेरे पास मंच पर आये पिछली 23 दिसम्बर को और कहा कि जब हमारी सरकार थी तो रामलीला मैदान की बाउन्ड्री नहीं बन पाई। आप हैं तो इसको बनवा दीजिये। यह तो एक छोटी सी बात है लेकिन मानसिकता का सवाल है, इसलिये मैं बतला रहा हूँ। हमने उसी वक्त 10 लाख रूपये दिये और कहा कि जितना खर्च हो इसको सुन्दर बनवाया जाय। क्या नहीं बनाकर खड़ा कर दिया? आप जाकर देखिये। आपने बनवाया क्या? कौन सा मंदिर बनवाया? हमने दोकली का मंदिर औरैया में बनवाया। आप हमारे जैसे लोगों की नकल करते हो और आर0एस0एस0 का कैम्प लगाते हो कानपुर में। क्या लिखते हो? सिर का मस्तिष्क राम की मर्यादा और अल्पसंख्यक सहायकों का साथ है भारतमाता। हमको दे। और नीचे क्या लिखते हो मजबूरी में? डा0 राम मनोहर लोहिया। बता दो आप यह समाजवादी है? यह गौतमबुद्ध . . . . यही मैं बता रहा हूँ। क्या है मर्यादा? क्या है साहस? क्या है मस्तिष्क? यह मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मस्तिष्क है? क्या मर्यादा है? हमने मर्यादा रखी और भरे सदन में उनको डॉटा। बहुत गुस्से में डॉटा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को। आपमें है मर्यादा? हम खड़े हो जायं तो खड़े हो गये सब। है मस्तिष्क? पालन करते हो उसका? क्या है पुरुषार्थ? मैं देख चुका हूँ

कई जगह पुरूषार्थ। इमरजेंसी में भी देखा है। क्या पुरूषार्थ है आपका? नहीं जानते पुरूषार्थ क्या है। आप जिसे ढोंग कहते हो उस तरह से आप सदन के अन्दर मत करिये। कुछ लोगों को प्रेरणा दीजिये। हमने इसीलिये कहा कि उच्च स्तर की बहस हो और इसीलिये हमने छेड़ा सवाल कि इस पर विचार कर लें कि नफरत है, दूरियां है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास बहुत ज्यादा है।

हमे चिन्तित है और इसीलिये कहना चाहते है कि पूरे देश के अन्दर ही नहीं, दुनिया के अन्दर जो अविश्वास पैदा होता चला जा रहा है उसके गम्भीर परिणाम होगें और उसको बहुत से देशों को और कभी-कभी आपके देश को भी भुगतान पड़ेगा। यह आज पूरे देश का सवाल है, किसी धर्म का सवाल नहीं है। आज धर्म से बड़ा देश है। देश रहेगा तो धर्म रहेगा। आज हमको सोचना पड़ेगा। इसीलिये अध्यक्ष महोदय, बहुत कुछ ऐसी बातें कही . . . . एक विधायक ने एक बात कही। अपना स्पष्टीकरण दे दिया और बहुत अच्छी तरह दे दिया। क्या कहते हैं कि यह अच्छा भाषण है कि बहुमत को नकारा नहीं जा सकता? आप कहते हो कि यदुवंशी होकर, गोवंशी होकर ऐसा करते हैं। आपने हमको हिन्दू कब से मान लिया? हॉं, मैं पूछना चाहता हूँ। आप क्या कहते थे?

श्री लालजी टण्डन-

मैं तो आपको हिन्दू कहना ही नहीं चाहता हूँ क्योंकि हिन्दू शब्द आप पर लागू नहीं होता है। मैंने तो आपको गोवंश के पालक गोपाल कहा था।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अब कुतर्क मत कीजिये। माननीय नेता विरोधी दल, मैं आपका आदर करता हूँ। मुलायम सिंह का नाम लिया है, नेता सदन तो कहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने हमको तो मौलाना मुलायम सिंह कहा, मुल्ला मुलायम सिंह कहा, मौलवी मुलायम सिंह कहा और अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि आप मर्यादा की बात करते हो। राम की बात करते हो। यहॉं तक पर्चे छपे, गुजरात से लेकर, जिसमें लिखा है कि मुलायम के मॉं या बाप में से एक मुसलमान जरूर है। जितना दे सकते हो। चाहे मौलाना कहिए। चाहे मौलवी कहिए। लेकिन आप यह कहें कि मॉं-बाप मुसलमान है यह मर्यादा नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ऐसा कोई नहीं बोल सकता है सिवाए बी0जे0पी0 के।

(शोरगुल)

कभी कोई नहीं बोल सकता है। आप आर0एस0एस0 के बल पर हैं। आप क्या है? आप उन्हीं के बल पर हैं। सब कुछ आर0एस0एस0 है। जिसको चाहेगी उसको हटा देगी। निकालकर बाहर कर देगी। क्या बात करते है? दुनिया जानती है। बी0जे0पी0 कुछ नहीं है, सब कुछ संघ परिवार है। जो फैसला करेगा, वही करेगा। आपकी क्या हैसियत है? वह तो संघ परिवार तय करेगा। कौन रहेगा नेता विरोधी दल? नेता विरोधी दल कौन है? वह चाहते तो आपको हटा देते। संघ परिवार आपका समर्थन कर रहा है, वरना मा0 टण्डन जी, आपको हटाकर बाहर कर देते और केशरी नाथ त्रिपाठी जी इसकी पैरवी करते।

(हँसी)

यह सब जानते हैं। आप कहते है बहुमत को नकारा नहीं जा सकता है। यह अच्छी भावना नहीं है। आप भी कह रहे हैं। बहुमत की साम्प्रदायिकता बड़ी खतरनाक होती है अल्पसंख्यक की अपेक्षा, यह ध्यान रखें। बहुमत की साम्प्रदायिकता नहीं, बहुमत के बल पर, अपनी सरकार के बल पर, अपनी ताकत के बल पर, जो मस्जिद गिराई यह उसका परिणाम है। जो दूरियां है, यह उसी का परिणाम है, अविश्वास का परिणाम है। इसका परिणम है मऊ का दंगा। कौन जिम्मेदार है उसका? अब तो कम से कम सुधरो। अन्तर्राष्ट्रीय

स्तर से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक एक हवा बही है विकास की। गरीब से गरीब सुख सुविधा चाहता है पढ़ाई-लिखाई चाहता है, रोजगार चाहता है, नौकरी चाहता है। अच्छा मकान चाहता है। कपड़ा चाहता है। गाड़ी चाहता है। गाड़ी आपके पास अगर बढ़िया है तो बगल के लोगों में नफरत होगी, 14 सुरों में नफरत है। अगर नफरत नहीं है तो उत्तर प्रदेश के अन्दर नहीं है। हमने एक धर्मनिरपेक्ष प्रदेश दिया है, पुल है, सड़क दी है और पढ़ाई दी है। आपको एतराज क्यों है? हम आपसे अपील करेंगे। मुझे लगता है, बिहार में जो नतीजे आए हैं वह हमारी बदौलत आए है। यह सच है। हमारी बदौलत आए है। हमारी वजह से आए है। अगर हमारे रामस्वरूप जी....(शोरगुल) अगर आपके दल ने, वहां के मुख्य मंत्री ने हमारी राय को माना होता....। मैं पीछे न पड़ा होता तो न आते।

(श्री रामस्वरूप सिंह के खड़े होने पर)

इनको सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। हम सही तस्वीर देश के सामने रखना चाहते है। अगर हमको देश से राजनीति से अलग करने की कोशिश न की होती तो कांग्रेस पार्टी दिल्ली में न होती जिसका आप समर्थन कर रहे है। कभी नही आ सकते थे। और कहो मुलायम सिंह को कांगेस पार्टी का चेला।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होकर कुछ कहने पर)

मत कहिए, मत कहलाइए। समर्थन दे रहे है तो समर्थन तो हम भी दे रहे है-ऐसी कोई बात नहीं है रोजाना क्या नहीं हो रहा है? आपने क्या किया? चार-चार विधेयक पड़े रह गए, पास नहीं हुए। आपने क्या किया? यह मामूली बात है? अगर यह सवाल सदन में उठाया जाए तो क्या जबाव दोगें? मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता हूँ, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। यह मामूली बातें नहीं है। सारी संसदीय परम्पराओं को कोई तोड़ रहा है। आपकी नीतियों की वजह से ऐसा हुआ है। आपके गलत निर्णय की वजह से ऐसा हुआ है। क्या [x x x] को बर्खास्त नहीं करना चाहिए?

श्री प्रमोद कुमार-

[x x x] के सम्बन्ध में यहां कोई चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

हम जानते है, चर्चा नहीं हो सकती है। इंदिरा गांधी जी ने बर्खास्त किया था। अगर इसी तरह से एक व्यक्ति को बर्खास्त किया होता यह सत्ता में नहीं आ सकते थे। आप इतना नहीं कर सकते है?

मैंने कहा था कि करो बर्खास्त। आप क्या कह सकते है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात आप कहते हैं, हमें बर्खास्त कर दें। किसी प्रकार मुझे बर्खास्त कर रहे थे। वहाँ बर्खास्त करके देख लिया। हमें इसलिए कहना पड़ता है, सारे देश के नेता, बी0जे0पी0 के नेता हमें देख रहे है, कौन लड़ा, जब गोली चलाई? यह बात आपके नेता नहीं कही कि सरकार कुर्बान कर दी। इसलिए मैसेज जाता है कि हम बी0जे0पी0 से मिले हुए है? यह ठीक बात है। लेकिन वोट की राजनीतिक कौन कर रहा है? हम अब भी कह रहे हैं कि वोट की राजनीति हम लोग नहीं कर रहे है, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं कर रहे है। मुझे खुशी है और एक पत्रकार ने लिखा भी है, परसों भी लिखा है, कल भी लिखा है कि मुलायम सिंह ने वोट बैंक की कभी परवाह नहीं की।

मान्यवर, मैंने वोट बैंक की कभी परवाह नहीं की है बल्कि हमने अपने देश की सामाजिक एकता, अपने देश, प्रदेश के किसान, मजदूर, बेरोजगार नौजवान को सबसे पहले देखा है, चाहे उसके लिए हमें

नोटः-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

घाटा क्यों न उठाना पड़े? हमने कभी वोट की राजनीति नहीं की है और यदि किसी ने की है तो वह नेता विरोधी दल ने की है। गन्ना किसानों की समस्या, बेरोजगारी और सिंचाई के पानी की जो समस्या है, यह सब देश के सामने है। यदि हम इस लेकर चलेंगे तो हम जीतेंगे, आप लेकर चलेंगे तो आप जीतेंगे। यह घिनौना प्रचार ठीक नहीं है। हिन्दू वाहिनी है, समझा दीजिए, मुलायम सिंह को सरकार की परवाह नहीं है। यह जो 4-5 साल से वहाँ आग लगा रहे है यदि आग लगायी है तो वह आपके नेता ने। मैंने रामजी सिंह को नहीं छोड़ा है, उनको भी जेल भेजा है। कभी परवाह नहीं करेंगे, चाहे नेता हो, चाहे विधायक हो। आपने आग लगाई है लेकिन अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे सत्ता में रहें या नहीं रहे। यह हमारे पूरब के नेताओं की कमी है। यदि खड़े होते तो यह नहीं हो सकता था। जब खड़े हो गये, तब बन्द हो गया। जब हमने उनको डांटा तो गाड़ियाँ लेकर निकले और सब शांत हो गया और जो अधिकारी दोषी है, जिनकी लापरवाही थी, किसी प्रकार ने एक्शन लिया, जो डी0एम0, एस0पी0, इन्सपेक्टर, कमिश्नर थे? मैं कहना चाहता हूँ कि यादव था, डिप्टी एस0पी0। लाइए तथ्य, डी0एम0 वहाँ कौन था?

मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या डी0एम0 यादव नहीं थे? आप इस तरह का भाषण देते है? अगर डी0एम0 यादव था तो मुअत्तल क्यों हुआ? मलखान सिंह के खिलाफ क्यों इंट्री हुई? हमारे लिए न जात है न पात है बल्कि हमारे लिए पहले इंसानियत है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की विधान सभा में यह बयान दिया जाएगा कि वह अधिकारी यादव था तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बताइए-70 जिलों में कितने यादव एस0पी0 है? सिर्फ एक में यादव एस0पी0 तैनात है। इसके अलावा दूसरा है कोई अगर 4-5 आई0ए0एस0 हो गये तो परेशान है।

माननीय त्रिपाठी जी, आज 70 जिलों में से सिर्फ एक में यादव एस0पी0 तैनात है। उसके लिए आपको पेरशानी है। अगर एक डी0आई0जी0 यादव हो जाए तो उसके लिए भी आपको परेशानी है। इतनी उपेक्षा। हमने कभी इस तरह का भाषण नहीं दिया है। आप कहते है कि वोट की राजनीति हो रही है। कहा जाता है कि यादवों की लड़की लेकर मुसलमान भाग गये, जिससे यादव-मुसलमान टकराव हो। श्री प्रमोद कुमार जी ने कहा कि इन्होंने धमकी दी थी कि गोधरा काण्ड के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अल्पसंख्यकों को मार दिया। वहाँ पर लड़कियों को नंगा किया गया, गैंग रेप किया गया, बच्चे को पेट से निकलाकर फेंक दिया गया। जब वहाँ पर हम, श्री देवगौड़ा जी, श्री सुरजीत जी और वामदलों के हमारे साथीगण गये तो जब वहाँ पर लोगों ने मेरा नाम सुना तो कई मुसलमान बहनों ने अपने शरीर के घावों को कपड़े हटाकर दिखा दिया। मैंने निगाहें हटा ली। उन्होंने कहा कि बचा कुछ नहीं है, सिर्फ शरीर पर घाव बचे है। आज मर्यादा कहाँ है? शर्म आती है कि आप राम की बात करते हो। मैंने अपनी आँखों से देखा। उनके कपड़े ढकवाए। आप धमकी दे रहे है गोधरा की। अगर हम जाति के बल पर राजनीति करते है तो जरा देख तो लीजिए। मेरे पास ऐसे प्रमाण है। मेरे पास विधान सभा के परिणाम है। आपको सिद्धौर में कितने वोट मिले? 4 हजार कुछ। 5 हजार भी नहीं मिले। सैदपुर में आपको वोट मिले 4 हजार कुछ। जबकि समाजवादी पार्टी को मिले 75 हजार और वहाँ भी समाजवादी पार्टी को 89 हजार वोट मिले। क्या इसमें हिन्दुओं का वोट नहीं था? मैं पूछना चाहता हूँ कि सैदपुर में या मुझेहना में वोट किसके हैं? क्या सिर्फ मुसलमानों के वोट है? मुझेहना से श्रीमती नंदिता चुनाव लड़ी। उनके पति, जिनकी मृत्यु हो गयी थी, उनकी क्या आपने जांच कराई? हमने जांच कराई थी।

[समय 2 बजकर 20 मिनट]

अध्यक्ष महोदय, अगवाड़ी में बाईस चौदह वोट आपको मिले और समाजवादी पार्टी को 69 हजार 464 वोट मिले। मिल्कीपुर में छः हजार वोट आपको मिले और समाजवादी पार्टी को नवासी हजार वोट मिले। तो यह किसका वोट है? यह मुसलमानों का वोट है? मैनपुरी में कितना मुसलमान है? कन्नौज में

कितना में कितना वोट मिला था? यू0पी0 के अंदर सबसे कम मुसलमान अगर है तो वह जसवंत नगर और मैनपुरी में है। तो यह किसका वोट है? यह हिन्दू वोट है और आप कहते है कि हिन्दू साथ नहीं है। हमारे यहाँ तो व्यापारी भी हमारे साथ है। व्यापार मंडल हमारे साथ है। मिल्कीपुर में व्यापारियों ने वोट दिया है। पूरा व्यापारी हमारे साथ था। एक पोलिंग में तो ग्यारह हजार वोट हमको मिले है और भारतीय जनता पार्टी को दो वोट मिला है। तो व्यापारी भी हमारे साथ है।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, माननीय नेता सदन उत्तेजना और विषय से हटकर उत्तर न दें अन्यथा मुझे भी उन विषयों पर अपना स्पष्टीकरण देना होगा। आप मऊ से हटकर प्रदेश भर के इलेक्शन पर और फिर इलेक्शन कैसे हुए इस पर इसके परिणाम कितने आये इस पर बोलने लगे है। आप विषय पर बोले।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आप जब चाहे इस विषय पर दो-तीन दिन चर्चा करा लें, हम इसके लिए तैयार है। हम चर्चा से नहीं डरते है। अगर कोई कमजोरी होगी तो हम स्वीकार करेंगे। यह कलंक हमारी सरकार पर लगा है और यह लगा है श्रीमानजी आपके समर्थकों द्वारा। आपने यह कहा कि मुख्य मंत्री जी घिर है घेरे में है। तो क्या घेरे में आप नही है? मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब-जब मुलायम सिंह घेरे में रहे समाजवादी पार्टी इस तरह से घेरे में आ जाती है, तो वह और उभरकर आती है। आपने बता दिया है, हमें सावधान हो जाना चाहिए। हमने कभी हथियार नहीं डाला। हथियार डालने वाली आपकी पार्टी है। 1999 में आप हमारी बदौलत आये। हमने नारा दिया, आपने सपोर्ट किया, फिर हमारा नारा छीन लिया गया। आप न्यायपालिका को मानते है? न्यायपालिका मे विश्वास करते है?

श्री हुकुम सिंह-

वह है कहाँ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

है, अगर विश्वास है तो सारे मुसलमान भाइयों के संगठनों ने और सारे हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय एकता परिषद् ने प्रस्ताव किया था कि कि अयोध्या का विवाद न्यायालय पर छोड़ दिया जाय। बातचीत के आधार पर क्या तैयार हो?

श्री लालजी टण्डन-

वह तो हमने छोड़ दिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आपने कहा कि हमारी भावना का सवाल है, हमारी आस्था का सवाल है, मै न्यायपालिका को नहीं मानता हूँ। आप मस्जिद गिराने के बाद तैयार है और फिर जिसकी बदौलत आपने मस्जिद गिरायी थी उसको आपने अलग कर दिया। आपने उन्हें, मुख्य मंत्री को ही, कुर्सी पर नहीं रहने दिया।

उन्ही की बदौलत आप जीतकर आ गये थे 1991 में, वही हमसे टकरा गये थे। आपकी हिम्मत नहीं है हमने टकराने की। आप लोग तो छिपे फिरते थे, तब भी हमने गिरफ्तार नहीं किया था। उनको तो हमने जेल में डाल दिया था। आपसे टेलीफोन से बात हो जाया करती थी और मुझे पता हो जाता था कि आप कहां से बोल रहे है, तब भी हम गिरफ्तार नहीं करते थे। यह तो व्यवहार हम ही कर सकते है। हां, कलराज मिश्र जी और आप बात करते थे, तब मैं कहता था, इनको शान्त करो लेकिन जो मुख्य मंत्री थे और जिन्होंने कहा कि हमने कलंक मिटा दिया इतने साल का और स्वीकार किया कि मैंने गिरवा दी मस्जिद को, उनको भी आपने इस कुर्सी पर नही बैठने दिया।

श्री हुकुम सिंह-

वह तो बैठे है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

वह बैठे कहाँ है? यही मै कह रहा हूँ। आपने बता दिया। अध्यक्ष महादेय, बता दीजिए, आपने तो उनको दर्शक दीर्घा में दर्शक बनाकर बैठा दिया।

श्री हुकुम सिंह-

चुनाव होने दीजिए, चुनाव के बाद वह यही बैठेंगें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

जब वह पूरी तरह फंसेंगे, इतने वह अब नहीं नासमझ है, अब उन्होंने थोड़े दिन मेरे साथ रह लिया है, अब वह नासमझ नहीं है। अब वह हथियार बनाने वाले है, वह हथियार बना देंगे और फिर आपसे हम दोनों को लड़ा देंगे। अब यह साजिश आपकी नहीं चलेगी। रास्ते हम भी जानते है। आपने कितना धोखा दिया है उन्हें, हमें सब पता है। आपकी बदौलत ही उन्होंने स्टैण्ड लिया। आपका क्या भरोसा? आप 5,7,8, लोग है, उन्ही की बदौलत हमने इतना कड़ा स्टैण्ड लिया था, और फिर आप मांग करके अलग चले गये, उनको छोड़ कर चले गये। तो अगर माननीय कल्याण सिंह आप जैसे लोगों पर भरोसा करेंगे तो फिर यह जाने कहां पहुँचा देंगे। मैं जानता हूँ कि यह आपको कहां से कहां ले गये और उसके बाद जब समय आया तो आप नारा देंगे। हम जानते है आप क्या नारा दोगे और जब समय आया था उनका नारा देने का, तब आप भाग खड़े हुए थे।

श्री हुकुम सिंह-

केवल दो महीने आपके साथ रहे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मुझ पर विश्वास नहीं टूटा था, उनको छला गया था। मुझ पर कभी उनका विश्वास नहीं टूटेगा, चाहे कितना विरोध हम लोगों में आपस में रहे। अब हम लोग भी समझदार है। आप इनके चक्कर में फंसे रहो तो फंसे रहो। समझ गये। इसलिए हमें इतना ही कहना है कि ये धर्म की राजनीति छोड़ों और प्रयास करों कि ये दुनिया कैसे संवरती है। एक दूसरे पर अविश्वास हो गया है, दूसरे को उधार दिया या साइकिल टकरा गई या खोंचा पर झगड़ा हो गया या ठेके के मैदान पर दो लड़के लड़ गये, एक सम्प्रदाय, दूसरे सम्प्रदाय से, उनको लेकर दंगा। ये सोचा यह अविश्वास कितना है। यही एक कारण है इसका। इसलिए हम सदन से चाहेंगे और विशेषकर आप सभी लोगों से और विशेषकर हिन्दूवाहिनी, अध्यक्ष महोदय, दिन-रात लगी हुई है। एम0एल0ए0 अकेले है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मिलकर लड़ते है, एक सांसद और वह पूरा का पूरा उन्होंने हथियार ले करके और कैसे-कैसे भाषण दिया टेप है पुलिस के पास। देखते है तो क्या बोलते है? यह बन्द कराइये और अगर इसे नहीं बन्द करायेंगे तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है हमें मुद्दा बनाकर के आपको कोई मुद्दा मिले, लेकिन हम देश की खातिर कोई परवाह नहीं करते है। एक बार झटका लग जायेगा और दोबारा वहीं हम लोग सही तरीके से काम करेंगे।

(सत्ता पक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गई)

इसलिए हम आपको सावधान करना चाहते हैं कि आप केवल मोख्तार अंसारी पर ही निशाना मत साधो, दूसरे लोग आपके भी तो साथ बैठे हैं, आप उनको भी समझाइये। एक को समझाने में हो गई गलती। तो समझाने की कोशिश करेंगे हम भी। अगर वह गलत रास्ते पर होगें तो सही रास्ते पर लाने की कोशिश

करेंगे और अगर नहीं आयेंगे रास्ते पर तो हम इनका साथ नहीं देगें, लेकिन आपके लोग जो गलत रास्ते पर जा रहे है, डा0 साहब, आप इतना पढ़ते-लिखते हो, अपने नेता को समझाइये कि गलत रास्ता छोड़ें, हमें मजबूर न करें, हमारी सरकार को मजबूर न करें कि जिससे पूरब में आग लगाना चाहते है हिन्दू और मुस्लिम या किसी अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक के नाम पर जिस तरह से गाली गलौज दे रहे है इसको बन्द करना चाहिये। उसको बन्द करें। हम आपसे अपील करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से अपील करना चाहता हूँ कि इन सब चीजों को पैदा न करें।

आपने कहा कि चार लाशें पड़ी रही पोस्टमार्टम के लिए। ऐसा नहीं था। वह पड़ी नही रही। इससे कहीं आग लगी? कहीं दबी हुई थी। जब मिल गयी तो उनका दूसरे दिन ही पोस्टमार्टम हो गया। इसलिए जो आपके पास खबरें आयी है, वह गलत खबरें है। उसके बाद लाशें बाद में मिली।

अब जहां तक बहुजन समाज पार्टी के नेता का प्रश्न है, बोले नहीं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आप कहते है कि उसकी जुडिशियल इन्क्वायरी से जांच करा दीजिए। मलियाना वाले काण्ड में जो दोषी लोग थे, हम लोगों ने तुरन्त उस न्यायिक जांच की समीक्षा की थी और पिछली सरकार में उन लोगों पर मुकदमा चलाने का निर्णय ले लिया था और मुकदमा जब चलना शुरू हो गया और जब बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आयी तो उस निर्णय को वापस ले लिया गया। बताइये कि किस मुँह से आप जॉच की मॉग कर रहे है? मलियाना काण्ड की रिपोर्ट का आपने क्या पालन किया? यही है आपको न्यायपालिका की रिपोर्ट पर विश्वास? मलियाना वाले केस में दोषी लोगों को जेल भेजने का आदेश था हमारा और जब इनकी सरकार आयी तो उसने सरकार के उस फैसले का पालन नहीं किया। यह चार साल-पॉच साल तक कितना समय लगाओगे? माननीय नेता कांग्रेस पार्टी सी0बी0आई0 जांच से क्या सबूत मिटाना और किसको पकड़ोंगे? हम अगर सी0बी0आई0, न्यायपालिका की तत्काल रिर्पोट आ जाती तो कहते। जब इसका एक्शन जल्दी होना है। हम जल्दी एक्शन करायेंगे। हम इसमें कार्यवाही जल्दी करेंगे, तो उसका असर होगा। चार साल से पहले सी0बी0आई0 नहीं कुछ भी कर सकती है और न कर सकती है न्यायपालिका। और फिर न्यायपालिका की रिपोर्ट आयेगी कैबिनेट में और कैबिनेट में वह पास करते है या नहीं करते है, तब न्यायपालिका की जांच का क्या मतलब? अब तक कितनी न्यायपालिका की आ गई रिपोर्टों का पालन किसने किया? हमने किया और न्यायपालिका की जांच की जो हमने जब एक रिपोर्ट पर कार्यवाही की तो उसे आपने वापस ले लिया। हम जानते है कि अगर किसी मामले को टालना हो तो न्यायपालिका, और अगर किसी को परेशान कराना हो और मामले को लम्बा खींचना हो और सबूतों को मिटाना हो और सबूत बना देना हो तो फिर सी0बी0आई0। फिर सी0बी0आई0 उसी को गवाह बना लेगी। गवाह बना लेगी कि तुम इनका नाम लो तो हम तुमको छोड़ देंगे, नहीं तो फसायेंगे। गवाह जो बनेगा वह कहेगा कि कौन-कौन थे दोषी? यह मैं देख रहा हूँ कि अब गवाह बना रहा है या नहीं बन रहा है सी0 बी0 आई0 का। पकड़ने के बाद वही छूट रहा है और वही सरकारी गवाह बन रहा है और इतने बड़े केस में उत्तर प्रदेश में वही सी0बी0आई0 कहती है कि अब मुकदमा चलाने की जरूरत नही है। और स्वयं इतना तथ्य इकट्ठा करके कहती है कि इतना केस बन रहा है। यह है सी0बी0आई0। यह है जुडिशियरी की रिपोर्ट की सरकार को कार्यवाही। यह ठीक है कि हम विश्वास रखते है। लेकिन उसके बाद कैबिनेट में आता है और उसमें कितने सहमत होंगे? नहीं होंगे तो यह उलझ जायेगा। जुडिशियल इन्क्वायरी के बारे में आपको पता है कि कार्यवाही करने के लिए सरकार प्रस्ताव करती है। उसके बाद उसकी जो रिपोर्ट है वह केबिनेट में आती है और उस रिपोर्ट से उसमें कितने लोग सहमत होंगे? तो पता नहीं उसमें क्या होगा? मैं

इसलिए चाहूँगा, जांच के लिए हमने एक कमेटी बनायी है और हम उसमें जल्दी करायेंगे, जल्दी जांच कराके कार्यवाही करायेंगे। यह अध्यक्ष, राजस्व परिषद् और अभी प्रमुख सचिव, आवास है और एक सदस्य है कोआपरेटिव के रजिस्ट्रार है. तो दो अल्पसंख्यक हमने उसमें किये है, तो तीन लोगों की कमेटी बनायी है। हाँ, आज ही हम आदेश दे देंगे कि बहुत जल्दी ही उसकी जांच आ जाये।

श्री हुकुम सिंह-

दो महीने हो गये उस कमेटी ने कुछ नहीं किया है। मा0 मुख्य मंत्री जी पूरा सदन चाहता है कि इसमें ऐसी जांच हो जाए और सबको उसमें विश्वास हो जाये। इसमें आपको क्या दिक्कत है, अगर जुडिशियल जांच करा देंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मैं उसका भुक्तभोगी हूँ, हमने कार्यवाही की थी लेकिन आप दोनों ने मिलकर उस फैसले को वापस ले लिया था। यह बहुत झटपट महीने, डेढ़ महीने में सब हो जायेगा। दोषी है तो बन्द और जिनको आप लोग संरक्षण दे रहे हैं मैं कहता हूँ कि पुलिस के हाथों में दीजिए और नहीं देंगे तो सदन में वह भी शामिल और हम भी शामिल। मैं अधिकारियों से कहूँगा यहीं पर कि जिन्होंने असली शुरुआत की है जिन्होंने धरना दे करके उन लोगों ने जो वातावरण था मऊ का, वहाँ का वातावरण यह था कि जब वह रथ चलता था भरत मिलाप का तो भरत मिलाप के दिन वह मस्जिद में तीन बार छूता था और जब मस्जिद को छूते थे और वह छूते थे संस्कृत पाठशाला। चौथी बार तीसरी सीढ़ी पर चढ़ गये तो दंगा और चौथी पर धक्का मारा तो दंगा और यह परम्पराएं थी। कहते हो कि लाउडस्पीकर बन्द करें, लाउडस्पीकर बन्द करोगे तो घंटा बन्द करा दोगें रोक लो आप, कौन कहता है कि घंटा नहीं बजता है जहाँ मंदिर होते है 4 बजे से घंटा बजता है और सोते हुए को जगा देते है और कुछ लोग लाउडस्पीकर पर कीर्तन शुरू कर देते है। महामहिम राज्यपाल जी विष्णुकान्त शास्त्री जी, विद्वान थे. मैं पसंद भी करता था, कभी निकलता था टहलने के लिए तो 5 बजे राजभवन से लाउडस्पीकर लगा हुआ, कीर्तन करते थे भजन करते थे, इन्हें बन्द करोगे मंदिर मस्जिद के लाउडस्पीकर इधर बन्द करोगे उधर शंख और घंटा बजने वाले, बन्द कर लोगे। है आपमे साहस हममें तो साहस नहीं है इसलिए जो परम्पराएं चली आ रही है वह चलेगी।

हमें और आपको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। शक से मत देखों और अब भी मैं राय दे रहा हूँ कि अल्पसंख्यकों को मुसलमानों को शक से मत देखों, खतरनाक स्थिति होगी और प्यार मुहब्बत से देखों तो इतना वफादार कोई साथी नहीं मिलेगा। बताइये अभी कारगिल में लड़ाई हुई थी कभी लगाते है हिसाब किताब कितने प्रतिशत है मुसलमान फौज में 2 प्रतिशत और शहीद कितने हुए 14 प्रतिशत कहाँ पीछे है क्यों शक की दृष्टि से देखते हो किसी व्यक्ति को देख सकते हो शक की दृष्टि से लेकिन पूरी फौज को नहीं देख सकते हो। यह है सवाल है आज देश के सामने इसलिए आप कहते है वह भी आपकी रिपोर्ट गलत है कि हमने दो-दो लाख रूपया उनको दिया था वह किस तारीख को पहुँच गया आपको जानकारी किराने दे दिया खबर दे दिया पता नहीं कहाँ से खबर लाये आपको दिया है अगर इन्होंने 11 बताये तो हम जांच करा लेगें कि तीन कौन है आप आ गये तो 2 लाख रूपया मृतक को उनके परिवार वालों को दे दिया गया है 21 अगस्त, 2005 की रात तक पूरा बँट चुका है और जो 37 घायल थे उनको 25-25 हजार। हमने वैसे भी तैयार कर लिया है तो हमने कहा अच्छा होगा कि सदन में ही हम घोषणा कर देंगे कि जिनका नुकसान हुआ है जो तकमीना आया है वह आया लगभग साढ़े आठ करोड़ का अध्यक्ष महोदय हम 5 करोड़ रूपये की उनको उनकी क्षतिपूर्ति के लिए घोषणा करते है। और हमें विश्वास है पूरा सदन, हमने बातें कुछ कटु जरूर

रखी है इसीलिए रखी है कि जिससे सोचने के लिए किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं अपने साथियों के लिए समर्थक है माननीय प्रमोद कुमार जी इनका स्वभाव, इनकी मानसिकता बिलकुल साफ है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बेटा है इनकी पीड़ा साफ है लोकतंत्र से लगाव है। इसलिए मैंने कहा उनकी राय नहीं चल पायेगी वहाँ पर हमारी इसलिए बात चल जायेगी हम तो हाईकमान है मजबूरी है आपकी मैं समझता हूँ आपकी कुछ भी नहीं चल सकती आपका हाईकमान भी कुछ नहीं कर सकता।

श्री प्रमोद कुमार-

मौर्या जी की चलेगी।

श्री मुलायम सिंह यादव-

इनकी कहाँ चलेगी इनको तो नाम ही न लीजिए, इनको तो जबरिया उन्होंने कहलवा दिया था। यह समझ लीजिए कि क्या क्या कर सकते है। यह मंच पर भी नहीं बैठ सकते। यह कभी कुर्सी पर नहीं बैठ सकते सामने ये गुलामी को दूर करने के लिए गुलामी की मानसिकता पैदा करने वाले लोग है इनसे क्या कहते है। आप बोलकर देखना अध्यक्ष महोदय, दिल से कह रहा हूँ हमारी स्टेट कमेटी की बैठक हो रही थी

एक कार्यकर्ता था, बी0एस0 फोर और कांशी के साथ भी रहा था, जब वह वह हमारी कमेटी में आया पहली बार, तो राम शरण दास ने उसको बोलने का मौका दिया। तो उसने कहा कि 15-20 साल तक मैनें बी0एस0 फोर संगठन में सेवा की, लेकिन आज मुझे पहली बार जीवन में बोलने का मौका मिला। बहुजन समाज पार्टी के राज में कभी बोलने का मौका नहीं मिला। यह लोकतंत्र है? कहाँ लोकतंत्र है? इसलिये आपसे कुछ कहना ही बेकार है, इनका दिमाग तो इनसे भी ज्यादा कुंद है। अध्यक्ष महोदय, मैंने आज कुछ बातें कही, वह बातें मैंने देश हित में कही है। अपनी पार्टी के लिये नहीं कही, अपने लिये नहीं कही, बल्कि समाज की एकता के लिये कही है। हम लोग एक जगह बैठकर विचार कर लें, लेकिन यह दूरियाँ बढ़ रही है। अविश्वास बढ़ रहा है, यह हमारे देश के लिये खतरनाक हो रहा है। अफगानिस्तान, ईरान, ईराक से लेकर अमेरिका तक. . इसलिये हम लोग इन दूरियों को कम करें।

श्री लाल जी टण्डन-

यह कोई उत्तर तो नहीं है। इतना दंगा हो गया, आप विपक्ष को, किसी सहयोगी दल को बुलाये?

श्री मुलायम सिंह यादव-

अब बुला लेगें, हम बुला लेते, लेकिन आपने तो एकदम मार्च कर दिया तो कैसे बुलाते?

श्री लाल जी टण्डन-

आप अगर प्रदेश में एक सामान्य वातारण बनाना चाहते है, सौहार्द्रपूर्ण वातारण बनाना चाहते है तो आपको पहले यह चाहिये था कि विपक्ष के नेताओं को बुलाकर उनसे परामर्श करते। मुझे याद है कि जब मुरादाबाद में दंगा हुआ था तो उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और मैं कौन्सिल का सदस्य था। उन्होनें वहाँ से मुझे बुलाया और सभी नेताओं को बुलाया और कहा कि आप वहाँ जाकर शान्ति की अपील करें। इसके लिये हेलीकाप्टर दिया। आप हवाई सर्वे ही कर लिये होते, अगर नीचे जाना खतरनाक था। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने बातें कहीं, उसमें मेरे द्वारा कही गयी बातों का उत्तर नहीं है। केवल एक मांग हमारी थी।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अभी अपनी मैनें बात खत्म कहाँ की। एक-एक चीज मेरे पास नोट है, माननीय नेता विरोधी दल।

श्री लाल जी टण्डन-

क्या आप न्यायिक जॉच मानने को को तैयार है?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मेरी बात को पूरा हो जाने दीजिये। अगर आप बहिष्कार करने पर उतारू हो तो फिर बहिष्कार कर लो। अध्यक्ष महोदय, हम सबका सहयोग चाहते है, विकास के लिये। हम इसमें राजनीति नहीं करेंगे। जो बाते मैनें कही वह देश के लिये कही। अपनी पार्टी या अपने लाभ के लिये नहीं कही। अयोध्या में जैसे ही आतंकवादी हमला हुआ, आप तुरन्त वहॉ रवाना हो गये। इसकी जॉच हो गयी, पता चला बहुत खतरनाक आतंकवादी थे। आप वहॉ जाकर देख रहे थे कि आसपास के गॉव में तो कोई नहीं है। अगर आप वहॉ चले जाते तो मीडिया पता नही क्या लिख देता? यह निर्भय गूजर से बात कर सकते है, अगर हम इनसे कुछ कह दें तो आप कहेगें कि चौथे पाये पर हमला। जहॉ पुलिस नहीं जा सकती, वहॉ इनको कौन ले गया? मुलायम सिंह ले गये थे या मुलायम सिंह की पार्टी के लोग ले गये थे? आप कहें तो इसकी जॉच करा दें, तो पता चल जायेगा। सच जानना चाहते है तो लिखकर दें, हमने तो परम्परा डाली है। यह सारी परम्पराएं फैली है लेकिन हम यह कहना चाहते है कि यहॉ पर वह दिन भी देखे गये हैं कि नमस्ते तक नहीं होती थी इस सदन में। आज आप 5 लाख और 10 लाख रूपए की मॉग कर रहे हैं। आप ही बताओं कि क्या किसी को आपने कभी दिया था?

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

हाउस में इन्हें एक धेला भी नहीं मिला था, मंत्री होते हुए भी।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आप बातचीत की बात कर रहे है, कभी बातचीत यहॉ पर हुई थी? जब भाई-बहन थे क्या तब बातचीत करते थे?

श्री लालजी टण्डन-

यह तो उनसे पूँछिये।

श्री मुलायम सिंह यादव-

हम आपसे पूछ रहे हैं। आपने उन्हें बनाया था।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, जब कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री थे, उस समय भी आपको बुलाया जाता था और आपके दल का कोई आता भी नहीं था। आपने कभी सहयोग की राजनीति की ही नहीं।

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

चार-चार फोन जाते थे आपको बुलाने के लिए। हमें कभी बुलाया गया, यहॉ तक कि हमें विधायक निवास भी नहीं दिया जाता था।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, आज जो बहस हो रही है, वह हमारी सरकार में हो रही है। इसके पहले मौन हो करके एक भी जवाब नहीं दिया जाता था। हमारी सरकार में सभी को बोलने का अवसर दिया गया, बी0 एस0पी0 के नेताओं को भी बोलने का अवसर दिया गया। किसी को बुलाया नहीं जाता था। हमें तो जब भी

कोई टेलीफोन करता है और बुलाता है तो हम चले जाते है। हम सभी दलों के नेताओं से अपील करते है कि उत्तर प्रदेश का विकास हिन्दुस्तान के विकास के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम सब लोगों को मिल करके हर मुद्दे पर विचार करना है। जो दूरियाँ हैं उनको दूर करके आगे से हम सभी को बुलायेंगे। हमे इनके नेता ने तो कभी टेलीफोन नहीं किया। हमने तो मौर्य जी को मीटिंग में बुलाया और खाने पर भी बुलाया था। मौर्या जी हमें खाने पर बुलायें। देखो हम आते है कि नहीं। अच्छा चलो, चाय ही पिला दो, तो देखिये हम आते है कि नहीं आते हैं। माननीय नेता विरोधी दल, पता नहीं बहन-भाई के रिश्तों में कब क्या हो जाए, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अब आप मत हिलियेगा और अगर अब हिलेंगे तो फिर कही के नहीं रहेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

आप भाई नहीं भाई जान हो जाइये।

श्री मुलायम सिंह यादव-

इसलिए हम अपील करेगें कि देश हित में हम लोग मिल करके काम करें। जो धार्मिक आधार पर दूरियॉ बढ़ती जा रही है, उन दूरियों को कम करना होगा। यदि उन दूरियों को कम कर देंगे तो राजनीति में आपको भी सफलता मिलेगी और हमें भी मिलेगी। दूरियॉ जितनी बढ़ाओगे, उतना ही दूर होते जाओगे क्योंकि इन बातों को सुनने वाला अब कोई किसान और मजदूर नही है। यदि आप दूरियॉ बढ़ाओगे तो आपको नुकसान होगा और यदि सौहार्द्र का वातावरण बनाओगे तो हमें नुकसान होगा। लेकिन फिर भी हम यही चाहेगे कि सौहार्द्र का वातावरण बने और दूरियॉ कम हों। लेकिन फिर भी हम दलहित की बात नहीं करते हैं, देशहित और प्रदेश हित की बात करते हैं। देश के विकास की जिम्मेदारी सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की है। इसलिए पूरे सदन से चाहता हूँ, सभी माननीय सदस्यों और नेताओं से कि जो अविश्वास और दूरियॉ हैं, उनको दूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मैंने यह कहा कि प्रशासनिक जॉच से सरकार जो चाहेगी वही रिपोर्ट आयेगी, उसके ऊपर विश्वास नहीं बन सकता। ठीक है कि सी0बी0आई0 जॉच से लंबा खिंच जाता है कोई समय लग जाता है लेकिन न्यायिक जॉच से क्या परेशानी है? आपका कहना है कि कैबिनेट में स्वीकार नहीं हो पायेगा। आपकी कैबिनेट है और उसमें आपकी बात नहीं मानी जाती है तो इसका मतलब है कि आप पर विश्वास नहीं है। मैं न्यायिक जॉच पर बल देता हूँ और अगर आप न्यायिक जॉच की मॉग स्वीकार करते हैं तो कृपा करके बता दीजिए?

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, हम इतना मान सकते है कि जो कमेटी अभी बनी हुई है, उसकी रिपोर्ट जल्दी आ जाये और उससे आप सहमत नही होंगे तो हम आपकी बात पर विचार कर लेंगें।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, नेता सदन न्यायिक जॉच की मॉग को स्वीकार नहीं कर रहे है इसलिए इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(नेता प्रतिपक्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण सदन का बहिर्गमन कर गये।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने मऊ प्रकरण पर सी0बी0आई0 जॉच की मॉग की थी जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। परन्तु सरकार अपनी हठधर्मिता के चलते सी0बी0आई0 जॉच की मॉग को स्वीकार नहीं कर रही है। इसलिए इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिर्गमन कर गये।)

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस काण्ड के जो दोषी है वह बहिर्गमन कर गये है। मैं न्यायिक जॉच की मॉग इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले लगभग 14 वर्षो से विपक्ष में बैठने का मौका रहा है और विपक्ष में रहते हुए नेता सदन और आजम खॉ साहब हमारे नेता हुआ करते थे। जब कभी इस तरह की घटना होती थी तो हमेशा जुडीशियल इन्क्वायरी की ही मॉग की। चूँकि आप जुडीशियल इन्क्वायरी की मॉग करते थे। इसलिए मैं जुडीशियल इन्क्वायरी की मॉग कर रहा हूँ कि इसमें कुछ न कुछ बल होगा। अत: मैं दोहराता हूँ कि जुडीशियल इन्क्वायरी की मॉग मानी जाए। अगर सी0बी0आई0 की जॉच नहीं होगी तो चेहरों से नकाब नहीं उठेगा। सरकार जुडीशियल इन्क्वायरी इसलिए नहीं करा रही है कि इससे भा0ज0पा0 के नेता जेल में बंद हो जायेगें। सी0बी0आई0 जॉच नहीं करा रहे है इससे कुछ अपराधी बच जायेंगे। मेरी जुडीशियल इन्क्वायरी की मॉग सरकार नहीं मान रही है इसलिए इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिर्गमन कर गये।)

समयाभाव के कारण प्रश्नों को उत्तरित माने जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

मऊ प्रकरण पर काफी समय हो गया। आज की कार्यसूची में चर्चा के बाद प्रश्न लगे थे। अगर सदन सहमत हो तो प्रश्न उत्तरित मान लिये जाए?

(सदन ने सहमति व्यक्त की)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आज की कार्यसूची के सारे प्रश्न उत्तरित माने जायेंगे।

(इसी मध्य भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य सदन में वापस आ गये।)

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगा था। पहले प्रश्न ले लें।

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठिये। आप क्यों चले गये थे, अब हम आगे बढ़ गये। सारे प्रश्न उत्तरित मान लिये गये। आपके पास इनके उत्तर है केवल आपको सप्लीमेण्टरी प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिला है। अगर कोई गलत जबाव है तो उसको अन्य नियमों में दे सकते हैं।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में अवर्षण के कारण सूखे की स्थिति

** 1-डा0लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के अधिकांश भागों में अवर्षण के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है? यदि हां, तो किसानों को बीज, खाद, चारे की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गयी है? यदि हॉ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

प्रदेश में अवर्षण के कारण सूखे की स्थिति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर प्रमुखों का चुनाव निर्वाचित सभासदों द्वारा किये जाने की मांग

* श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नगर प्रमुखों का चुनाव निर्वाचित सभासदों के द्वारा कराये जाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

जी, नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

*1-श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

[2सरे शुक्रवार के ता0प्र0सं0-3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर एवं संक्रामक रोगों के रोकथाम हेतु कार्य योजना

*2-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु क्या सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

जी हॉ।

सरकार द्वारा मस्तिष्क ज्वर (जे0ई0) एवं संक्रामक रोगों से बचाव हेतु कार्य योजना तैयार की गयी है, जिसके अन्तर्गत रोगों का सर्वेक्षण, रोगियों का निदान एवं उपचार, वेक्टर नियंत्रण, पेयजल का विसंक्रमण तथा रोगों से बचने के लिये जन स्वास्थ्य शिक्षा सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट- उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रदेश से पोलियों का समूल विनाश करने संबंधी नीति

*3-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या परिवार कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश से पोलियों को समूल नष्ट करने के सरकारी प्रयासों के बाद भी अनेक लोगों ने अपने बच्चों को पोलियों ड्राप्स नहीं पिलाया है? यदि हां, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

जी हॉ।

जी नहीं।

पोलियों उन्मूलन कार्यक्रम "स्वैच्छिक कार्यक्रम" के रूप में लागू है। प्रदेश की आम जनता में स्वास्थ्य शिक्षा, धर्मगुरूओं/प्रभावशाली व्यक्तियों के माध्यम से पोलियों उन्मूलन कार्यक्रम में सहयोग एवं सहभागिता प्रदान करने हेतु प्रेरित करने के प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं तथा इन प्रयासों से वर्तमान वर्ष में काफी अच्छे परिणाम भी मिले हैं।

प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर से हुई मौत की रोकथाम हेतु कार्ययोजना

*4-डॉ0नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किन-किन जनपदों में 1 जून,05 से 7 सितम्बर, 05 तक मस्तिष्क ज्वर से कितने लोगों की मौतें हुई है? इस जानलेवा बीमारी को रोकने हेतु शासन द्वारा कोई दीर्घकालीन कार्य योजना बनाई गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रदेश में 01 जून, 2005 से 07 सितम्बर, 2005 तक मस्तिष्क ज्वर से जनपद गोरखपुर में 106, महराजगंज में 105, कुशीनगर में 106, देवरिया में 53, बस्ती में 27, सिद्धार्थनगर में 58, संतकबीरनगर में 21, बलरामपुर में 04, गोण्डा में 01, मऊ में 01, बहराइच में 07, श्रावस्ती में 01, खीरी में 23, रायबरेली में C1, सुलतानपुर में 01 तथा लखनऊ में 04 रोगियों की मृत्यु हुई थी।

जी हॉ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विकलांगों को रोजगार की व्यवस्था

*5-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या विकलांग कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में 40% से ऊपर के विकलांगों को रोजगार देने की सरकार द्वारा क्या कोई योजना बनायी गयी है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिये जाने की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

विकलांग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्याम नारायण)-

प्रदेश में 40 प्रतिशत से ऊपर के विकलांग जनों को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनायें संचालित की जा रही है :-

(1) विकलांग व्यक्तियों के पुर्नवासन हेतु दुकान निर्माण/संचालन योजना।

(2) राजकीय सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान भी किया गया है।

(3) विकलांग जन के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण देने हेतु 07 कौशल विकास केन्द्र।

(4) प्रदेश के सभी राजकीय कार्यालयों में विकलांगजन को पी0सी0ओ0 स्थापित करने के लिये नि:शुल्क स्थान आवंटित करने की व्यवस्था की गयी है।

(5) स्वरोजगार हेतु प्रत्येक जनपद में विकलांग व्यक्तियों को वित्त पोषित करने हेतु प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा जनजाति वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम को निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कैंसर, एड्स तथा दिमागी बुखार के रोगियों के इलाज की विशेष की माँग

*6-डॉ0अजय कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रति व्यक्ति इलाज पर कितनी धनराशि व्यय करने की व्यवस्था की गई है? क्या सरकार द्वारा कैंसर, एड्स तथा दिमागी बुखार के रोगियों के इलाज हेतु क्या कोई विशेष व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो कितनी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रदेश में वर्तमान में प्रति व्यक्ति इलाज की व्यवस्था हेतु रूपया 1,11,93,91,000 (रू0 एक अरब ग्यारह करोड़ तिरान्नबे लाख इक्यान्बे हजार मात्र) का औषधि मद में प्राविधान है, जो प्रति व्यक्ति रूपया 6.74 है।

जी हॉ।

प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में कैंसर के प्रारम्भिक उपचार की सुविधा उपलब्ध है। इस हेतु धनराशि की व्यवस्था उल्लिखित धनराशि में समाहित है। कैंसर रोगियों के विशेष उपचार हेतु जनपद मैनपुरी में रू0 6.62 करोड़ की लीनियर एक्सीलेटर नामक मशीन लगाई जा रही है। गम्भीर कैंसर के रोगियो के विशिष्ट उपचार की सुविधा प्रदेश के समस्त राजकीय मेडीकल कालेज, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ, जे0के0कैंसर इन्सटीट्यूट, कानपुर, कमला नेहरू मेमोरियल चिकित्सालय, इलाहाबाद में उपलब्ध है।

एच0आई0वी0/एड्स रोगियों के नि:शुल्क उपचार हेतु धनराशि सीधे नाको (नेशनल एड्स कन्ट्रोल आरगनाइजेशन, भारत सरकार) द्वारा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी को दी जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में (15 नवम्बर, 2005 तक) रू0 16.51 करोड़ नाको द्वारा उपलब्ध कराये गये है इसमें से रू0 8.20 करोड़ पिछले वित्तीय वर्ष का है। एड्स का उपचार उ0प्र0 एड्स नियंत्रण सोसायटी के माध्यम से किया जा रहा है। एच0आई0वी0 धनात्मक एड्स रोगियों के चिन्हिकरण एवं परामर्श हेतु प्रदेश में 70 स्वैच्छिक परामर्श एवं परीक्षण केन्द्रों की स्थापना की गयी है। उपर्युक्त समस्त केन्द्रों पर एच0आई0वी0/एड्स रोगियों को नि:शुल्क परामर्श तथा प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा उपचार प्रदान किया जा रहा है।

दीमागी बुखार (जे0ई0) के ईलाज के लिये जे0ई0 वैक्सीन/किट्स एवं उपकरण के क्रय हेतु रूपया 1,01,37,920 (रू0 एक करोड़ एक लाख सैतिस हजार नौ सौ बीस मात्र) एवं रूपया 3,08,42,000 (रू0

तीन करोड़ आठ लाख बयालिस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गयी है। रोगियों को चिकित्सालय में भर्ती कराने हेतु ले जाने के लिये निःशुल्क वाहन व्यवस्था की गयी है। गोरखपुर मेडिकल कालेज को रू0 10.00 लाख मूल्य की औषधि दी गयी है। भारत सरकार से भी जे0ई0 रोग के उपचार की औषधियाँ एवं उपकरण दिये गये है।

प्रश्न नहीं उठता।

असन्तुलित जनसंख्या को सन्तुलित करने हेतु सरकार द्वारा कार्य योजना

*7-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में लड़कियों एवं लड़कों की संख्या में अन्तर आ रहा है? यदि हां, तो क्या असन्तुलित जनसंख्या को सन्तुलित करने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनायी गयी है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अहमद हसन-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

लिंग चयन के पश्चात् महिला भ्रूण हत्या की रोक-थाम के लिए भारत सरकार द्वारा पी0 एन0 डी0 टी0 अधिनियम बनाया जा चुका है, जो जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है, यह अधिनियम प्रदेश में वर्ष 1996 से लागू है। इसके अन्तर्गत महिला भ्रूण हत्या रोकने की कार्यवाही की जा रही है। इस देश व्यापी कानून के रहते प्रदेश सरकार को अलग से कोई योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है।

निजी चिकित्सकों को बेहतर भागीदारी हेतु भूमि, बिजली, पानी उपलब्ध कराये जाने की योजना

*8-डा0अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रदेश सरकार चिकित्सा क्षेत्र में निजी चिकित्सकों की बेहतर भागीदारी के लिए छोटे कस्बों तथा नगरों में चिकित्सकों के प्रतिष्ठानों को रियायती दर पर भूमि, बिजली, पानी उपलब्ध कराये जाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव

जी नहीं।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा निजी चिकित्सकों को बेहतर भागीदारी हेतु भूमि, बिजली, पानी उपलब्ध कराये जाने की कोई योजना नहीं है। जहां तक रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न है, भूमि की व्यवस्था विकास प्राधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत के अन्तर्गत आता है।

अग्रहरी वैश्य समाज को पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया जाना

*9-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री को जानकारी है कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने अग्रहरी वैश्य समाज को पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किये जाने की संस्तुति की है? यदि हां, तो क्या सरकार अग्रहरी वैश्य समाज को पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत शामिल किये जाने हेतु कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री महबूब अली)-

जी हॉ। मा0 उ0प्र0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से प्राप्त संस्तुति पूर्ण पीठ की संस्तुति नहीं थी। आयोग की पूर्ण बेंच की संस्तुति अप्राप्त है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहांपुर के कार्यालय में पल्स पोलियों कार्यक्रम में प्राप्त धनराशि तथा व्यय

1-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या परिवार कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहांपुर के कार्यालय में पल्स पोलियों कार्यक्रम में दिनांक 1-4-2000 से 1-2-05 तक कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई तथा जनपद शाहजहांपुर के किस-किस सामु0स्वा0 केन्द्र तथा स्वास्थ्य केन्द्र में कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई? क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अहमद हसन-

मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर को पल्स पोलियों कार्यक्रम में दिनांक 1-4-2000 से 1-2-2005 तक निम्नवत् धनराशि प्राप्त हुई :-

वर्ष 2000-01	रू0	47,31,281.00
वर्ष 2001-02	रू0	1,00,13,203-00
वर्ष 2002-03	रू0	70,97,978-00
वर्ष 2003-04	रू0	12,44,599-00
वर्ष 2004-05	रू0	1,71,04,533-00
कुल	रू0	5,13,99,985-00

प्राप्त धनराशि को निम्नलिखित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निम्नवत् व्यय किया गया :-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	कुल व्यय
1. पुवायां	रू0 22,26,911-00
2. बण्डा	रू0 23,95,721-00
3. तिलहर	रू0 25,11,999-00
4. जलालाबाद	रू0 26,53,499-00
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	
1. सिधौली	रू0 20,15,282-00
2. खुटार	रू0 20,51,523-00

3. भावलखेड़ा रू0 24,70,404-00
4. निगोही रू0 22,23,576-00
5. खुदागंज रू0 23,35,041-00
6. जैतीपुर रू0 19,04,203-00
7. ददरौल रू0 21,22,461-00
8. कांठ रू0 24,69,358-00
9. मिर्जापुर रू0 19,12,286-00
10. कलान रू0 19,97,865-00

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन/किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत लम्बित अवितरित धनराशि की जाँच

2-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन/किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत बैंक शाखाओं के सन्ड्री खातों में लम्बित अवितरित धनराशि के मिलान एवं वापसी हेतु नियुक्त तीन चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्मों द्वारा मई, 2005 तक कितने जिलों की जांच की गयी और कितनी धनराशि की वापसी कराई गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

जी हॉ।

समाज कल्याण निदेशालय के पत्र दिनांक 11 जून, 2002 द्वारा नियुक्त तीन चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्मों द्वारा वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनान्तर्गत माह मई,2005 तक निम्नानुसार कुल 14 जनपदों की जॉच की गई, जिनमें बैंकों से कुल रू0 61,97,409/- की धनराशि वापसी कराई गई :-

क्रमांक	जनपद का नाम	वापस कराई गई धनराशि	
1.	फिरोजाबाद	रू0	1,14,449/-
2.	मथुरा	रू0	1,11,941/-
3.	महामायानगर	रू0	93,639/-
4.	प्रतापगढ़	रू0	3,44,338/-
5.	बाराबंकी	रू0	7,09,484/-
6.	गोरखपुर	रू0	7,10,704/-
7.	चन्दौली	रू0	2,03,386/-

8.	गाजीपुर	रू0	5,88,547/-
9.	जौनपुर	रू0	8,26,850/-
10.	मेरठ	रू0	2,250/-
11.	मुरादाबाद	रू0	8,88,624/-
12.	बरेली	रू0	3,28,307/-
13.	उन्नाव	रू0	15,46,937/-
14.	झाँसी	रू0	2,27,953/-
	योग-	रू0	61,97,409/-

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 कर्मचारी कल्याण निगम, लखनऊ मण्डल के अध्यक्ष एवं कर्मचारी नेता श्री राजपाल सिंह यादव द्वारा की गयी आत्महत्या तथा आश्रितों को नौकरी की माँग

3-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निगम लखनऊ मण्डल के अध्यक्ष एवं कर्मचारी नेता राजपाल यादव द्वारा दिनांक 24-2-2004 को वेतन न मिलने के कारण आत्महत्या कर ली गयी थी? यदि हां, तो क्या सरकार उनके आश्रित को नौकरी तथा परिवार को आर्थिक सहायता दिये जाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं। श्री राजपाल सिंह यादव को नियमित वेतन प्राप्त हो रहा था, उनके द्वारा दिनांक 24.2.05 को किन्हीं अन्य कारणों से अपने आवास पर आत्महत्या कर ली गयी थी।

उ0प्र0 के हानि वाले सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में मृतक के आश्रित को नौकरी दिये जाने के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या-05 वी0आई0पी0/44-2-2003-2 व सं0/88 दिनांक 11.7.2003 द्वारा लगाये गये प्रतिबंध के कारण नौकरी दिया जाना सम्भव नहीं है। आर्थिक सहायता दिये जाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है।

जनपद जौनपुर में मस्तिष्क ज्वर आदि से मृत्यु एवं बचाव हेतु कार्य योजना

4-श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में वर्ष 2005 में जुलाई से सितम्बर तक मस्तिष्क ज्वर या इससे मिलती जुलती बीमारी से कितने लोगों की मृत्यु हुई है? क्या सरकार द्वारा इससे बचाव हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ, जनपद जौनपुर में वर्ष 2005 में जुलाई से सितम्बर तक मस्तिष्क ज्वर या उससे मिलती-जुलती बीमारी से 01 मृत्यु हुई है।

जी हॉ।

मस्तिष्क ज्वर (जे0ई0) से बचाव हेतु तैयार की गई कार्य योजना के अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रों में कीटनाशक छिड़काव/फागिंग द्वारा वेक्टर नियंत्रण, स्वास्थ्य शिक्षा तथा रोगियों को तुरन्त चिकित्सालय में भर्ती कराने हेतु नि:शुल्क वाहन व्यवस्था तथा सभी जिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रोगियों के उपचार की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, लखनऊ द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री

5-श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2005 के पहले बुधवार के लिये निर्धारित श्री जगदीश नारायण राय, सदस्य, विधान सभा के अता0प्र0सं0-39 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्रय आदेश दिनांक 28.3.05 एवं 29.3.05 के सापेक्ष उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, लखनऊ द्वारा क्या-क्या सामग्री आपूर्ति की गयी? क्या आपूर्ति की गयी सामग्री में औषधि, रसायन व माइक्रोस्कोप भी सम्मिलित है? यदि हां, तो क्या आपूर्ति की गई औषधि, रसायन व माइक्रोस्कोप उक्त उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा निर्मित की जाती है? यदि नहीं, तो उक्त औषधि एवं रसायन, माइक्रोस्कोप की आपूर्ति करने का औचित्य क्या है?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हॉ, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, लखनऊ से क्रय आदेश दिनांक 27-3-2005 के सापेक्ष मलेरिया, डेंगू आदि रोगों से बचाव की जानकारी के लिये आवश्यक सामग्री में डिसप्ले टिन प्लेट की आपूर्ति की गयी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला अस्पताल, शाहजहॉपुर में ट्रामा सेन्टर खोले जाने की मांग

6-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहांपुर में जिला अस्पताल में ट्रामा सेन्टर खोले जाने हेतु धन की व्यवस्था हो गयी है? यदि हां, तो उक्त ट्रामा सेन्टर कब तक खोल दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हॉ।

ट्रामा सेन्टर निर्माण की कार्यवाही प्रक्रिया में है। निर्माण कार्य पूर्ण होने एवं भवन हस्तगत हो जाने पर उक्त ट्रामा सेन्टर को क्रियाशील कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ द्वारा कतिपय व्यक्तियों को पुत्री विवाह अनुदान चेक का भुगतान न हो जाने संबंधी मामला

7-श्री कौशल किशोर-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ द्वारा विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद, लखनऊ में अप्रैल,2005 में पुत्रियों के विवाह अनुदान आवेदन-पत्र स्वीकार करके लगभग 24 लोगों को अनुदान चेक द्वारा दिया गया था, जिनमें लगभग 11 लोगों को चेकें बैंक द्वारा भुगतान नहीं हो पायी और चेकों की भुगतान अवधि समाप्त हो गयी? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चेकों के भुगतान की अवधि बढायेगी? यदि नही, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हॉं।

दि0 15.4.2005 को 20 व्यक्तियों को पुत्री विवाह अनुदान चेक संबंधित व्यक्तियों को दिया गया था, 24 व्यक्तियों को नहीं।

केवल 04 लाभार्थियों के चेकों की भुगतान अवधि समाप्त हुयी है।

जी नहीं। मार्च माह में निर्गत कोषागार चेक की अवधि अप्रैल माह की अंतिम तिथि तक रहती है। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के कारण माह मार्च में निर्गत चेकों की अवधि समाप्त हो जाने पर कोषागार द्वारा तिथि पुनर्नव किये जाने का प्राविधान नहीं है।

श्री सरवन, गांव भूड़खेड़ा जिला हरदोई के पैर का इलाज हेतु कृत्रिम पैर लगाने संबंधी प्लास्टिक सर्जरी विभाग के0जी0चि0 विश्वविद्यालय, लखनऊ को प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही

8-श्री कौशल किशोर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, लखनऊ का पत्र दिनांक 22.6.05 जो श्री सरवन पुत्र लेखराम, गांव भूडखेडा तह0 संडीला, जिला हरदोई के पैर का इलाज कराकर कृत्रिम पैर लगाने हेतु विभागाध्यक्ष, प्लास्टिक सर्जरी विभाग के0जी0चि0 विश्वविद्यालय, लखनऊ को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नही उठता।

औषधिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिला बस्ती के विरूद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

9-कुंवर आर0पी0एन0 सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि औषधिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कसियापुर तहसील-हरैया, जिला-बस्ती के विरूद्ध मा0 सदस्य कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह का शिकायती-पत्र मार्च, 2005 में मा0 राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के कैम्प कार्यालय, बापू भवन, लखनऊ में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नही, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हॉं।

श्री रामजी गुप्ता, फार्मेसिस्ट नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र काशीपुर, बस्ती का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती ने अपने कार्यालय आदेश संख्या-स्था0/फार्मे0/05-06/5488, दिनांक 18.11.2005 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हरैया, बस्ती स्थानान्तरित कर दिया गया है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद गोरखपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मानक के अनुसार चिकित्सकों की तैनाती की मांग

10-श्री सदल प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र बांसगांव में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बांसगांव में मानक के अनुसार चिकित्सक तैनात है? यदि हॉ, तो कुल कितने महिला एवं पुरुष चिकित्सक तैनात है? क्या सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मानक के अनुरूप चिकित्सकों की नियुक्ति करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र बांसगांव में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बॉसगॉव में कुल 06 चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 04 पुरूष विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी तैनात हैं। दन्त शल्यक विशेषज्ञ महिला चिकित्सक का एक-एक पद रिक्त हैं।

जी, हां।

दंत शल्यक व महिला विशेषज्ञ चिकित्सकों के चयन के सम्बन्ध में अधियाचन लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद को शासन द्वारा भेजा गया है। चयन सूची प्राप्त होने पर दन्त शल्यक व महिला विशेषज्ञ चिकित्सक की तैनाती कर दी जायेगी।

जनपद चित्रकूट के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा समूह "घ" में अनियमितता संबंधी शिकयती-पत्र

11-श्री आर0के0 सिंह पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चित्रकूट के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा समूह "घ" के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अनियमित भर्ती को रोकने एवं जांच तथा दोषी को दण्ड देने के सम्बन्ध में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को शासन का पत्र सं0-एम0एल0ए0-20 रोक-4/पांच-05वि0स0-1003-2005 आयुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या अनियमित भर्ती को निरस्त कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हॉ।

चयनित/नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा वेतन भत्तों के भुगतान हेतु मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विभिन्न रिट याचिकाएं दायर की गयी हैं। उक्त रिट याचिकाओं/उनमें पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों एवं प्रकरण में अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण झांसी मण्डल से प्राप्त जांच आख्या के दृष्टिगत कार्यवाही की जा रही है।

जी नहीं।

अपर निदेशक द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या शासन स्तर पर परीक्षणाधीन है।

श्रीमती पुष्पा जिन्दल, सिस्टर, महिला चिकित्सालय, बरेली को वेतन के भुगतान की मांग

12-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या मुख्य मंत्री को यह जानकारी है कि आदेश संख्या-19 क/5-एन/23/4573-75, दिनांक 6.6.98 के द्वारा श्रीमती पुष्पा जिन्दल को नर्स के पद पर जिला महिला चिकित्सालय, बरेली में कार्यभार ग्रहण कराया गया था? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उन्हें विगत 27 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त नर्स के वेतन का भुगतान करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हॉं।

आदेश संख्या-19 फ/5-एम-23/4573-73, दिनांक 16.6.1998 (न कि आदेश संख्या-19 क/5-एन/23/4573 दिनांक 6.6.98) के अनुपालन में श्रीमती पुष्पा जिन्दल को सिस्टर (नर्स नहीं) के पद पर महिला चिकित्सालय, बरेली में कार्यभार ग्रहण कराया गया था, जिसके अनुपालन में उनके द्वारा दिनांक 24.6.1998 को योगदान किया गया।

जी हॉं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण।

अनुसूचित जाति प्राइमरी पाठशाला, भिलावां, लखनऊ के संचालन का अधिकार प्राधिकृत नियंत्रक को प्रदान किये जाने का प्रकरण

13-श्री मदन चौहान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय महामंत्री, उ0प्र0 अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एसोसिएशन का पत्र दिनांक 7 मई, 2003 जो सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति प्राइमरी पाठशाला, भिलावां, लखनऊ के संचालन का अधिकार प्राधिकृत नियंत्रक को प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में था, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हॉं।

अनुसूचित जाति प्राइमरी पाठशाला, भिलावा, लखनऊ के संचालन का अधिकार प्राधिकृत नियंत्रक को प्रदान किये जाने के प्रकरण की मण्डलीय उप निदेशक समाज कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ से जॉच कराई गई। जॉच के निष्कर्ष पर कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राजाजीपुरम, लखनऊ स्थित रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय को उच्चीकृत करने की मांग

14-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजाजीपुरम्, लखनऊ स्थित रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय को उच्चीकृत करके 30 बेड से 100 बेड का चिकित्सालय बनाये जाने का प्रस्ताव

शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

यह प्रस्ताव वर्ष 1999 में विचाराधीन था, जिस पर निर्णय लिया जा चुका है।

जुलाई, 1999 में निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। आगामी प्रक्रिया प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य तेलों को खुला बेचने को पूरी तरह से प्रतिबन्धित करने पर विचार

15-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार खाद्य तेलों को खुला बेचने को पूरी तरह से प्रतिबन्धित करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो दुर्बल आय वर्ग के लोगों को छोटी मात्रा के डिब्बे आसानी से बाजार में मिल सके इसके लिए सरकार कोई व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

वर्तमान में विचाराधीन नही है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

16-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

[पहले सोमवार के अता0प्र0सं0-145 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

क्वीन मेरी अस्पताल, लखनऊ में श्रीमती ज्ञानवती की नसबन्दी होने के उपरान्त गर्भवती होने के प्रकरण की जांच

17-श्री कौशल किशोर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ थाना-मलिहाबाद गांव कसमण्डीकलां की ज्ञानवती पत्नी मिहीलाल की नसबन्दी दिनांक 1-1-04 को क्वीन मेरी अस्पताल, लखनऊ में डा0 दीपाली की देख-रेख में हुई थी? क्या यह सही है कि नसबन्दी होने के उपरान्त प्रार्थिनी करीब 6 माह की गर्भवती हो जाने विषयक शिकायती प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, लखनऊ को दिनांक 13.5.05 को दिया गया, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो जांचोपरान्त उक्त प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यो?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला नियोजन समिति, प्रतापगढ़ द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानापुर का विस्तार हेतु परिव्यय धनराशि की व्यवस्था

18-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन समिति, प्रतापगढ़ ने वर्ष 2005-06 की जिला योजना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानापुर का विस्तार किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर परिव्यय धनराशि की व्यवस्था की है? यदि हां, तो जिला नियोजन समिति के अनुमोदन वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 के अनुरूप स्वीकृति के आदेश निर्गत किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हॉ।

जी नहीं।

सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कर्मचारियों की तैनाती

19-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निर्धारित मानक के अनुसार ए0एन0एम0 एवं अन्य तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तैनात है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मचारी कब तक तैनात कर दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अहमद हसन-

विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निर्धारित मानक के अनुसार ए0एन0एम0 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनात है।

तृतीय श्रेणी के कुछ पद स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त हैं जिन पर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्तर से कार्यवाही की जानी है।

शाहजहांपुर में वृद्धावस्था पेंशन के प्रार्थना-पत्र

20-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने का मानक क्या है? वर्ष 2000-01, वर्ष 2001-02 तथा वर्ष 2005-06 में जुलाई, 2005 तक शाहजहांपुर में कितने वृद्धावस्था पेंशन के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए? उनमें से कितने लोगों को पेंशन स्वीकृत की गयी तथा कितने लोगों को उनमें से पेंशन मिल रहीं है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद-

1. वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना में वही व्यक्ति पात्र होते हैं, जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति पात्र होते हैं, जो भूमिहीन हो अथवा उनके पास 3.25 एकड़ से अधिक भूमि न हो। शहरी क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता की श्रेणी में आते है, जिनकी मासिक आय सभी श्रोतों से रू0 1,000/- से अधिक न हो।
2. यदि पति/पत्नी दोनो ही पात्र हो तो ऐसी स्थिति में पति/पत्नी दोनों में से एक को ही वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किया जायेगा। ऐसे मामलों में महिला सदस्य को प्राथमिकता दी जाती है।
3. वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन की मासिक दर रू0 150/- प्रति व्यक्ति हैं।

वर्ष 2000-01 में 1344, वर्ष 2001-02 में 2719, वर्ष 2005-06 में माह जुलाई, 2005 तक 1203 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए है।

कुल 5,266 आवेदन पत्रों के विरूद्ध मृतक/अपात्र पेंशनरों के रिक्त हुए स्थान पर 3723 अभ्यर्थियों को पेंशन स्वीकृत की गई एवं 3723 व्यक्तियों को ही पेंशन मिल रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण अंचल में मच्छरों से बचाव की योजना

21-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अंचल में मच्छरों से बचाव हेतु फागिंग मशीन द्वारा छिड़काव करने की कोई योजना बनायी गयी है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हॉं।

भारत सरकार द्वारा दिये गये तकनीकी निर्देशों के अनुसार जापानीज इन्सेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू आदि मच्छर जनित रोगों के आउटब्रेक की स्थिति में प्रभावित ग्रामों एवं आसपास के ग्रामों में फागिंग कराये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती सीतापती, थाना गोविन्दनगर, जिला बस्ती को जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने विषयक-पत्र

22-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या सरकार को जानकारी है कि श्रीमती अमरता धर्मपत्नी पांचू निवासिनी देयीपार सल्टउवा थाना तथा गोविन्दनगर, जिला बस्ती का प्रार्थना-पत्र, मा0 विधायक श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना के पत्र के साथ जो उनकी जलाई गई पुत्री श्रीमती सीतापती (पूर्ण विकलांग) को जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने विषयक था, 1 मई से 20 जून, 2005 के मध्य मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को डाक प्रमाण-पत्र के अधीन भेजा गया, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम नारायण-

जी हॉं।

प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने हेतु जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, बस्ती को निर्देशित किया गया है। 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग प्रमाणित होने तथा रू0 एक हजार तक मासिक आय होने की दशा में भरण-पोषण हेतु विकलांग पेंशन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, बस्ती द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर को आवंटित धनराशि तथा उसका उपयोग

23-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर को 1.4.02 से 20.7.05 तक प्रत्येक वर्षों में कितनी-कितनी धनराशि किन-किन मदों में दी गयी तथा उसका उपयोग कहां-कहां किया गया? क्या सरकार पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर को वर्षवार निम्नलिखित धनराशि आवंटित की गई :-

वर्ष	आवंटित धनराशि
2002-03	रू0 1,94,94,393
2003-04	रू0 2,14,34,874
2004-05	रू0 2,42,20,675
2005-06	रू0 1,93,80,933

(20.07.2005 तक)

उक्त धनराशि का उपयोग उसी मद में किया गया, जिस मद में धनराशि आवंटित की गयी थी।

सम्बन्धित विवरण मा0 चिकित्सा राज्य मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है, जिसे मा0 सदस्यगण किसी भी कार्य दिवस में देख सकते हैं।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहाँपुर में पल्स पोलियों कार्यक्रम में प्राप्त धनराशि एवं उसका व्यय

24-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

क्या परिवार कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहांपुर में दि0 1.4.2003 से 24.7.05 तक प्रत्येक वर्षो में पल्स पोलियों कार्यक्रम मद में कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई तथा उपरोक्त धनराशि कहां-कहां व्यय की गई? क्या सरकार पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी?

श्री अहमद हसन-

दिनांक 1.4.2003 से 24.7.2005 तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहांपुर, कार्यालय में पल्स पोलियो योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-2004 में रू0 1,24,89,592.00 वर्ष 2004-05 में रू0 1,70,58,753.00 तथा जुलाई, 2005 तक रू0 1,03,34,954.00 कुल धनराशि रू0 3,98,83,299.00 प्राप्त हुई।

उक्त के सापेक्ष क्रमशः वर्ष 2003-04 में रू0 1,17,27,954.00, वर्ष 2004-05 में रू0 1,62,71,778.00 तथा वर्ष 2005-06 में रू0 98,71,412.00 कुल धनराशि रू0 3,78,71,144.00 जनपद शाहजहांपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं मुख्यालय व नगर क्षेत्र में व्यय की गई। अवशेष धनराशि रू0 20,12,155.00 महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को वापस कर दी गई।

जी हाँ। विवरण संलग्न है।

कार्यालय जिला कुष्ठ अधिकारी, शाहजाँपुर में विभिन्न मदों में व्यय धनराशि का विवरण

25-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्यालय जिला कुष्ठ अधिकारी शाहजाहांपुर में 1-4-2002 से 20-7-05 तक कितनी-कितनी धनराशि दी गई तथा उक्त धनराशि किन-किन मदों में व्यय की गई? क्या सरकार पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी?

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 124 पर।)

श्री मुलायम सिंह यादव-

जिला कुष्ठ समिति, शाहजहाँपुर जिसके सचिव जिला कुष्ठ अधिकारी है को वर्ष 2002-2003 में रूपया 37,27,725/-, वर्ष 2003-2004 में रूपया 20,30,000/- एवं वर्ष 2004-2005 में रूपया 3,86,174/ तथा वर्ष 2005-2006 में शून्य धनराशि एम0डी0टी0 परियोजना के संचालनार्थ प्रदान की गयी। प्रदत्त सहायक अनुदान की धनराशि का उपयोग जिला कुष्ठ समिति, शाहजहाँपुर के अधीन कार्यरत संविदाधीन स्टाफ के पारिश्रमिक भुगतान वाहन परिचालन, कार्यालय व्यय, औषधि क्रय, रोगी कल्याण एवं विकलांगता निवारण आदि सामग्री क्रय मद में किया गया।

वर्षवार व्यय विवरण सदन के पटल पर देखा जा सकता है।

जनपद अलीगढ़ में अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण

26-चौ0 महेन्द्र सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में वित्तीय वर्ष 2003-04, 2004-05 में अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु कितनी धनराशि प्राप्त हुई तथा उसमें से कितनी धनराशि वितरित की गयी? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जनपद अलीगढ़ के कितने स्कूल कालेज ऐसे हैं जहां पर छात्र-छात्राओं को उक्त वर्षो की छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है? क्या सरकार उक्त छात्रवृत्ति का भुगतान करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद-

जनपद अलीगढ़ को वित्तीय वर्ष 2003-04 में रू012,69,60,500/- एवं 2004-05 में रू0 9,65,70,000/- अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति प्राप्त हुयी। वर्ष 2004-05 में अलीगढ़ से विभाजित जनपद महामाया नगर को पृथक से धनराशि आवंटित की गयी।

वर्ष 2003-04 का कोई भी विद्यालय छात्रवृत्ति से वंचित नहीं है। वर्ष 2004-05 में 182 विद्यालय छात्रवृत्ति से वंचित बताये गये हैं। दशमोत्तर छात्रवृत्ति में भारत सरकार से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण अवशेष धनराशि की मांग भारत सरकार से निरंतर की जा रही है। अवशेष विद्यालयों में छात्रवृत्ति वितरण न हो पाने के कारणों की जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

भारत सरकार से धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ के जिला अस्पताल में सी0टी0 स्कैन मशीन लगाये जाने का प्रकरण

27-चौ0महेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद अलीगढ़ के जिला अस्पताल में सी0टी0 स्कैन मशीन लगाये जाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सी0टी0स्कैन मशीन की व्यवस्था वित्तीय संसाधन पर निर्भर करती है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 126 पर।)

विधान सभा क्षेत्र कोल, जनपद अलीगढ़ के प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निर्धारित मानक के अनुसार सुविधायें उपलब्ध कराया जाना

28-चौ0महेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कोल, जनपद अलीगढ़ के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निर्धारित मानक के अनुसार चिकित्सक, ए0एन0एम0 एवं कर्मचारी तैनात हैं? यदि नहीं, तो मानक के अनुसार तैनाती कब तक कर दी जायेगी? क्या विधान सभा क्षेत्र कोल के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्सरे मशीन, पैथोलाजी, आपरेशन थियेटर कार्यरत है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव-

कोल विधान सभा क्षेत्र जनपद-अलीगढ़ के अन्तर्गत कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं है। यहां पर 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 06 नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। चिकित्साधिकारी-12, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी-02, फार्मासिस्ट-08, स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष)-21 तथा वाहन चालक-02 के स्वीकृत पदों के सापेक्ष मात्र 04, 02, 03, 14 एवं 01 पद ही रिक्त है। ए0एन0एम0 मानक के अनुसार तैनात है।

कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सक विहीन नही है। चिकित्साधिकारियों/कर्मचारियों के उपलब्ध होते ही रिक्त पदों को भर दिया जायेगा।

पैथोलाजी, आपरेशन थियेटर की व्यवस्था निर्मित भवनों में उपलब्ध है। एक्सरे मशीन की व्यवस्था मानक के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नहीं होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

आलापुर, अम्बेडकर नगर में अस्पताल के निर्माण की मांग

29-श्री जयराम विमल-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार द्वारा आलापुर, अम्बेडकरनगर में 25 शैया का निर्मित अस्पताल को कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह-

भवन निर्माणाधीन है।

मुख्य चिकित्साधिकारी, अम्बेडकरनगर को आगामी वित्तीय वर्ष 2006-07 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु परिव्यय की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। तदोपरान्त स्थापना की कार्यवाही हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर विकास खण्ड रामनगर में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र की स्थापना की मांग

30-श्री जयराम विमल-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड रामनगर, जनपद अम्बेडकरनगर में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र की स्थापना किये जाने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रत्येक विकास खण्ड पर प्राथमिक अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पूर्व से ही स्थापित है। इन प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा समस्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण की सेवायें प्रदान की जाती है। प्रत्येक प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में उपकेन्द्र/मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र क्रियाशील हैं जहाँ से ग्रामीण क्षेत्र की जनता को उपरोक्त सेवाएं प्रदान की जाती है। अत: पहले से सेवित क्षेत्र में अतिरिक्त उपकेन्द्र स्थापित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य चिकित्साधिकारी, मैनपुरी कार्यालय भवन एवं अन्य भवनों की मरम्मत एवं रंगाई पुताई में आवंटित धनराशि

31-श्री शमीमुल हक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में मुख्य चिकित्साधिकारी, मैनपुरी कार्यालय भवन एवं अन्य भवनों की मरम्मत एवं रंगाई पुताई हेतु महानिदेशालय से कितनी धनराशि आवंटित की गयी? क्या आवंटित धनराशि से अधिक धनराशि उक्त भवनों पर व्यय की गयी? यदि हां, तो बजट से अधिक धन व्यय करने के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी है? क्या सरकार उत्तरदायी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वर्ष 2003-04 में मानक मद 25-लघु निर्माण में रू0 15,63,377-00 की धनराशि भवनों की मरम्मत एवं रंगाई पुताई हेतु आवंटित की गई।

वर्ष 2004-2005 में उक्त मानक मद में कोई आवंटन नहीं किया गया।

जी नहीं, उक्त आवंटन के सापेक्ष रू0 15,61,340-00 व्यय किया गया तथा शेष धनराशि रू02,037-00 समर्पित कर दी गई।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य चिकित्साधिकारी फर्रुखाबाद के कार्यालय प्रांगण में खाली पड़ी भूमि पर अवैध कब्जा

32-श्री शमीमुल हक-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मुख्य चिकित्साधिकारी फर्रुखाबाद के कार्यालय प्रांगण में खाली पड़ी एक एकड़ भूमि पर श्री दान सिंह राठौर, निवासी ग्राम-ज्योता, थाना-मोहम्मदाबाद, जनपद फर्रुखाबाद द्वारा फर्जी पट्टा बनाकर कब्जा कर लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कराकर सरकारी सम्पत्ति को खाली करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पोस्ट ग्रेजुयेट मेडिकल प्रवेश परीक्षा, 2005 में अभ्यर्थियों के अंगूठे की छाप की मैचिंग प्रक्रियां

33-श्री सोमारू राम सरोज-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ में पोस्ट ग्रेजूएट मेडिकल प्रवेश परीक्षा, 2005 में काउन्सिलिंग के समय सभी अभ्यर्थियों के अंगूठे की छाप की मैचिंग करायी गयी थी? यदि हां, तो उसमें कितने अभ्यर्थियों की मैचिंग फर्जी पाई गई तथा कितनों का प्रवेश निरस्त किया गया?

श्री मुलायम सिंह यादव-

पोस्ट ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा-2005 किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आयोजित नहीं कराई गई है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा-2005 का आयोजन लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कालेज मेरठ द्वारा किया गया था। पोस्ट ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा-2005 में पहली बार अंगूठा निशानी ली गई थी।

काउंसिलिंग के समय दो अभ्यर्थी अंगूठे का निशान लेते समय पकड़े गये थे जिनके विरूद्ध पुलिस में एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर जेल भेजे गये थे। अन्य की मैचिंग प्रक्रिया चल रही है।

पट्टी विधान सभा क्षेत्र के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानकों के अनुसार सुविधायें

34-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पट्टी विधान सभा क्षेत्र के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुसार चिकित्सक/कर्मचारी तथा एक्सरे मशीन, पैथोलोजी, आपरेशन थियेटर ओवर हेड टैंक उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो मानकों के अनुसार उक्त व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत कोई भी ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। ब्लाक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-पट्टी, अमरगढ़, कोहडौर में एक्सरे मशीन, पैथोलाजी, आपरेशन थियेटर, ओवरहेड टैंक मानक के अनुसर उपलब्ध है।

विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सक/कर्मचारी मानक के अनुसर तैनात हैं। इन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्सरे मशीन, पैथोलाजी, आपरेशन थियेटर, ओवरहेड टैंक [illegible] स्थापना मानक में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

सी0एम0ओ0 कार्यालय, मैनपुरी के लिपिकों के स्थानान्तरण का प्रकरण

35-श्री शमीमुल हक-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य महानिदेशालय उ0प्र0 के आदेश संख्या 3317-21 एवं 3306-15 दिनांक 15-06-05 तथा 3422-24 एवं 3416-20, दिनांक 17-06-05 द्वारा सी0एम0ओ0 कार्यालय, मैनपुरी के लिपिकों के स्थानान्तरण आदेशों के अनुपालन में सी0एम0ओ0, मैनपुरी द्वारा लिपिकों को कार्यभार से मुक्त कर दिया गया था? क्या यह सत्य है कि कतिपय लिपिकों ने अभी तक नई तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लिपिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

जी हॉ।

अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा मण्डल, आगरा से आख्या प्राप्त होने/तथ्यों की पुष्टि होने के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य औषधिक द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुरादाबाद के अधीन कार्यभार ग्रहण करना

36-कुंवर आर0पी0एन0सिंह-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2005 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न-57 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित मुख्य औषधिक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या 4 डी (2)/8209/05/5513-18, दिनांक 16.7.2000 का पालन करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुरादाबाद के यहां कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के आदेश दिनांक 16.7.2005 द्वारा श्री आत्मदेव गुप्ता, चीफ फार्मेसिस्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उतरौला बलरामपुर का स्थानान्तरण मुख्य चिकित्साधिकारी मुरादाबाद के अधीन किया गया था, किन्तु श्री आत्मदेव गुप्ता द्वारा किये गये अनुरोध के आधार पर उक्त आदेश को संशोधित करते हुए महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के आदेश दिनांक 24.8.2005 द्वारा उन्हें जिला महिला चिकित्सालय बलरामपुर में तैनात किया जा चुका है।

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग का पुनर्गठन

37-श्री कौशल किशोर-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के पुनर्गठन एवं पद सृजन का कार्य किया जा चुका है? यदि हां, तो क्या इन पदों पर पदोन्नति के पश्चात अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गयी है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हॉ।

संवर्ग पुनर्गठन के फलस्वरूप वि[illegible] वेतनमानों में चिन्हित पदों पर पदोन्नति/तैनाती की कार्यवाही निरवरत रूप से प्रक्रियान्तर्गत है।

प्रश्न नहीं उठता।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति तथा निर्माण कार्य

38-श्री नवाब सिंह नागर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा नियम 301 के अन्तर्गत दिनांक 17.11.04 को दी गई सूचना के उत्तर में शासन ने पत्रांक 334/5-06-05, दिनांक 7 फरवरी, 2005 के माध्यम से

अवगत कराया था कि उक्त प्रकरण में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति तथा पुनरीक्षित लागत का आकलन कर अवशेष धनराशि निर्माण इकाई को उपलब्ध कराने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा? यदि हां, तो क्या उक्त कार्यवाही पूर्ण कर ली गई? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हॉ।

जी नहीं।

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रक्रियागत औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त उक्त कार्यवाही प्राथमिकता पर पूर्ण कर ली जायेगी।

चन्दौसी के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का पद समाप्त कर दिये जाने की जानकारी

39-श्रीमती गुलाब देवी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या चन्दौसी में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का पद समाप्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हॉ।

प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के फलस्वरूप शैयाओं के आधार पर निर्धारित मानक के अनुसार चन्दौसी (मुरादाबाद) 30 शैय्या का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होने के कारण उसमें केवल अधीक्षक का पद स्वीकृत है तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का पद स्वीकृत नहीं है।

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ एवं उसके विभिन्न अनुभागों में सचिवालय से इतर विभागों/निदेशालय का अधिकारी/कर्मचारी को तैनात/सम्बद्ध किया जाना

40-श्री पूर्णमासी देहाती-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेशों व नियमों के विपरीत प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यालय, उ0प्र0 शासन, लखनऊ एवं उसके विभिन्न अनुभागों में सचिवालय से इतर विभागों/निदेशालयों के कितने अधिकारी/कर्मचारी तैनात/सम्बद्ध हैं? उनको कब तक हटा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हॉ।

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ एवं उसके विभिन्न अनुभागों में सचिवालय से इतर विभागों/निदेशालय का कोई अधिकारी/कर्मचारी किसी आदेश से तैनात/सम्बद्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के स्कूलों एवं कालेजों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराये जाने की मांग

41-चौधरी महेन्द्र सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के स्कूलों एवं कालेजों में अध्ययरत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को गत वर्ष की छात्रवृत्ति उपलब्ध करा दी गई? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त छात्रों को छात्रवृत्ति कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

पूर्वदशम छात्रवृत्ति की पूरी धनराशि उपलब्ध करा दी गयी थी। दशमोत्तर छात्रवृत्ति में भारत सरकार से अवशेष धनराशि की मांग की गई है जो अभी तक अप्राप्त है। पूर्वदशम छात्रवृत्ति में वर्ष 2004-05 में कोई भी मांग निदेशालय/शासन स्तर पर लम्बित नहीं है।

भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण।

भारत सरकार से धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद बागपत के जागौस गांव में भयावह बुखार फैलने से हुयी मृत्यु के फलस्वरूप पीड़ितों के परिवार को आर्थिक सहायता

42-डॉ0अजय कुमार-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जपनद बागपत के जागौस गांव में सितम्बर, 2005 में भयावह बुखार फैलने के कारण लगभग 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है? यदि हां, तो क्या पीड़ित परिवार को कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हॉ, जनपद बागपत के जागौस गॉव में सितम्बर, 2005 में सितम्बर, 2005 में 05 लोगों की मृत्यु हुई थी।

जी हॉ।

इन रोगियों की मृत्यु ज्वर के कारण हुई थी। अत:साधारण ज्वर के रोगियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला सीतापुर के प्राइमरी पाठशाला भवन में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यकत्री के उपस्थित न होने के बावजूद मानदेय दिये जाने की जांच

43-श्री सुन्दर लाल-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा हरिपालपुर, वि0खण्ड मछरेहटा, जिला सीतापुर के प्राइमरी पाठशाला भवन में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र पर दि0 26.4.05 से 09.8.05 तक कार्यकत्री के उपस्थित न रहने के बावजूद डी0पी0ओ0 सीतापुर द्वारा मानदेय स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से कराकर इस वित्तीय अनियमितता के लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

जी हॉ।

आंगनबाड़ी कार्यकत्री की केन्द्र पर अनुपस्थिति अवधि दिनांक 26.04.05 से दिनांक 09.08.05 तक नहीं बल्कि दिनांक 27.04.05 से दिनांक 31.08.05 तक रही।

प्रकरण की जांच करायी गयी। वित्तीय अनियमितता के लिए दोषी तत्कालीन प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, श्रीमती शारदा यादव, वर्तमान प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री शोभा जायसवाल, बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती तारा उप्रेती तथा मुख्य सेविका श्रीमती सुमन देवी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालय पुरूष/महिला एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में फिजियोथिरैपिस्ट की तैनाती की मांग

44-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालय पुरुष/महिला एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में फिजियोथिरैपिस्ट तैनात हैं? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त चिकित्सालयों में फिजियोथिरैपिस्ट कब तक तैनात कर दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

पद स्वीकृत नहीं है.

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिगनी में मरीजों की भर्ती के लिए बेड की सुविधा

45-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेहनगर आजमगढ़ के विकास खण्ड पल्हना के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिगनी में मरीजों की भर्ती किये जाने की व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्या उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बेड की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरानगर, लखनऊ में पाँच वर्ष से अधिक अवधि से अधिकारियों की तैनाती का प्रकरण

46-श्री घूरा राम-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान इन्दिरा नगर, लखनऊ में पांच वर्ष से अधिक अवधि से सेवान्तरण पर कितने अधिकारी तैनात है? क्या यह सत्य है कि ऐसे अधिकारियों को उनके मूल विभाग को वापस किये जाने हेतु संस्थान के निदेशक द्वारा शासन को कई पत्र लिखे गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार संस्थान में पांच वर्ष से अधिक अवधि से सेवान्तरण पर तैनात अधिकारियों को उनके मूल विभाग/पद पर वापस करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अहमद हसन-

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरानगर, लखनऊ में 05 वर्ष से अधिक अवधि से सेवान्तरण पर 04 अधिकारी तैनात हैं।

जी हॉ।

संस्थान में 04 अधिकारी में से 03 अधिकारी मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत कार्यरत हैं तथा 01 अधिकारी का प्रकरण भी उक्त अधिकारियों के समान है। अत: इस सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के अग्रेतर आदेशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

कार्यालय, जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ में पुत्री की शादी हेतु अनुदान की मांग

47-श्री कौशल किशोर-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ में पुत्री की शादी के लिये अनुदान हेतु ब्लाक-बालगांव बीरपुर के नन्दराम पुत्र स्व0 मैकू व ब्लाक-मलिहाबाद के गांव कसमण्डी कलां के केशन पुत्र श्याम लाल द्वारा फार्म जमा किये गये जिसके सम्बन्ध में जि0स0का0अधि0 लखनऊ को दिनांक 22.3.05 को प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र लिखा गया था? क्या उक्त लोगों की पुत्री की शादी हेतु अनुदान स्वीकार कर दिया गया है? यदि हां, तो उसका भुगतान कब तक किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हॉ।

जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2004-05 में धनाभाव के कारण उक्त आवेदकों को अनुदान स्वीकृत नहीं हो पाया।

प्रश्न नहीं उठता। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लम्बित आवेदन पत्रों के स्वमेव निरस्त हो जाने का प्राविधान है।

उपर्युक्तानुसार।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुड़वार का निर्माण कार्य समय से पूर्ण न किये जाने पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही

48-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2004 के पहले बुधवार के आतारांकित प्रश्न संख्या-57 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुड़वार का निर्माण कार्य मार्च, 2005 में पूरा करा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? समय से निर्माण कार्य पूर्ण न कराये जाने का दोषी कौन है? क्या दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम द्वारा धीमी गति से कार्य किये जाने के कारण।

प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम को जांच को आदेश दे दिये गये हैं। जांच आख्या प्राप्त होने पर दोषी अधिकारियों की स्थिति स्पष्ट होगी।

जांच आख्या में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियो के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के रतनपुरा ब्लाक के अन्तर्गत स्थित ग्राम बीबीपुर में व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति

49-श्री आर0एस0 कुशवाहा-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मऊ के रतनपुरा ब्लाक के अन्तर्गत स्थित ग्राम बीबीपुर में किन-किन व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई? क्या उक्त पेंशन पाने वाले व्यक्ति पात्र है? यदि नहीं, तो क्या गलत तरीके से स्वीकृत की गई पेंशन की वसूली के साथ-साथ इसमें संबंधित लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद-

माह जनवरी, 2001 से अगस्त, 2005 तक जनपद मऊ के ब्लाक रतनपुरा के अंतर्गत समीत ग्राम बीबीपुर में कुल 42 व्यक्तियों को वृद्धा पेंशन दी जा रही है, जिनका विवरण निम्न है:-

नाम	पिता/पति
1-महुरी	सिराज
2-प्यारी	विश्वनाथ
3-सुदेशिया	घूरा
4-खीरी	गजपत
5-रजवती	नमूना
6-दुलारी देवी	काशी
7-सुदेश्वरी	खेदारू
8-बुधिया	रामलाल
9-गंगाजली	दलसिंगार
10-कमकलिया	तिलकधारी
11-धुनिया	रिखदेव
12-बेंफइया	इन्द्रदेव
13-पारवती	पुरूषोत्तम
14-सूबेदार	खुशिहाल
15-अकाली	मुक्खू
16-तेतरी	ननई
17-दशवती	गुलजार
18-दुर्गावती	घमन्डी
19-प्रभु	परशुराम
20-दुक्कू	जगदेव
21-रामदरश	गनेश
22-रामलाल	जगदेव
23-सुगडी	मुन्नीलाल
24-प्रभावती	किशुन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

25-इन्द्रावती	शिवचन्द्र
26-रतबन्ती	कतबारू
27-रामअवध	खरदूषण
28-प्यारी	चन्द्र प्रसाद
29-कृतवान	सालिक
30-कलावती	बरखूराम
31-लहसिया	रामजनक
32-रिखई	सिंघासन
33-जगरनाथ	चमरू
34-गुलबिया	मुन्नू
35-माण्डवी	सचिन
36-धुरिया	रामायन
37-तपेश्वर	राजदेव
38-एकमी	तुफानी
39-जिलेवा	रामअवतार
40-कन्हैयालाल	जगरूप
41-बिगनी	जतिया
42-राजेश्वरी	फौजदार

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर बलिया में स्टाफ के स्थानान्तरण की मांग

50-श्री राम करन आर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा0स्वा0 केन्द्र सीयर जनपद बलिया में कितने चिकित्सक व फार्मासिस्ट नर्स, वार्ड व्याय, बी0एच0डब्लू0 महिला तैनात हैं और कब से? क्या उक्त कर्मचारी स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत आते हैं? यदि हां, तो इनका स्थानान्तरण किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वर्तगतान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर जनपद बलिया में 04 चिकित्सक, 01 फार्मासिस्ट, 01 वार्ड ब्वाय एवं 31 वी0एच0डब्लू0 (महिला0 तैनात है, जिनकी तैनाती की अवधि का विवरण संलग्न है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 128 पर।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सिप्सा खाते में मुख्य चिकित्साधिकारी शाहजहॉपुर द्वारा वित्तीय घोटाला संबंधित जॉच

51-श्री वीरेन्द्र सिंह 'मुन्ना'-

क्या परिवार ल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि010-11-04 जो सिप्सा खाते में मुख्य चिकित्साधिकारी शाहजहांपुर द्वारा वित्तीय घोटाला की जांच के सम्बन्ध में था, मा0 मुख्य मंत्री, महानिदेशक, परिवार कल्याण विभाग, लखनऊ तथा अपर निदेशक, स्वास्थ बरेली को भेजे, जिसकी जांच अपर निदेशक, बरेली कर रहे हैं, प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई? क्या अपर निदेशक, बरेली ने प्रश्नकर्ता से साक्ष्य लेकर जांच पूरी कर ली है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अहमद हसन-

माननीय सदस्य विधान सभा का संदर्भित पत्र दिनांक 10-11-04 अपर निदेशक, बरेली अथवा परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त नहीं हुआ है। सिप्सा खाते में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहॉपुर द्वारा वित्तीय घोटाला की जॉच के सम्बन्ध में माननीय विधायक के पत्र दिनांक 20.07.04, 10.04.05, 2.05.05 तथा एक दिनांक रहित पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनकी जॉच महानिदेशक, परिवार कल्याण से कराई जा रही है।

जनपद शाहजहाँ में पल्स पोलियों अभियान में तथा प्रशिक्षण केन्द्र के सुदृढ़ीकरण में व्यापक भ्रष्टाचार की जॉच

52-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

क्या परिवार कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 20-7-04 जो जनपद शाहजहांपुर में पल्स पोलियो अभियान में तथा प्रशिक्षण केन्द्र के सुदृढ़ीकरण में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में था, उन्हें तथा महानिदेशक, परिवार कल्याण उ0प्र0 तथा अपर निदेशक, बरेली को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता से साक्ष्य लेकर जांच पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

जी नहीं। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी शाहजहाँपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार की जॉच संबंधी पत्र पर कार्यवाही

53-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

क्या परिवार कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 003235 दि0 15-10-04 जो कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजाहंपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में था, एवं जिसकी प्रतिलिप मा0 मुख्य मंत्री, महानिदेशक, लखनऊ तथा अपर निदेशक, बरेली को भेजी गई प्राप्त हुई है? क्या यह सच है कि उपरोक्त शिकायत की जांच अपर निदेशक बेरली द्वारा कराई जा रही है? यदि हां, तो क्या जांच कार्य पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अहमद हसन-

जी हां। शिकायती-पत्र पर आख्या प्राप्त हो गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी में शिव प्रसाद गुप्त तथा पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में सभी उपकरण युक्त बर्न यूनिट की सुविधा की व्यवस्था की मांग

54-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी में शिव प्रसाद गुप्त राजकीय चिकित्सालय तथा पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में सभी उपकरणयुक्त कोई बर्न यूनिट की सुविधा उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्या सरकार जनहित में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

शिव प्रसाद गुप्त जिला चिकित्सालय वाराणसी में वातानुकूलित संयत्र के अतिरिक्त अन्य सभी उपकरणों से युक्त बर्न यूनिट की सुविधा उपलब्ध है। वातानुकूलित संयत्र की स्थापना प्रक्रियाधीन है। पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में बर्न यूनिट की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

यह कार्यवाही वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

के0जी0 मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ के हृदय रोग विभाग व अन्य विभागों में टेक्नीशियन के वेतनमान

55-डा0विनोद तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि के0जी0मेडिकल विश्वविद्यालय,लखनऊ के हृदय रोग विभाग (लारी कार्डियॉलाजी सेन्टर) में कुल कितने टेक्नीशियन हैं? क्या उन्हें समता समिति की घोषित नीति के अनुरूप वेतनमान दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि के0जी0 मेडिकल विश्व-विद्यालय, लखनऊ के अन्य विभागों में टेक्नीशियनों को समता समिति की घोषित नीति के अनुरूप वेतनमान दिया जा रहा है? यदि हां, तो एक ही विश्वविद्यालय में टेक्नीशियनों का दो प्रकार के वेतनमान दिये जाने का क्या औचित्य है? क्या सरकार के0जी0 मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ के विभिन्न विभागों में कार्यरत टेक्नीशियनों के वेतनमान में हो रही विसंगतियों को दूर करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

हृदय रोग विभाग (लारी कार्डियोलॉजी सेन्टर) किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में कार्यरत टेक्नीशियनों की कुल संख्या-09 है।

जी हॉ। परन्तु उक्त 09 टेक्नीशियनों में से 05 टेक्नीशियन की वैयक्तिक रूप से रू0 4000-6000 का वेतनमान स्वीकृत किया गया जिनका मौलिक वेतनमान वस्तुत: रू0 3200-4900 ही है। शेष 04 टेक्नीशियन की रू0 3200-4900 का वेतनमान समता समिति द्वारा घोषित वेतनमान अनुमन्य किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हॉ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

56-श्री परमजीत-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

जनपद अलीगढ़ में ग्राम सभाओं एवं नगर पंचायतों में जनहित कार्य योजनाओं के अन्तर्गत राशन कार्डो का वितरण

57-चौधरी महेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद-अलीगढ़ में वर्ष 2003-04 व वर्ष 2004-05 में अन्त्योदय योजना तथा गरीबी रेखा के नीचे कितने कार्डो का वितरण किया गया? क्या यह सही है कि ग्राम

सभाओं एवं नगर पंचायतों में आबादी के अनुसार कार्डों का वितरण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा योजना के कार्डों की जांच कराकर नये सिरे से वितरण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रचलित राशन कार्डों की सं0			वितरित राशन कार्डों की सं0			वर्ष के अन्त में प्रचलित कार्डों की सं0		
बी0पी0एल0	अन्त्योदय	अन्नपूर्णा	बी0पी0एल0	अन्त्योदय	अन्नपूर्णा	बी0पी0एल0	अन्त्योदय	अन्नपूर्णा
				वर्ष 2003-04				
54316	9834	4664	-	4921	18	49395	14755	4682
				वर्ष 2004-05				
49395	14755	4682	-	4722	-	44673	19477	4682

ग्रामसभाओं एवं नगर पंचायतों में उपरोक्त जनहित कार्य योजनाओं के अन्तर्गत राशनकार्डों का वितरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है, जिसका आधार आर्थिक गरीबी है और सबसे गरीब व्यक्ति से प्रारम्भ कर निर्धारित लक्ष्य की संख्या तक राशन कार्डों का वितरण किया गया है, जिसके फलस्वरूप जहाँ अधिकतम गरीबों की आबादी है, वहाँ अधिकतम गरीबी के कार्ड जारी किये गये हैं। राशन कार्डों का वितरण आबादी के अनुसार नहीं किया जाता है।

अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों की जाँच कराकर नये सिरे से राशन कार्डों को जारी कराया गया है।

जनपद प्रतापगढ़, विधान सभा क्षेत्र सदर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ की तैनाती व अन्य चिकित्सीय सुविधाओं की व्यवस्था

58-श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र सदर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों पर मानकों के अनुसार चिकित्सक कर्मचारी तैनात हैं? यदि नहीं, तो उन्हें कब तक तैनात कर दिया जायेगा? क्या विधान सभा क्षेत्र सदर के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्स-रे मशीन, पैथालॉजी, आपरेशन थियेटर कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो उक्त व्यवस्था कब तक करा दी जायेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

सदर विधान सभा क्षेत्र में कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्स-रे मशीन स्थापित करने का मानक नहीं है। ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मानधाता एवं सुखपाल नगर में पैथोलाजी एवं आपरेशन थियेटर स्थापित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में निवास कर रहे गोड़िया/गौड़, धुरिया, नायक जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किया जाना

59-श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में निवास कर रहे गोड़िया/गौड़, धुरिया, नायक जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किया गया है? यदि हां, तो क्या इन्हें अनुसूचित जाति के मिलने वाले सभी लाभ दिये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 जो 7 जनवरी, 2003 को जारी हुआ, के गजट के अनुसार जनपद महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र में निवास करने वाली गौड़, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड़ को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया है। शेष जनपदों में निवास करने वाले गोंड की स्थिति यथावत अर्थात अनुसूचित जाति की सूची में बनी हुयी है। भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय के आदेश सं0-12016/26/2001-टी0ए0(आर एल) दि0 15.12.2003 द्वारा अधिनियम 2002 में उल्लिखित धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड़ जातियां गोंड़ जाति के पर्यायवाची जाति के रूप में उल्लेख किया गया है न कि मूल जाति के रूप में।

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश में उपर्युक्तानुसार गोंड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित है, गोडिया जाति नहीं।

उ0प्र0 में पिछड़ी जाति के लोगों को प्रमाण-पत्र का जारी किये जाने की मांग

60-श्री राम करन आर्य-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जिन जातियों का नाम पिछड़ी जाति की सूची में है, उन्हें उस जाति का प्रमाण-पत्र उ0प्र0 में जारी किया जा रहा है? क्या उ0प्र0 में पिछड़ी जाति की सूची में कांदू जाति अंकित है? क्या नाम होने के बावजूद बस्ती जनपद में उनको पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री महबूब अली-

जी हॉ।

जी हॉ।

बस्ती जनपद में कांदू जाति को पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र जांच/सत्यापन में सही पाये जाने पर निर्गत किया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रदेश के सभी राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में मरीजों के लिए सी0टी0स्कैन एवं एम0आर0आई0 कराने हेतु मशीनों की व्यवस्था की मांग

61-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के सभी राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में मरीजों के लिये सी0टी0 स्कैन एव एम0आर0आई0 कराने हेतु मशीनों की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो किन-किन अस्पतालों में? यदि नही, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रदेश के 17 चिकित्सालयों में सी0टी0 स्कैन मशीन व 01 चिकित्सालय में एम0आर0आई0 मशीन की स्थापना की जा रही है।

प्रदेश के 17 चिकित्सालयों क्रमश: जिला चिकित्सालय गाजियाबाद, यू0एच0एम0 चिकित्सालय कानपुर, टी0बी0सप्रू चिकित्सालय इलाहाबाद, जिला चिकित्सालय, गोण्डा, ओपेक चिकित्सालय कैली, बस्ती, पी0एल0शर्मा चिकित्सालय मेरठ, जिला महिला चिकित्सालय फैजाबाद, जिला चिकित्सालय आजमगढ़, जिला चिकित्सालय झाँसी, जिला चिकित्सालय मैनपुरी, पं0 दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय वाराणसी, डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय (सिविल) लखनऊ, जिला चिकित्सालय आगरा, जिला चिकित्सालय गोरखपुर, जिला चिकित्सालय मुरादाबाद, जिला चिकित्सालय बरेली, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में सी0टी0 स्कैन मशीन की स्थापना तथा डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय गोमतीनगर, लखनऊ में एम0आर0आई0 मशीन की स्थापना की जा रही है। प्रश्नगत मशीनें आपूर्ति एवं स्थापना की प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

ललित हरि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज में परीक्षा के दौरान नकल कराये जाने के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

62-श्री रियाज अहमद-

क्या आयुर्वेद एवं होम्योपैथी चिकित्सा मंत्री को जानकारी है कि पत्र संख्या-32/शिक्षा-1518/96 दिनांक 29.01.2004 द्वारा श्री रमाशंकर साहू, निदेशक, आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन को ललित हरि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज में परीक्षा के दौरान नकल कराये जाने के दोषियों के विरुद्ध जिलाधिकारी, पीलीभीत द्वारा करायी गयी जांच के आधार पर कार्यवाही करने की संस्तुति की गयी थी? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

कार्यक्रम कार्यान्वयन आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला)-

जी हॉं।

निरीक्षण रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया दोषी बताये गये अधिकारियों का स्पष्टीकरण निदेशक, आयुर्वेद के माध्यम से मांगा गया है जिसे प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

निजी मेडिकल और डेंटल कालेजों में फीस का निर्धारण

63-डॉ0नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सरकार ने 15 जुलाई, 2003 के शासनादेश द्वारा निजी मेडिकल और डेंटल कालेजों में फीस कम करने का आदेश जारी किया था? यदि हां, तो इन कालेजों के लिए क्या शुल्क निर्धारण किया गया था? क्या शुल्क निर्धारण के बावजूद कुल कालेजों ने तीन लाख से 5 लाख रु0 की फीस वसूली है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार द्वारा इन कालेजों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या 27 जुलाई, 2005 को न्यायालय ने भी शासनादेश 15 जुलाई, 2003 के अनुसार ही शुल्क देने का निर्णय दिया है? यदि हां, तो क्या सरकार अधिक ली गयी फीस को छात्रों को वापस करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

शासनादेश दिनांक 15-7-2003 द्वारा निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में शैक्षणिक सत्र 2003-04 से फ्री एवं पेमेन्ट सीट की व्यवस्था को समाप्त करते हुए मेडिकल कालेजों में अधिकतम रू01,55,000/- तथा डेण्टल कालेजों में अधिकतम रू0 1,10,000/- प्रतिवर्ष शुल्क निर्धारित किया गया था।

शासन स्तर पर इस आशय का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हॉ, किन्तु मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित दिनांक 27-5-2005 का है न कि दिनांक 27 जुलाई, 2005 का।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-5-2005 के अनुपालन में शासनादेश सं0-4084/71-3-05-डब्लू-94/03 दिनांक 13-10-2005 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को निजी संस्थाओं द्वारा वर्ष 2003-04 में प्रवेशित छात्रों से उक्त शासनादेश दिनांक 15 जुलाई, 2003 में निर्धारित शुल्क लिये जाने तथा निर्धारित शुल्क से अधिक ली गई फीस को वापस किये जाने अथवा अगले वर्ष के शुल्क में समायोजित कराने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिये जाने संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

64-श्री कौशल किशोर-

कृपया समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांके लाल पुत्र स्व0 जिया लाल (चमार) बाबू लाल पुत्र स्व0 कल्लू (पासी) खगई पुत्र मुल्लू (चमार) निवासीगण ढखवा, ब्लाक-माल लखनऊ, बाबू लाल पुत्र महावीर (पासी) नि0 हिम्मत खेड़ा, ढखवा ब्लाक-माल लखनऊ की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-5-05 जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ को क्या प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हॉ।

वित्तीय वर्ष 2004-05 में उक्त आवेदकों को धनाभाव के कारण अनुदान स्वीकृत नहीं हो पाया। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लम्बित आवेदन पत्रों के स्वमेव निरस्त हो जाने का प्राविधान है।

उपर्युक्तानुसार।

65-श्री कौशल किशोर-

[1ले सोमवार के अता0प्र0सं0-142 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

आपरेशन के बावजूद जन्मी बच्ची के पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने संबंधी पत्र पर कार्यवाही

66-श्री कौशल किशोर-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ के ब्लाक लालगंज, गांव-मदाखेड़ा (दयालपुर) की निवासी श्रीमती माया पत्नी राधेश्याम के द्वारा दिनांक 15-6-05 को मुख्य चिकित्साधिकारी लखनऊ व 20-6-05 को जिलाधिकारी, लखनऊ को दिये गये प्रार्थना पत्र दि0 12.8.04 जो परिवार नियोजन हेतु स्वा0 केन्द्र मोहनलालगंज, लखनऊ में नसबन्दी आपरेशन कराने के बावजूद दिनांक 12-4-05 को जन्मी बच्ची के पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में था, उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अहमद हसन-

नसबन्दी आपरेशन हेतु निर्धारित स्वीकृति एवं प्रार्थना-पत्र में नसबन्दी आपरेशन करवाने वाले के द्वारा यह सहमति दी गई है कि यह आपरेशन कभी कभार असफल भी हो सकता है जिसके उसके द्वारा या उसके सम्बन्धियों अथवा अन्य कोई व्यक्ति, वह चाहे जो कोई भी हो, के द्वारा शासकीय अस्पताल, आपरेशन करने वाले शल्य चिकित्सक को जिम्मेदार नहीं ठहराये जायेंगे। असफल नसबन्दी के पश्चात गर्भ धारण करने पर क्षतिपूर्ति का कोई प्राविधान नहीं है। अतः इस प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामशंकर, निवासी गांव बुधड़िया, तहसील मलिहाबाद, लखनऊ की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप मृतक आश्रित को अनुदान दिया जाने की मांग

67-श्री कौशल किशोर-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामशंकर पुत्र श्री गिरधारी, निवासी-गांव बुधड़िया, तहसील मलिहाबाद, लखनऊ की वर्ष 2004 में दुर्घटना में मृत्यु हो जाने तथा सहायता अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार मलिहाबाद, लखनऊ का पत्र दि0 20-10-2004 जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या मृतक आश्रित श्रीमती मंजू की सहायता उपलब्ध करा दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हॉं।

मृतक आश्रित श्रीमती मंजू को सहायता अनुदान स्वीकृत हो चुका है। बिल कोषागार में प्रस्तुत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर में खाद्यान्न वितरण एवं मिट्टी तेल के थोक विक्रेताओं के आहरण वितरण की जांच

68-श्री राम करन आर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर में कितने खाद्यान्न वितरण एवं मिट्टी तेल के थोक विक्रेता हैं? क्या सरकार थोक विक्रेताओं के आहरण वितरण की जांच कराकर बाजार में हो रही काला बाजारी पर रोक लगायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर में 144 उचित दर विक्रेता तथा दो थोक मिट्टी तेल विक्रेता हैं।

थोक विक्रेताओं द्वारा डिपो से मिट्टी तेल की आमद होने पर उसका सत्यापन प्रथम स्टेज पर उप जिलाधिकारी, तहसील बेल्थरा रोड, द्वितीय स्टेज के अन्तर्गत आपूर्ति कर्मी की उपस्थिति में मिट्टी तेल ब्लॉक सीयर के उचित दर विक्रेताओं को उनके आवंटन के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। मिट्टी तेल दुकानों पर पहुँचने के बाद तृतीय स्तर पर उसका सत्यापन ग्राम प्रधान तथा स्थानीय लेखपाल से कराया जाता है। इन तीनों स्टेजों की व्यवस्था के माध्यम से मिट्टी तेल की उपलब्धता एवं वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। यदि मिट्टी तेल की कालाबाजारी की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल जॉचोपरान्त प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील मुख्यालय पट्टी में कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा लगाया जाना

69-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील मुख्यालय पट्टी में कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा लगाने हेतु माननीय मुख्य मंत्री का आदेश सी0एम0/वि0को/एम0116548/05 दिनांक 6-01-2005 प्रमुख सचिव, संस्कृति को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

महिला कल्याण एवं संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राना)-

मा0 विधायक जी का दिनांक 23-12-2004 का मा0 संस्कृति मंत्री जी को सम्बोधित पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय (विधायक कोष्ठक) अनुभाग के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत पूर्ति के निर्माण का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, शाहजहॉपुर को मरम्मत रंगाई पुताई तथा निर्माण कार्यो हेतु आवंटित धनराशि के व्यय का पूर्ण विवरण

70-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी कार्या0 शाहजहांपुर को जनपद के सभी चिकित्सालय तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्या0 में मरम्मत रंगाई पुताई तथा निर्माण कार्यो हेतु 1-4-02 से 20-7-05 तक कितनी-2-धनराशि प्रत्येक वर्षो में प्राप्त हुई तथा कहां-2 कब-2 व्यय हुई, का पूर्ण विवरण क्या है?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय शाहजहाँपुर के अधीन जनपद के सभी चिकित्सालयों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में मरम्मत रंगाई-पुताई तथा निर्माण कार्यो हेतु उ0प्र0 सरकार से वर्ष 01-04-2002 से 20-07-2005 तक निम्न लिखित धनराशि प्राप्त हुई:-

वर्ष	आवंटित धनराशि
2002-03	रू0-55,47,292=00
2003-04	रू0-42,58,523=00
2004-05	रू0-83,01,312=00
2005-06 (20.07.05 तक)	रू0-29,99,000=00

सम्बन्धित विवरण मा0 चिकित्सा राज्य मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला चिकित्सालय प्रतागढ़ में सी0टी0 स्कैन मशीन लगाये जाने का प्रस्ताव

71-श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ मतें सी0टी0 स्कैन लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त मशीन कब लगा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सी0टी0 स्कैन की व्यवस्था संसाधनों पर निर्भर करती है।

प्रदेश के अस्पतालों में ह्रदयरोग में बाईपास सर्जरी हेतु नि:शुल्क व्यवस्था

72-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ह्रदय रोग में बाइपास सर्जरी हेतु प्रदेश के किन-किन अस्पतालों में व्यवस्था उपलब्ध है? क्या इन अस्पतालों में गरीबी रेखा से नीचे के मरीजों को बाईपास सर्जरी की नि:शुल्क व्यवस्था की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रदेश के के0जी0एम0यू0 लखनऊ एवं संजय गॉधी आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ में ह्रदय रोग में बाईपास सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त फिजयोथिरैपिस्ट पदों पर नियुक्ति की मांग

73-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में फिजियोथिरैपिस्ट के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? क्या स्वीकृत पदो की संख्या प्रदेश के क्षेत्रफल एवं आबादी को देखते हुए पर्याप्त है? क्या सरकार उन चिकित्सालयो मे जहां फिजियोथिरैपिस्ट तैनात नहीं है पर नियुक्तियां करेगी? यदि नही, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में फिजियोथिरैपिस्ट के कुल 19 पद स्वीकृत हैं जिनमें से वर्तमान में 03 पद रिक्त हैं।

जी नही।

समीक्षा उपरान्त लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नही उठता।

जनपद आजमगढ़ में अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र जिगिनी के परिसर की भूमि को सुरक्षित रखने के लिए अस्पताल की चहारदीवारी का निर्माण

74-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र जिगिनी के परिसर की भूमि को सुरक्षित रखने के लिए क्या अस्पताल की चहारदीवारी बनायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नही, तो क्यो?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है।

प्रश्न नही उठता।

उ0प्र0 समाज कल्याण निमार्ण निगम में अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ताओं के स्वीकृत पद

75-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम में अधिशाषी अभियन्ता (सिविल तथा इलेक्ट्रिकल) के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त निगम में सहायक अभियन्ता तथा अवर अभियन्ताओं के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? इन पद धारकों के कार्य वितरण का क्या मानक निर्धारित किया गया है?

श्री अवधेश प्रसाद-

उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के 35 तथा अधिशासी अभियन्ता (इलेक्टिकल) के 2 पद स्वीकृत है, जिसमें से अधिशासी अभियंता (सिविल) के 02 पद रिक्त है तथा अधिशासी अभियंता (इलेक्टिकल) का कोई पद रिक्त नही है।

निगम में सहायक अभियन्ता (सिविल) के 87 तथा सहायक अभियन्ता (विद्युत) के 11 पद स्वीकृत है। अवर अभियन्ता (सिविल) के 227 पद तथा अवर अभियन्ता (विद्युत) के 33 पद स्वीकृत है।

निगम में सिविल/विद्युत अभियन्ताओं के मध्य कार्य के वितरण हेतु वर्ष विशेष में उपलब्ध कार्यभार तथा कार्यरत अभियन्तागण के सापेक्ष्य प्रतिवर्ष मानक निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2005-06 हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष्य सहायक अभियंतागण/अवर अभियन्तागण हेतु कार्य के वितरण का मानक निम्नानुसार निर्धारित है:-

1-सहायक अभियंता (सिविल)	रू0-250 लाख
2-अवर अभियंता (सिविल)	रू0-100 लाख
3-सहायक अभियन्ता (विद्युत) (सिविल कार्यो के सापेक्ष्य)	रू0- 16 करोड
4-अवर अभियंता (विद्युत) (सिविल कार्यो के सापेक्ष्य)	रू0- 08 करोड

जनपद आजमगढ़ के विकास क्षेत्र पल्हना के जिगनी में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र जर्जर होने के कारण मरम्मत की मांग

76-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ के विकास क्षेत्र पल्हना के जिगनी में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र जर्जर है जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है? यदि हां, तो उक्त केन्द्र की मरम्मत कब तक करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं। किन्तु भवन मरम्मत योग्य है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी से आगणन प्राप्त होते ही धनराशि स्वीकृत करके भवन की मरम्मत शीघ्र करा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अन्त्योदय योजना अन्तर्गत कार्ड धारकों को राशन की व्यवस्था

77-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने अन्त्योदय योजना कार्ड धारक है? क्या इन्हें प्रत्येक महीने राशन देने की कोई व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह-

प्रदेश में कुल 4094500 अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारक है।

इन्हें प्रत्येक माह 35 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड राशन देने की व्यवस्था निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा मेहनगर क्षेत्र में जर्जर मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र की मरम्मत की मांग

78-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या परिवार कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा मेहनगर क्षेत्र में कितने मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र जर्जर अवस्था में है? क्या सरकार उनकी मरम्मत करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अहमद हसन-

जी हॉं।

28 मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के भवनों की मरम्मत करने की आवश्यकता है।

भवनों की मरम्मत के आगणन मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मॉंगे गये है। आगणन प्राप्त होते ही धन उपलब्ध कराते हुए शीघ्र ही भवनों की मरम्मत करा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

मेसर्स एस0एस0 ट्रेडिंग कम्पनी, चन्दौसी, मुरादाबाद द्वारा जनपद लखनऊ के बाल विकास विभाग अन्तर्गत आपूर्ति की गयी सामग्री

79-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री को जानकारी है कि मेसर्स एस0एस0 ट्रेसर्स चन्दौसी, मुरादाबाद नामक फर्म ने वर्ष 2003-04 में जनपद-लखनऊ में बाल विकास विभाग अन्तर्गत जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी विज्ञप्ति के क्रम में पेस्टल कलर, स्टैम्प पैड, पेन्सिल व तौलिया की आपूर्ति की थी? यदि हां, तो क्या फर्म का व्यापार-कर में रजिस्ट्रेशन उपरोक्त वस्तुओं को सप्लाई करने के लिए था? यदि हां, तो क्या फर्म में उपरोक्त चारों वस्तुओं का टैक्स (व्यापार-कर) नियमानुसार अदा कर दिया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हॉं।

मेसर्स एस0एस0ट्रेडर्स नहीं बल्कि मेसर्स एस0एस0ट्रेडिंग कम्पनी, चन्दौसी, मुरादाबाद द्वारा आपूर्ति की गयी थी।

फर्म का पंजीयन दिनांक 31.3.95 तक ही व्यापारकर विभाग में प्रभावी था। उक्त पंजीयन प्रमाण पत्र में वस्तुओं का उल्लेख नहीं है। लेकिन व्यापार कर विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार फर्म चाय, साबुन, टाइलेट गुड्स, सर्फ, इन्फेक्सनरी की खरीद तथा खाद्य पदार्थों के लिए पंजीकृत है। फर्म ने सभी टैक्स पेड वस्तुओं का व्यापार किये जाने की सूचना भी व्यापार कर विभाग को दी है।

व्यापारकर अदायगी के सम्बन्ध में व्यापारकर विभाग से सूचना प्राप्त की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को पिछड़ी जातियो को अनुसूचित जातियों में सम्मिलित करने हेतु संस्तुति

80-डा0रामबाबू हरित-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को कितनी और किन-किन पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों में सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की गयी है? क्या सरकार पिछड़ी जातियों की कतिपय जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित हो जाने के कारण 27% के आरक्षण को कम करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद-

प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों में सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की गयी है, जो निम्नवत् है:-

1. कहार, कश्यप।
2. केवल, मल्लाह, निषाद।
3. कुम्हार, प्रजापति।
4. धीवर।
5. बिन्द।
6. भर, राजभर।
7. धीमर।
8. बाथम।
9. तुरहा।
10. गौड।
11. मांझी।
12. मछुआ।

आरक्षण के संबंध में पिछड़ी जातियों के 27 प्रतिशत आरक्षण को कम किये जाने हेतु कार्मिक विभाग में कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नही उठता।

नयी पदोन्नति नीति के कारण चिकित्सकों के संवर्ग में विसंगति के निराकरण हेतु बनाई गयी योजना

81-श्री परमजीत-

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सकों की नयी पदोन्नति नीति के कारण वर्तमान में साधारण ग्रेड में उपनिदेशक/वरिष्ठ चिकित्साधिकारी,संयुक्त निदेशक, अपर निदेशक, निदेशक, महानिदेशक स्तर के चिकित्साधिकारी कार्यरत है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्तमान पदोन्नति नीति के कारण प्रथम श्रेणी से ऊपर के पदों की तुलना में साधारण ग्रेड के चिकित्सकों की संख्या घट गयी है? यदि हां, तो पदोन्नति से संवर्ग में हुई उक्त विसंगतियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की तैनाती में आ रही कठिनाइयों के निराकरण के लिए सरकार के पास कोई योजना है? यदि हां, तो क्या? यदि नही, तो क्यों?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नही।

जी हॉं।

जी हॉं।

ग्रामीण क्षेत्रों में संविदा पर चिकित्सकों की तैनाती की व्यवस्था की गयी है तथा साधारण ग्रेड के चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को भेजा गया है।

प्रश्न नही उठता।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 23 नवम्बर, 2005 को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गई:-

पहली सूचना, श्री राम विशुन आजाद की गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत सरयू नहर खण्ड-4 के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने एवं किसानों को क्षति पूर्ति दिलाने के संबंध में।

दूसरी सूचना, श्री जगदीश नारायण राय की जौनपुर बयालसी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय अर्द्धनिर्मित क्षतिग्रस्त मार्गों के निर्माण के सम्बंध में।

तीसरी सूचना, प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर की कानपुर नगर के न्याय पंचायत राधन के ग्राम राणा एवं सिवामऊ में विद्युत लाइन ठीक कराकर सुचारु विद्युत आपूर्ति के संबंध में।

चौथी सूचना, श्री आर0के0सिंह पटेल की चित्रकूट की जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2004-05 में सुनिश्चित ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत मजदूरों द्वारा कराये गये कार्य की मजदूरी एवं खाद्यान्न न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

पॉचवी सूचना, श्री बाबू लाल कुशवाहा की जिला परिषद कृषि महाविद्यालय के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान जिला पंचायत निधि से कराये जाने के सम्बन्ध में।

छठी सूचना, श्री ददू प्रसाद की जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि से कतिपय सम्पर्क मार्गों के घटिया निर्माण कार्य की टी0ए0सी0 से जॉच कराने के सम्बन्ध में।

सातवी सूचना, श्री राम करन आर्य की संत कबीर नगर के घनघटा तहसील अन्तर्गत रामपुर बधा एवं कतिपय गांवो को घाघरा नदी की कटान से बचाने के सम्बन्ध में।

आठवी सूचना, श्री जियाउद्दीन रिजवी की बलिया के नगर पंचायत सिकन्दरपुर के पुराने जर्जर ट्रांसफार्मर को बदलवाकर विद्युत आपूर्ति बहाल करने के सम्बन्ध में।

नवी सूचना, श्री मदन चौहान की नोएडा में सिंचाई विभाग एवं ग्राम सभा की हजारों एकड़ भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा बनाये गये फार्म हाउसों के अनधिकृत विक्रय को रोकने के सम्बंध में।

दसवी सूचना, श्री सुरेन्द्र कुमार मुन्नी की जनपद गाजियाबाद मे प्राइवेट चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन के 700 प्राइवेट चिकित्सकों को चिकित्सा मित्र की मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बंध में।

ग्यारहवी सूचना, श्री आलम बदी की जनपद मऊ के साम्प्रदायिक दंगे में लूटी व जलाई गई दुकानों व मकानों तथा मृतकों के परिजनों को सरकारी स्तर से मुआवजा दिये जाने के सम्बंध में।

बारहवीं सूचना, श्री परमेश्वर दयाल की जनपद सोनभद्र के दलित एवं आदिवासी भूमिहीनों को विशेष व्यवस्था के तहत सभी पात्र व्यक्तियों को लाल कार्ड एवं बी0पी0एल0कार्ड की संख्या बढाते हुए लाभान्वित करने के सम्बध में।

तेरहवीं सूचना, डा0 पूर्णमासी देहाती की सिचाई विभाग लखनऊ मे आशुलिपिकों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु हुई परीक्षा के आधार पर परिणाम घोषित न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

चौदहवीं सूचना, श्री श्याम देव राय चौधरी की वाराणसी नगर में समुचित सफाई के घोर अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाए अस्वीकार की गई डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री रामहेत भारती, श्री बीजू पटनायक तथा डा0 राम बाबू हरित।

(स्वीकृत सूचनाए पढी हुई मानी गयी।)

जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत सरयू नहर खण्ड-4 के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने एवं किसानों को क्षतिपूर्ति दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम विशुन आजाद-

[मान्यवर, आपको सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में सरजू नहर खण्ड-4 गोण्डा से विकास खण्ड मनकापुर के अन्तर्गत दुबौली राम चरन, नगरा पल्टीलाल, मछली गांव, दुलहिया नानकार, जनकपुर, समरापुर, ललकपुर, करोहा, छितई जोत, आदि ग्रामों के पास से नहर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जो विभागीय लापरवाही के कारण अभी तक अपूर्ण है और नहर मे गैप विद्यमान है। सिचाई विभाग द्वारा कई बार पानी छोडा गया जिससे गांव के किसानों की धन, जन एवं फसलों की भारी पैमाने पर क्षति हुई। गोण्डा शाखा के गैपो के कारण स्थित गांव में पानी भराव शुरू हो जाता है। मेरे द्वारा कई बार सम्बन्धित अभियन्ताओं एवं प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया गया, परन्तु सिचाई विभाग के अभियन्ताओं की लापरवाही से बार-बार पानी छोड़ा गया। इसके कारण माह जुलाई से सितम्बर तक छोडे गये पानी से कई गांव मे जल भराव हो गया था और फसले पूर्ण रूप से बर्बाद हो गयी। उपजिलाधिकारी मनकापुर के पत्र सं0-255/आ0लि0/05 दिनांक 12 अक्टूबर 2005 को किसानों की क्षतिपूर्ति हेतु आंकलन करके जिलाधिकारी महोदय गोण्डा को पत्र भेजा गया। परन्तु इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नही की गयी।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए किसानों को क्षतिपूर्ति दिलाने एवं नहर को पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

श्री जगदीश नारायण राय-

[मान्यवर, जनपद जौनपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र बयालसी मे निम्न मार्ग जो पूर्व में निर्मित हो रहे थे, जिनका 50% कार्य हो चुका है, शेष निर्माण कार्य अधूरे पडे है। कुछ मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जैसे खेवसीपुर ग्राम मे नहर से आगे, मुर्तजाबाद-जमुहारी मार्ग, मुफ्तीगंज-कुंडी मार्ग, भूइली मोड से भदेवरा परउवा मार्ग।

अतः मा0 लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त मार्गो पर आवश्यकतानुसार धनराशि का आवंटन करके पूर्ण कराने की मांग करता हूँ ताकि आवागमन में असुविधा न हो।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कानपुर नगर के न्याय पंचायत का धन के ग्राम सभा सिवामउ मे विद्युत लाइन ठीक कराकर सुचारू विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रविन्द्र पुण्डीर-

[मान्यवर, मै सदन के माध्यम से आपका ध्यान एक लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ दिलाना चाहता हूं ग्राम राधन विकास खंड बिल्हौर, कानपुर नगर विकास खंड बिल्हौर के न्याय पंचायत राधन के अन्तर्गत आने वाले ग्राम राधन सिवामउ इनमे विगत 28 महीने से विद्युत आपूर्ति ठप है, जिसकी शिकायत अधिशासी अभियन्ता, चौबेपुर कानपुर नगर से कई बार की जा चुकी है। लेकिन अधिशासी अभियन्ता के कान पर जूँ नही रेंगी। इस सबंध मे क्षेत्र के अवर अभियन्ता एवं लाइनमैन से शिकयत की गई एस0डी0ओ0 अवर अभियन्ता एवं लाइन मैन द्वव करन द्वारा उच्च अधिकारियों से समस्या का निस्तारण करने की बात कही जाती है और उच्च अधिकारी मामले मे क्षेत्रीय जनता के समस्या का समाधान नही कर रहे हैं। उपरोक्त ग्रामो मे ट्रांसफार्मर एव लाइन कटी पड़ी है। विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों की निष्क्रियता के कारण क्षेत्रीय जनता अधेरे मे रहने के लिए एव नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है, जिससे क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है। ग्राम राधन के हरिजन बस्ती मे लगभग दो वर्षो से तार टूटे पड़े हैं, उन तारों को भी अभी तक ठीक न कराने के कारण आये दिन दुर्घटना होने की सम्भावना रहती है। ऐसी स्थिति में उक्त ग्रामों की बिजली को चालू कराना सरकार का दायित्व है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त ग्रामों की लाइन को ठीक करवा कर सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति चालू करवाने हेतु सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें।]

चित्रकूट की जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2004-2005 में सुनिश्चित ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत मजदूरों द्वारा कराये गये कार्य की मजदूरी एवं खाद्यान्न न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर0के0 सिंह पटेल-

मान्यवर, आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर कराना चाहूँगा, जिला चित्रकूट के जिला पंचायत द्वारा एस0जी0आर0वाई0 के धन से वित्तीय वर्ष 2004-05 में निम्नवत कार्यो को कराया गया है किन्तु अभी तक मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नही किया गया है। गरीब मजदूर अपनी एवं नकद के लिये कूपन लिये घूम रहे हैं जबकि प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर मजदूरों की मजदूरी का भुगतान एवं खाद्यान्न देने के कड़े कानून बने हैं। गरीब मजदूर निम्नवत कार्यो के भुगतान हेतु जिले के जिलाधिकारी सहित आयुक्त चित्रकूट धाम मण्डल बॉदा आदि से कई बार सम्पर्क कर चुके हैं लेकिन बोर्ड द्वारा कार्यवाही नहीं हुई है। मजदूर भुखमरी के कगार पर है, आन्दोलित हैं।

(1) वारा से कादरगंज सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य (मिट्टी का कार्य)

(2) डोमनखेड़ा से कादरगंज सम्पर्क मार्ग (मिट्टी का कार्य)

(3) रेहुटा से खेरपुरवा सम्पर्क मार्ग (मिट्टी का कार्य)

(4) बरूआ नहर पटरी से अरखन पुरवा सम्पर्क मार्ग

(5) पुरवा तरौंटों से गरीबदास का डेरा सम्पर्क मार्ग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(6) कुर्डं सम्पर्क मार्ग, ब्लाक मानिकपुर

(7) सूर्यकुण्ड से रहूरिपुरवा सम्पर्क मार्ग

(8) भभौर सम्पर्क मार्ग

अतः उक्त सभी कार्यों का भुगतान अविलम्ब कराने की मांग करता हूँ एवं सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।]

जिला परिषद् कृषि महाविद्यालय के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान जिला पंचायत निधि से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बाबूलाल कुशवाहा-

[मान्यवर,जिला परिषद, कृषि महाविद्यालय बांदा के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को सितम्बर,1996 से जनवरी, 1999 तक का वेतन प्राप्त हो गया है जिसकी वेतन वृद्धि शेष है और फरवरी, 1999 से आज तक उनका पूरा वेतन शेष है। जिसका जिला परिषद बांदा प्रस्ताव संख्या-12 दिनांक 24.11.91 की बैठक में लिये गये निर्णय 29.2.92/28.3.92 द्वारा अनुमोदित तथा उ0प्र0 शासन राजाज्ञा सं0 4747/15/11/93-2-93(17) के अन्तर्गत जिला पंचायत निधि से अवशेष वेतन भुगतान तत्काल नियमानुसार कराया जाना न्याय संगत है। जिला परिषद कृषि महाविद्यालय के अध्यापकों एवं कर्मचारियों का वेतन भुगतान न होने से वे भुखमरी के कगार पर है। जिससे उनमें रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर मैं शासन से जिला कृषि महाविद्यालय बांदा से अध्यापकों एवं कर्मचारियों के अवशेष वेतन भुगतान कराने की मांग करता हूँ।]

जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि से कतिपय सम्पर्क मार्गों के घटिया निर्माण कार्य की टी0ए0 सी0 से जॉच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दद्दू प्रसाद-

[मान्यवर, जनपद-चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि से निम्न सम्पर्क मार्गों का ग्रामीण अभिकरण सेवा प्रखण्ड बॉदा द्वारा निर्माण कराया गया है:-

1. बियावल-चकोर सम्पर्क मार्ग।
2. भौरी से गेटापुरवा सम्पर्क मार्ग।
3. रामनगर से बुधवल सम्पर्क मार्ग।
4. सुरौंधा से कोपा सम्पर्क मार्ग।
5. सुरौंधा से मोहियारा सम्पर्क मार्ग।
6. गऊ-सिकरा सम्पर्क मार्ग।
7. खण्डेहा से मालनपुर सम्पर्क मार्ग।
8. खण्डेहा से लवट सम्पर्क मार्ग।
9. दरी फाटक से मानिकपुर सम्पर्क मार्ग।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

10. टूंटवा डूडैंला से पाटिल सम्पर्क मार्ग।

11. पूरब पताई से बेलवा सम्पर्क मार्ग।

12. टिकरा से कोटरा धांमा सम्पर्क मार्ग।

13. मण्डौर से दुबारी सम्पर्क मार्ग।

उक्त सभी मार्गो का निर्माण कार्य अत्यन्त घटिया है। मानक के अनुसार सोलिंग गिटटी नहीं डाली गयी,ग्रेनाइट की गिट्टी नहीं डाली गई। कुटाई भी ठीक तरह से नहीं की गई है। सरकारी धन का दुरूपयोग किया गया है जिससे जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है।

अत: लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं तात्कालिक विषय पर शासन का ध्यानाकर्षण कराते हुए उक्त सभी मार्गो की टी.ए.सी. से जॉच कराने की मॉग करता हूँ।]

संत कबीर नगर के घनघटा तहसील अन्तर्गत रामपुर बंधा एवं कतिपय गांवों को घाघरा नदी के कटान से बचाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम करन आर्य-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र नगर पूर्व के जनपद संत कबीर नगर के घनघटा तहसील में घाघरा नदी के कटान से तिलकूपुर गांव के पूरब कलवारी रामपुर बंधा काफी कट गया है तिलकूपुर ग्राम से बगल से सटा बॉध बना है। घाघरा नदी किसानों की सैकड़ों एकड़ खेती इस वर्ष काट चुकी है। मुख्य बांध मात्र 50 मीटर बाकी रह गया है यदि बांध को बचाने का उपाय नहीं किया गया तो बांध के साथ ही साथ तिलकूपुर गांव भी कट जायेगा इससे केवल तिलकूपुर ही नहीं बल्कि तेजपुर बछईपुर और मोसहा भी कट जायेगा जिससे करोड़ों रूपये की किसानों की क्षति जनधन की हानि होगी।

अत: जनहित में बंधा और गांवों को बचाने के लिए घाघरा नदी के कटान से बचाने के लिए सरकार के तरफ से तत्काल कार्यवाही किये जाने के लिए मांग करता हूँ।]

बलिया के नगर पंचायत सिकन्दरपुर के पुराने जर्जर ट्रांसफार्मर को बदलवाकर विद्युत आपूर्ति बहाल करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[मान्यवर, बलिया जनपद के सिकन्दरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सिकन्दरपुर नगर पंचायत में लगा 33 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर कार्य नहीं कर रहा है। जनता की मांग के अनुरूप बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है एक सप्ताह के अन्तराल पर विद्युत आपूर्ति सिकन्दरपुर नगर एवं देहाती क्षेत्रों को दिया जा रहा है जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है किसानों की रवि की बोआई की पटावन नही हो पा रही है और न तो नगर की जनता को पानी की सप्लाई ही हो पा रही है 33 के0वी0 का ट्रान्सफार्मर पुराना एवं जर्जर होने के कारण एवं तार टूटने के कारण आये दिन दुर्घटनाये भी होती रहती है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार को निर्देशित करना चाहे कि तत्काल नगर पंचायत सिकन्दरपुर के पुराने जर्जर लगे ट्रान्सफार्मर को बदलवाकर सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति बहाल किया जाय।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोएडा में सिंचाई विभाग एवं ग्राम सभा की हजारों एकड़ भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा बनाये गये फार्म हाउसों के अनधिकृत विक्रय को रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन चौहान-

[मान्यवर, नोयडा में यमुना नदी में सिंचाई विभाग उ0प्र0 व ग्राम सभा की भूमि पर भू माफियाओं के द्वारा अनधिकृत रूप से बिना एन0ओ0सी0 लिये फार्म हाउस बनाकर ऊंची दरों से बेचा जा रहा है। यह कार्य हजारों एकड़ भूमि पर धड़ल्ले से चल रहा है। जिससे सरकारी राजस्व व नोयडा की प्लानिंग प्रभावित हो रही है तथा भू-माफियों की मनमानी से जनता के साथ ठगी हो रही है। सरकारी जमीन को बेचना व नोयडा में अनाधिकृत बिना प्लानिंग के बिना एन0ओ0सी0 के इस प्रकार फार्म हाउस यमुना नदी के साथ बेचना सरासर अपराध है। यह प्रश्न लोक महत्व व अविलम्बनीय है। आपसे अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव से नोयडा प्राधिकरण, सिंचाई विभाग व प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर कार्यवाही करने के निर्देश देने की कृपा करे।]

जनपद गाजियाबाद में प्राइवेट चिकित्सक वेलफेयर एसोसियेशन के 700 प्राइवेट चिकित्सकों को चिकित्सा मित्र की मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र कुमार मुन्नी-

[मान्यवर, आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद गाजियाबाद में प्राइवेट चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन के लगभग 700 प्राईवेट चिकित्सक सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सरकार द्वारा कोई चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं है, यहां पर 24 घंटे जनता की सेवा कर रहे हैं। सरकारी कार्यो जैसे पल्स पोलियों, टीकाकरण आदि में अपनी पूर्णरूप से सहभागिता के साथ कार्य करते है। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग झोला छाप डाक्टर कह कर इनका अपमान करते हैं। यह चिकित्सक लगभग 15-20 वर्षो से चिकित्सा का कार्य कर रहे है, जबकि शासन द्वारा दाई, ए0एन0एम0, सी0एस0जी0 को सरकार वेतन देती है।

मेरा आपसे आग्रह है कि प्राइवेट चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन गाजियाबाद के चिकित्सको को झोला छाप न मानकर चिकित्सा मित्र की मान्यता प्रदान करने की कृपा करे।

सरकार का व्यक्तव्य दिलाने का कष्ट करें।]

जनपद मऊ के साम्प्रदायिक दंगे में लूटी व जलाई गयी दुकानों व मकानों तथा मृतकों के परिजनों को सरकारी स्तर से मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आलम बदी-

[मान्यवर, मैं आप द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार का ध्यान उपरोक्त विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं आभारी हूँ कि उ0प्र0 सरकार ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाय इन्साफ का यही तकाजा है कि जिसका मकान व दुकान लुटी व जलायी गयी है उनको भी मुआवजा देकर पैरों पर खड़ा किया जा सके। हमें आशा है कि जनहित में मौजूदा सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराकर एक नई मिशाल कायम करने का प्रयास करेगी।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढा हुआ माना गया।

जनपद सोनभद्र के दलित एवं आदिवासी भूमिहीनों को विशेष व्यवस्था के तहत सभी पात्र व्यक्तियों को लाल कार्ड एवं वी0पी0एल0 कार्ड की संख्या बढ़ाते हुए लाभान्वित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री परमेश्वर दयाल-

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि जनपद सोनभद्र एक पिछड़ा जनपद है जो जंगलों पहाडी नदी नालों से आच्छादित है। जहॉ अधिकांश दलित आदिवासी भूमिहीन लोग निवास करते हैं। जंगलों में रहने वाले बहुत ऐसे लोग है जो गरीब भूमिहीन हैं जीवकोपार्जन का कोई साधन नहीं है। वी0पी0एल0 का कार्ड एवं अन्त्योदय का लाल कार्ड उनकी संख्या से बहुत कम है जिससे गरीबों को असहायो को सरकार से मिलने वाली सुविधा जो लाल कार्ड एवं वी0पी0एल0 कार्ड से मिलता है नहीं मिल पा रहा है वे अपने अधिकारों से वंचित रहे जा रहे हैं जिससे लोगों में रोष व्याप्त है।

अत: इस गम्भीर प्रकरण पर सरकार का ध्यान दिलाते हुये जनपद सोनभद्र के प्रत्येक गांवों में विशेष व्यवस्था के तहत सभी पात्र व्यक्तियों को लाल कार्ड एवं वी0पी0एल0 कार्ड की संख्या बढ़ाते हुए लाभान्वित कराने का आदेश देने का कष्ट करें।]

सिंचाई विभाग लखनऊ के आशुलिपिकों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु हुयी परीक्षा के आधार पर परिणाम घोषित न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पूर्णमासी देहाती-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाना चाहूँगा कि सिंचाई विभाग लखनऊ में टंकण एवं आशुलेखन की परीक्षा 15 जून से 17 जून, 2003 के मध्य हुई थी उसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार मार्च,2005 में हुआ है न्यायालय का आदेश 4.10.05 में आ चुका है परन्तु विभाग के पास नही पहुंचा है। इस प्रकार का उत्तर तृतीय सत्र 2005 के पहले मंगल हेतु निर्धारित उत्तरों कि प्रश्न संख्या 51 के उत्तर में कहा गया है कि विभाग के पास न्यायालय के प्रति नही मिली है। इतने समय व्यतीत होने के बावजूद गैर जिम्मेदार उत्तर दिया गया है। जो मामले को लम्बित रखने की साजिश अधिकारियों की है और सरकार को बदनाम कर रहे हैं, ये लोक महत्व का विषय है अविलम्बनीय है और बेरोजगार लोग परीक्षाफल घोषित करने की मांग कर रहे हैं। सिंचाई विभाग की कमी स्टाफ से कार्य बाधित हो रहा है। अधिकारी मामले को लम्बित रखना चाहते हैं। इस पर तत्काल कार्यवाही कर परीक्षाफल घोषित किया जाये। जनहित का विषय है।

अत: इस गम्भीर प्रकरण पर सरकार का ध्यान दिलाते तत्काल परीक्षाफल घोषित करने की मांग करता हूँ जिससे बेरोजगारों के साथ हो रहा विलम्ब एवं बेरोजगारी दूर किया जा सके। जनहित का विषय है, अविलम्बनीय है, चर्चा कराई जाये।]

वाराणसी नगर में समुचित सफाई के घोर अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[मान्यवर, धार्मिक नगरी काशी में प्रति दिन लाखों तीर्थ यात्री एवं पर्यटकों का वाराणसी आगमन होता है। पहले की अपेक्षा नगरीय क्षेत्र का विस्तार भी हुआ है और नयी-नयी कालोनियां भी बसते जा रहे हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लेकिन वहां के नागरिकों को मूलभूत सुविधायें प्राप्त नहीं हो रही है। काशी नगरी गंगा तट के घाटों के लिए भी प्रसिद्ध है लेकिन समुचित सफाई के अभाव से घाटों की स्थिति नारकीय बने रहते हैं, दुर्गन्ध के कारण घाटों पर बैठना तो दूर वहॉं से गुजरने के लिए भी लोगों को नाक दबाना पड़ता है जिससे स्थानीय लोगों के अलावा विदेशी पर्यटकों के ऊपर वाराणसी जैसे महत्वपूर्ण नगर की सफाई व्यवस्था और नगर निगम के प्रति बहुत गलत संदेश जाता है। ज्ञातव्य हो कि इसके मूल में जहॉं देख-रेख का अभाव है वही दूसरी तरफ सफाई कर्मियों का अभाव भी है। सड़कों पर भी समुचित सफाई नही हो पाती, स्थान-स्थान पर कूड़ और गन्दगी का अम्बार लगा रहता है। बने हुए अपशिष्ट गृहों के अन्दर कूड़ा कम और बाहर अधिक सड़कों पर फैला रहता है जिससे भी बहुत खराब दृश्य उपस्थित रहता है। वाराणसी नगर निगम के अधिकारियों की उदासीनता एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही के कारण सीवर लाइनें जाम होकर सड़क और गलियों में बहते रहते हैं, कई-कई दिनों तक के कूड़ा नही उठत।

अत: नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के ध्यानाकर्षण [illegible] अविलम्ब कार्यवाही हेतु निर्देश दिये जाने की मांग करता हूँ।]

डा0राम बाबू हरित-

मान्यवर, मेरी बहुत महत्वपूर्ण सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

कुछ सूचनाएं नियम 51 में ट्रांसफर हुई है। आप नियम 51 की सूची देख लीजिए। अगर उसमें भी नहीं होगी और सूचना महत्वपूर्ण होगी तो अगले दिन ले ली जाएगी।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 23..1.2005 को नियम-300 के अन्तर्गत कुल 7 सूचनाएं प्राप्त हुई। पहली सूचना डॉ0 नरेन्द्र सिंह गौर की माननीय मुख्य मंत्री द्वारा पूर्व में की गयी घोषणा के अन्तर्गत नगरों में विधायकों की संस्तुति पर 100 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित न किये जाने के सम्बन्ध में है। यह 300 में कहॉं औचित्य का प्रश्न बनता है?

डॉ0नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, दो मिनट बोल लेने दें।

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना श्री प्रागी लाल अहिरवार की दिनांक 19.7.2005 को नियम 51 में दी गयी सूचना पर किये गये ध्यानाकर्षण के मामले में शासन द्वारा आंशिक रूप से कार्यवाही करने एवं थानाध्यक्ष के विरूद्ध कोई कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में है। यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। इसको आपको प्रिविलेज में देना चाहिए था। निदेश 165-66 है उसमें देना चाहिए था।

(श्री प्रागी लाल अहिरवार के खड़े होने पर)

मैंने नियम बता दिये। आप इतने विद्वान है। आपकी पार्टी के अध्यक्ष बैठे हैं, अध्यक्ष रहे हैं उनसे परामर्श लिया करिये उससे आधी समस्या वैसे ही दूर हो जायेगी। तीसरी सूचना श्री रामहेत भारती की नेता सदन द्वारा सदन में सड़कों की विशेष मरम्मत के लिये 25-25 लाख रूपये दिये जाने की घोषणा का पूर्ण क्रियान्वयन न होने के सम्बन्ध में है। यह औचित्य का नहीं बनता। यह घोषणा है, आश्वासन है। इसको आप किसी और नियम में उठाइये। चौथी सूचना श्री प्रमोद कुमार और राम नरेश यादव जी की संविधान के

अनुच्छेद 243(5) (3) के अन्तर्गत पॉच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पहले स्थानीय निकाय के चुनाव का उत्तरदायित्व पूरा न करने के सम्बन्ध में हैं, यह भी औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। पॉचवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की विधान सभा के प्रत्येक उपवेशन में अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक सदस्य की मेज पर रखवाएं जाने के सम्बन्ध में है, यह भी औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। यह तो आपकी डिमान्ड है। छठवीं सूचना श्री कौशल किशोर की जनपद प्रतापगढ़ थाना रानीगंज स्थित ग्राम लच्छीपुर बाजार के अन्तर्गत श्री वासुदेव पुत्र श्री राम सुमेर द्वारा क्रय की गई भूमि को विक्रेता श्री उमाकान्त, भूतपूर्व प्रधान द्वारा दबंगई के बल पर हथियाने का प्रयास करने के सम्बन्ध में है। कौशल किशोर जी कोई नियम वगैराह पढ़ लीजिये। यह नियमों में नही आती है और आप इसको औचित्य में दे रहे हैं। सातवीं सूचना डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल की विधान सभा के वर्ष 2005 के तृतीय सत्र के प्रथम मंगलवार (22.11.2005) के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-114 का अधूरा उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में है। यह निदेश-165-66 में दीजिये। यह औचित्य में नही आती है। यह सारी सूचनाएं औचित्य में नहीं आती इसलिये अस्वीकार की जाती है।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, दो मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

फिर तो सब शुरू कर देगें। गौर साहब आप बैठ जाय। संसदीय कार्य मंत्री जी आप कुछ कहेंगे इस पर। यह एक आश्वासन था सभी माननीय सदस्य इस सदन में बैठे है इसकी वस्तुस्थिति क्या है? आप ही कुछ बता दें या फिर नेताओं को कक्ष में बुलाकर इस पर बात कर लें।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

यह ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। आज ही सदन के बाद सबको बुला लेगें और अच्छे से बैठकर उसका निस्तारण करा लेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

मान्यवर, आज नही कल करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, कल कर लेंगे।

डॉ0नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहॉ पर तो लग रहे है लेकिन जो नगरीय क्षेत्र है वहॉ दिक्कत है।

श्री अध्यक्ष-

देखिये बात हो गई है। कल कक्ष में आमने सामने बैठकर बात हो जायेगी।

डॉ0नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

हमको भी बुला लीजियेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बुला लेंगे।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आशवासन सम्बन्धी समिति का 101 वॉ प्रतिवेदन+

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चौदहवी विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 101 वॉ (एक सौ एक) प्रतिवेदन, जो पर्यटन, परिवहन, वन, उच्च शिक्षा, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, सहकारिता, ऊर्जा, आवास एवं शहरी नियोजन, सिंचाई, नियोजन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों के वर्ष 1988 से वर्ष 2005 आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 102 वॉ प्रतिवेदन+

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चौदहवी विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 102वां (एक सौ दो) प्रतिवेदन, जो माध्यमिक शिक्षा, कृषि, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार, राज्य सम्पत्ति, कर एवं निबन्धन, दुग्ध विकास, लोक निर्माण, पंचायती राज, समाज कल्याण, औद्योगिक विकास अम्बेडकर ग्राम विकास, अल्पसंख्यक एवं मुस्लिम वक्फ, लघु उद्योग तथा गोपन विभागों के वर्ष 1985 से 2005 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-7 में कुछ नही है। मद संख्या-9 मे नही है।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 23 नवम्बर, 2005 को नियम-311 की तीन सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुई है। जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयी है। चयनित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आप नियम-311 में न दें, नियम-56 में ही दिया करें। नियम-311 का मतलब नही समझते है। नियम-311 में अध्यक्ष को अधिकार दिया जाता है कि नियमों का निलम्बन करके उसको ले सकते हैं। भविष्य में नियम-56 में दें। जब विशेष परिस्थिति आती है तो नियम-311 का प्रयोग करते है। शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित हुई है। पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री रामनरेश यादव, डा0 सुशील चौधरी, श्री प्रदीप माथुर, श्री राम सेवक, श्रीमती लुईस खुर्शीद की है। दूसरी सूचना डा0नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है।

श्री प्रमोद कुमार-

दो मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

पूरा पढ़ दूँ।

+ छापा नहीं गया।

श्री प्रमोद कुमार-

पहले हम बोल लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन मिनट लूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। सरकार एक अनवरत प्रक्रिया है। स्वर्गीय श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा के कार्यकाल में एक समझौता हुआ था। जिसे बाद में माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने माना। जिसका मैं भी सदस्य था उसमें यह था कि कभी केन्द्रीय वेतन में सुधार होगा, कभी वृद्धि होगी तो उसी के अनुरूप प्रदेश के कर्मचारियों को, शिक्षकों को, स्थानीय निकायों को, सभी को उस दर्जे का लाभ मिलेगा। मान्यवर, पांचवें वेतन आयोग ने जो लाभ केन्द्रीय कर्मचारियों को दिया, उत्तर प्रदेश सरकार अपनी हठधर्मिता के कारण उसको नहीं दे रही है। इसको 2005 से लागू किया जा रहा है। जबकि केन्द्र सरकार ने 2004 से लागू किया है। मेरा इतना कहना है सरकार बदल जाने से सरकार के वायदे नहीं बदलते। सरकार के निर्णय नहीं बदलते। सरकार की विश्वसनीयता जरूर बदल जाती है। मैं कहना चाहता हूँ आज 20 लाख कर्मचारी हड़ताल पर चले गए है। जन-जीवन प्रभावित हो गया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से पंगु हो गई है। यह उनका अधिकार है यह इनको मिलना चाहिए जिस प्रकार केन्द्रीय कर्मचारियों का 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मूल वेतन में जोड़ा गया है उसी प्रकार 2004 से उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों का भी जोड़ा जाना चाहिए। इसका लाभ स्थानीय निकायों को भी मिलना चाहिए, सरकार राज्य कर्मचारियों को बुला ले। उनसे वार्ता कर लें। रास्ता निकाल ले। अगर धन का अभाव है तो सरकार वार्ता करके समस्या का हल निकाल सकती है। मैं सरकार से आग्रह करुंगा वह वार्ता के लिए इनको आमंत्रित करे। जिस प्रकार स्व0 हेमवती नन्दन बहुगुणा जी ने जब कांग्रेस की सरकार थी और नारायण दत्त तिवारी जी ने वायदा किया था उसको पूरा करें।

डॉ0नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय प्रमोद कुमार जी ने राज्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बारे में कहा। मान्यवर, जब एन0डी0ए0 की सरकार केन्द्र में थी उस समय केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ने का निर्णय लिया गया था इसके पहले उत्तर प्रदेश के अन्दर केन्द्रीय कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता जब घोषित किया गया है उसी के समतुल्य उत्तर प्रदेश सरकार में घोषणा की जाती थी। एक समानता थी लेकिन केन्द्र सरकार ने 50 प्रतिशत की घोषणा जो की है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रक्रिया को इतना डिले किया। पहले उत्तर प्रदेश राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनी। मान्यवर, उसकी संस्तुति कैबिनेट में गई, फिर कैबिनेट की कमेटी बना दी गई, फिर जब उसका परिणाम आया, उसमें 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ने का जो निर्णय लिया गया उसमें बड़ी विसंगति है। मान्यवर, यह सरकार शिक्षक विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है, आप विकास की बात कर रहे है? विकास कार्य पूरी तरह से ठप है और सरकारी कार्यालय बन्द है। मान्यवर, मै आपके माध्यम से सरकार से चाहूँगा कि जो सरकारी कर्मचारी है, शिक्षक है, जो लगभग 20 लाख है, उनकी न्यायोचित मांग है, 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते को उनके मूल वेतन में अप्रैल, 2004 से जोड़ दिया जाए और हाउस रेण्ट, सी0सी0ए0 आदि में भी इसका लाभ दिया जाए। यदि सरकार में जरा भी संवेदनशीलता है तो इसे लागू करे। यह एक साल का ही नुकसान नहीं है, यह रिकरिंग लॉस है, जब तक सरकारी कर्मचारी सेवा में रहेगा तब तक उसे इसका नुकसान होगा और उसकी इससे बहुत बड़ी हानि होगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते को अप्रैल, 2004 से लागू कर इस समस्या का समाधान करे।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद [illegible] खाँ)-

मान्यवर, यह तो गौर साहब ने भी म[illegible] कि 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता जोड़ दिया गया है, जो केन्द्र सरकार ने बढ़ाया है। आपने यह तो कह दिया कि शिक्षकों की बडी उपेक्षा हो रही है लेकिन दैनिक जागरण और अमर उजाला में आपकी सरकार के शिक्षा मंत्री का एक इश्तिहार है जो यहाँ दोहराया नही जा सकता है कि शिक्षकों के साथ जनता क्या करे, यदि आप कहे [illegible] प्रये। इसके बाद यदि आप कहते है कि इतना बड़ा घाटा है। मुख्य मंत्री जी क्योंकि बुनियादी तौर पर शिक्षक है, जितनी सहूलियत जितना मान-सम्मान उन्होंने दिया है, उतना किसी ने नहीं दिया। वार्ता के लिए कल की तारीख तय है, उसमे कोई न कोई रास्ता निकलेगा।

श्री अध्यक्ष-

श्री प्रमोद कुमार डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

दूसरी सूचना श्री राम इकबाल सिंह और श्री श्याम देव राय चौधरी की (नियम-311 में प्राप्त), दिनांक 22-11-05 को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा शांतप्रिय प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने एव सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लहुलुहान करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

*श्री राम इकबाल सिंह-

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, मै इसके लिए आपका आभारी हूँ। महोदय, कल जब हम आपके कार्यालय के बाहर धरना देकर निकले तो पता चला कि काफी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। ये कार्यकर्ता मऊ की उस ह्रदय-विदारक घटना के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए आए थे। मान्यवर, जिस घटना में 72 घंटे तक मऊ में कानून नाम की कोई चीज नही रह गई थी। डी0एम0, एस0पी0 और कोतवाल मूक-दर्शक बनकर खड़े थे। आम लोगों की आबरू लुट रही थी, दुकानें लूटी जा रही थी, छोटे-छोटे बच्चों का कत्लेआम हो रहा था और पूरा प्रशासन मूक बैठा था। मान्यवर, हम लोग बगल के लोग थे, वहाँ भी तनाव था, आज भी वहाँ इसकी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है।

श्री अध्यक्ष-

दंगों पर इतनी बड़ी चर्चा हो गयी है, इसके बारे में बतायें।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के हजारों नौजवान उसी के विरोध में आए थे, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने के लिए मऊ मे जो कुछ हुआ है। 72 घंटे तक वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार का कोई शासन नहीं था, वहाँ दंगाइयों का शासन हो गया था और आज भी वहाँ जो आम जनता है, भयभीत है।

श्री अध्यक्ष-

मऊ की घटना के बारे में मत बोलें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, सभी जिलों से हर वर्ग के युवा कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए आए थे। जब हम माननीय श्री केशरी नाथ त्रिपाठी जी के नेतृत्व में करीब 14-15 विधायक अस्पतालों में घायल कार्यकर्ताओं को देखने जा रहे थे तो बहुत ही सोच-समझकर, मान्यवर, पता नहीं इस सरकार में पुलिस को क्या हो गया है, आपको हँसना है तो हँस लें, अगर व्यंग्य करना है तो व्यंग्य कर लें। हम लोग श्री त्रिपाठी जी के नेतृत्व में अस्पताल जा रहे थे, राठौर साहब जो कि शायद एस0पी0 सीटी है से कहा कि हम अस्पताल जाना चाहते हैं, वह फोर्स बुला ही रहे थे कि एक तरफ दो-ढाई सौ की संख्या में पुलिस के साथ, श्री एस0पी0 यादव नाम के अधिकारी हैं, मैं उन्हें पहचान सकता हूँ वह आए और कार्यकर्ताओं को मारने लगे। हम लोग छुड़ा रहे थे। समझ में नहीं आता कि गॉधी जी के देश में क्या हो रहा है। क्या लोकतांत्रिक तरीके से धरना-प्रदर्शन नहीं हो सकता है। जहॉ गोली चलाने की बात आती है वहॉ गोली नहीं चलाते लेकिन जहॉ लोकतंत्र मजबूत हो सके और जहॉ आम जनता की आवाज को दबाना हो तो गोली चलवा दी जाती है। मऊ के दंगों में एक कारतूस नहीं दागा गया। वहीं कल हमारे सामने निहत्थे लोगों पर गोली, लाठी चलवाई गई है।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

प्रदर्शन में तो लाठीचार्ज होता ही है।

श्री अध्यक्ष-

रिजवी साहब बात न करें। राम इकबाल जी आप बैठ जाइए, श्री श्याम देव राय चौधरी जी को बोलने दें।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, एक तो बहस में नहीं बोलने दिया गया, मेरा प्रश्न लगा था उसमें भी नहीं बोलने का मौका मिला, श्रीमन् कुछ तो बोलने का मौका मिले। आप भी नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि पहले लाठी-गोली चलती थी लेकिन अनावश्यक नहीं चलती थी। हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते है कि इस घटना की न्यायिक जांच कराकर और एस0पी0 यादव को अविलम्ब निलम्बित करने की कार्यवाही करें। हम इस पर सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग करते हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको दूसरे ही तेवर में देख रहा था। लेकिन आप ना-ना करके हॉ कर बैठे और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आभारी हूँ। मान्यवर, व्यवस्था के अंतर्गत हम सबको पता है कि जन समस्याओं को लेकर, जनता की पीड़ा को लेकर सड़कों पर आने, प्रदर्शन करने, धरना देने, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को कहने का हमारा मौलिक अधिकार है। संविधान ने हमको अधिकार दिया है।

[समय 3 बजकर 20 मिनट]

संविधान में हमें यह अधिकार मिला हुआ है। मऊ में जो घटना हुई है उसके विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि आप उसपर बोलने नहीं देंगे, लेकिन उस घटना के विरोध में, जो होना चाहिए था वह नहीं हुआ, उसके विरोध में दृष्टि आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश र में आवाहन किया कि लखनऊ में प्रदर्शन करना है। यह इनका पूर्व घोषित कार्यक्रम था। लक्ष्मण मेला पार्क में वह इक्ट्ठा हुए। वहॉ से यह विधान सभा में प्रदर्शन करने जाना चाहते थे। सरकार विरोधी नारा लगाते हुए,

प्रशासन विरोधी नारा लगाते हुए आ रहे थे। हजरतगंज में पुलिस ने इन्हें रोका। शायद उत्तेजना में आकर, वर्तमान शासन पर अपनी निष्ठा को प्रकट करने की दृष्टि से इन्होंने लाठी चार्ज कर दिया। ऐसा लग रहा था कि लाठियाँ इन लोगों के शरीरों पर नहीं लोकतंत्र पर पड़ रही थी। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा और दुखद पहलू यह है कि पुलिस तो इन घायल लोगों को नहीं ले गयी जो गिरे हुए थे, लेकिन जनता के द्वारा या फिर स्वयं वहाँ जाकर इलाज करा रहे थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष केशरी नाथ त्रिपाठी जी और उनके साथ के लोगों को जब जानकारी मिली तो उन लोगों को देखने के लिए वह अस्पताल जा रहे थे, वह प्रदर्शन नहीं करने जा रहे थे। पता नहीं पुलिस को कैसे गलतफहमी हो गयी कि यह प्रदर्शन करने जा रहे है इसी इल्जाम के कारण उन्होंने त्रिपाठी जी को तो छोड़ दिया, उनको धक्का दे दिया लेकिन उनके साथ जो लोग थे उनके ऊपर बुरी तरह से लाठियाँ बरसायी। इसमें हमारे बनारस के भी लोग थे। मुझे आज फोन आया कई घरों से कि विधायक जी हमारे लड़के प्रदर्शन करने गये थे अभी तक नही लौटे हैं आप पता लगायें, विधान सभा में इसको उठायें। यह पता लगायें कि क्या वह लोग जेल भेज दिये गये है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। आप मांग करें।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं यह मांग करना चाहता हूँ कि जो जख्मी हुए हैं, अस्पताल में भर्ती है, जेल में बंद है उनको बिना शर्त रिहा किया जाय। जो घायल है उनको मुआवजा दिया जाय और जो गायब है उनका पता किया जाय, उनकी खोज की जाय। माननीय राम इकबाल सिंह जी ने जो न्यायिक जॉच के लिए कहा है मैं उसका समर्थन करता हूँ कि इसकी न्यायिक जॉच करायी जाय ताकि मुलायम सिंह जी का जो कहना है कि संघर्ष हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है यह अधिकार हमें मिले। अंत मैं इस कार्य-स्थगन की सूचना पर बल देता हूँ और यह अनुरोध करता हूँ कि इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

चौधरी साहब ने डोर बहुत लम्बी खींच दी।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

आप उसे काटकर छोटा कर दीजियेगा।

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

जैसे आपका दल छोटा हो गया है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

लेकिन दिल तो बड़ा है।

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

मान्यवर, कल का जो यह प्रदर्शन हुआ वह सभी के लिए खेदजनक है। कुछ अधिकारियों ने कहा कि आपसे जब इसकी समीक्षा हुई कि लक्ष्मण पार्क में जमा होना था, वहाँ प्रदर्शन था लेकिन कुछ जिम्मेदार लोगों ने यह निवेदन किया कि हमें कुछ आगे बढ़ने दिया जाय। आश्वासन दिया और उस आश्वासन को मान लिया गया। मैंने उसी वक्त अधिकारियों से कहा कि 06 दिसम्बर के सबक के बाद भी अगर आपने इनके आश्वासन को माना तो भुगतना तो पड़ेगा ही। आपको आश्वासन जो इन्होंने दिया था कि यह शान्तिमय ढंग से अपना जुलूस ले जायेंगे। मान्यवर, बम फोड़ गये, भगदड़ मची, बम फूटा है, फायरिंग हुई, कट्टे गिरे है . . . . .

श्री श्याम देव राय चौधरी-

वाह, क्या बात है?

श्री मोहम्मद आजम खॉं-

आप सच भी सुन लीजिए, मान्यवर पथराव इस तरह का हुआ कि वरिष्ठ अधिकारियों के मुँह फट गए, छः-छः टांके लगे हैं सिर पर। यह आये थे मऊ के दंगे के बारे में कुछ कहने के लिए, इनके इस आचरण ने यह साबित किया कि मऊ के दंगे में और यहां पर इनका क्या रूप रहा होगा। कल के बारे में मान्यवर अगर आप निष्पक्ष समीक्षा करेंगे तो यह कहेंगे कि लोकतंत्र में कानून और देश में गॉंधी जी का नाम लेकर बापू का नाम लेकर जो कल मान्यवर ताण्डव हुआ है और दूसरे यह चौधरी साहब को बड़े फोन आये, ऐसे-ऐसे लोगों को आप क्यों पालते हैं जिनका पूछताछ होने लगती है, यह कहकर क्यों आते है कि खाना बनाकर रखियो हम आ रहे है। थोड़ी हिम्मत पैदा करिये अपने कार्यकर्ताओं में, थोड़ा हौसला बढ़ाइये उनका। हलवा, पूड़ी हर वक्त नहीं मिलता। जब कानून व्यवस्था को खराब करेंगे, बम फोड़ेगे, फायरिंग करेंगे, पथराव करेंगे, अधिकारियों को जख्मी करेंगे, एक-एक अधिकारी को ऐसी चोटें कि छः-छः टांके, 10-10 टांके, लगे सिर को फोड़ देंगे और आप चाहेंगे कि यहां का माहौल पूरे प्रदेश में बन जाय, जाहिर है कानून का राज कायम करने के लिए कम से कम जमीन पर लाठी जरूर मारी जायेगी। यह मान्यवर, चोंटे जो भी इधर आई है वह पुलिस की लाठी से नहीं आई है जो बम फोड़ा गया, जो फायरिंग हुई, तमन्चे चले, उससे जो भगदड़ मची है, उससे आई है। जिम्मेदार होकर मैं यह बात कह रहा हूँ, यह मेरा सदन का बयान है, यह सरकार का बयान है, यह सदन में व्यक्ति का बयान नही है।

श्री राम इकबाल सिंह-

आप तो पुलिस का बयान बोल रहे हैं।

मोहम्मद आजम खॉं-

मैं सच कह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आपने अपनी बात कह ली है अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं, उनको भी सुनिये।

श्री मोहम्मद आजम खॉं-

मान्यवर, एक बहरहाल खेद का विषय है कि केशरीनाथ जी को दौड़ा लिया और वह गिर गये, इसके लिए खेद है। शायद उनको पहचान नहीं सके, उन्होंने सोचा होगा कि दंगाई होंगे, उन्हीं के साथ जो फायरिंग की है और बम फोड़े है, पहचान नहीं हुई होगी, लेकिन पुलिस वालों में किसी ने भी इनको न मारा है, न पीटा है, न इसके साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता की है। शायद इन्हें पहचान नहीं सके है और यह भागने में गिर गये हों तो उन्हें कष्ट हुआ हो तो उसके लिए खेद है। मान्यवर, कानून-व्यवस्था कायम रखने के लिए ऐसा किया गया था, किसी को न लाठी आई, न किसी को चोट आई। मान्यवर, इसमें न्यायोचित कार्यवाही होगी और आगे भी न्यायोचित कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस बिन्दु पर आप सबकी बातें सुनी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को भी मैंने सुना। मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

*श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

जब धरना समाप्त करके विधानभवन के सामने से वहां चले, उस उसमें वहां के पुलिस अधिकारियों से मैंने बता दिया था कि हम अस्पताल जा रहे हैं और विधायक हमारे साथ है। जब हम लोग पेट्रोल पम्प के पास पहुंचे तो वहां एक सब इन्सपेक्टर या इन्सपेक्टर था वह आया, वह लम्बा था, सांवला था और उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। उसने पूछा कि क्या आप लोग राजभवन जा रहे है, हग लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग सिविल अस्पताल जा रहे है। वह भला आदमी था वह तुरन्त दौड़कर गया और वहां पर एस0पी0 (आर0) राठौर साहब को बताया। वह आये उनको बताया गया कि सिविल अस्पताल जा रहे है हमारे साथ विधायक है और कुछ लड़के हैं। अस्पताल के गेट पर हम लोगों को जब रोका गया तो ट्रैफिक के सिंग्नल वाले को बताया हाथ से कि यह लोग इधर जायेंगे, सिविल अस्पताल की ओर इशारा किया। जो सिविल अस्पताल के लिए सड़क जाती है, वहां जब जाने लगे तो फिर एक एस0पी0 यादव जो शायद डी0एस0पी0 है उन्होंने आकर दनादन लाठियां चलवा दी। बिना किसी प्रोवोकेशन के यह कार्यवाही करा दी। उसमें हम लोगों के साथ मेरठ के लोग थे सिद्धार्थनगर के लोग थे, उसमें कई लोगों को चोटे आयी है कुछ लोग बेहोश हो गये। चार कार्यकर्ताओं को तो लादकर अस्पताल ले जाया गया। यह सरकारी कथन गलत है कि किसी को उसमें चोट नहीं लगी हैं। एक को गोली लगी है। वहां पर मीडिया के लोग आ गये थे उन्होनें सब कुछ देखा है। यह जो सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकार की ओर से दी गयी है या पुलिस अधिकारियों द्वारा जो बनाकर दी गयी है वह गलत है। एक आदमी एस0पी(आर0) राठौर साहब वह सब घटना को जानते है। वह सुबह हमारे पास आये भी थे और उन्होंने घटना के लिए क्षमा भी मांगी थी। कोई प्रोवेकेशन नहीं था। सरकार को अपनी सूचना पर पुनर्विचार करना चाहिए। जिन्होंने सही सूचना नहीं दी है उसके विरुद्ध आप कुछ कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

मान्यवर, मेरे पास सभी की मेडिकल रिपोर्ट हैं। मैंने पहले ही त्रिपाठी जी के मामले में कहा कि उसके लिए खेद है।

श्री अध्यक्ष-

त्रिपाठी जी, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो आपके साथ जो कुछ हुआ है उसके लिए खेद प्रकट किया है। मा0 राम इकबाल सिंह व अन्य की सूचना पर मैंने आपको सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सूना, यह इसमें नहीं आती। मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ, आप इसको दिखवा लें।

डा0लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, प्रदेश के तकनीकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के छात्रों का भविष्य बिना पूर्व सूचना के नित नये प्रयोगों के कारण अंधकारमय हो गया है। कभी एन0पी0टी0वाई0,एन0पी0एफ0वाई0,ईयर बैक, गो थ्रू प्रणाली, प्रश्नपत्रों के प्रारूप में बदलाव, प्रथम वर्ष का बैक पेपर व तृतीय वर्ष का मेन पेपर एक ही दिन दो पाली में कराना, डिटैण्ड प्रणाली लागू कराना कुछ ऐसी विसंगतिपूर्ण निर्णय है, जिनके कारण जहां छात्रों का वर्ष जा रहा है, वहीं अभिभावकों के समक्ष अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिन्ता व्याप्त है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, सत्र 2000-2001 में अनुतीर्ण छात्रों की पुन: परीक्षा कराई गई, 2001-2002 में ग्रेस अंक 10 से बढ़ाकर 15 किये गये 2002-2003 प्रथम द्वितीय वर्ष के अनुत्तीर्ण छात्रों को ग्रीष्मकालीन सत्र चलाकर पास किया गया। एन0पी0टी0वाई0 तथा एन0पी0एफ0वाई0 रोक को हटाया गया, 2003-2004 में पुन: प्रथम वर्ष की बैक पर तृतीय वर्ष प्रवेश रोक (एन0पी0टी0वाई0) तथा द्वितीय वर्ष की बैक पर चतुर्थ वर्ष प्रवेश पर रोक (एन0पी0एफ0वाई0) को हटाया गया तथा 2004-05 में प्रथम/चतुर्थ वर्ष छात्रों की परीक्षा विशेष तौर पर कराई गई, तब द्वितीय वर्ष व तृतीय वर्ष के छात्रों की परीक्षा विशेष क्यों नहीं करायी गयी है? प्रथम वर्ष की बैक पर तृतीय वर्ष के छात्रों को एक अवसर देकर चतुर्थ वर्ष म प्रमोट करना, इसी प्रकार द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट इन दृष्टांतों को देखते हुए करना चाहिए। इयर बैक/डिटेन्ड प्रणाली समाप्त कर आईआईटी की भांति गो थ्रू प्रणाली लागू करना चाहिए। मान्यवर, मेरा आग्रह यह है कि 12 दिसम्बर से परीक्षा घोषित कर दी है अगर इन छात्रों के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ तो इनका एक वर्ष चला जायेगा और उनके मॉ बाप की गाढ़ी कमाई का पैसा बर्बाद हो जायेगा। जब इस तरह के दृष्टांत प्रबन्ध तंत्र के पास मौजूद हैं तब इस प्रकार के दृष्टांत के आधार पर लाभ दिया जा सकता है। जब प्रथम और चतुर्थ वर्ष के छात्रों को लाभ दे रहे हैं तो द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों को लाभ न देना अन्यायपूर्ण है। आप नौजवानों का ध्यान रखने वाले माननीय अध्यक्ष हैं। कम से कम मुझे आपने सुना और सरकार को भी आप सुनें इसके बाद पीठ कोई निर्णय दे ताकि नौजवानों को राहत मिल सके। मैं मॉग करता हूँ कि आज इस कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष-

यह बहुत गम्भीर मामला है, टेक्निकल मंत्री नहीं है?

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

मान्यवर, वाजपेयी जी का प्रश्न जो गम्भीर नहीं होता है मैं उन्हें भी गम्भीरता से लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आपके पास कुछ सूचना है?

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

मान्यवर, आज ऐसा हुआ है कि अपने ही एक साथी के बेटे की हत्या हो गयी थी और तेरहवीं में वह गये हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह गम्भीर मामला है। वह विधान सभा के बाहर भी धरना दे रहे हैं और यहॉ भी धरना दे रहे हैं। बहुत बार मीटिंग भी हुई है। मेरा आपसे आग्रह है कि इनके रजिस्ट्रार को बुलवा लें और माननीय वाजपेयी जी को बुलाकर इसका निदान करा दें क्योंकि 12 दिसम्बर को इक्जामिनेशन होगा और इक्जामिनेशन के पहले और साल छूट मिलती थी, नहीं मिलेगी तो दिक्कत हो जायेगी। तो इसको रूर लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरे संज्ञान में है। मैं मंत्री जी से भी कहूँगा कि इसका समाधान निकालें।

श्री अध्यक्ष-

कोई स्थाई हल निकाल लें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, रजिस्ट्रार को अपने कक्ष में बुला लें।

श्री अध्यक्ष-

कल संसदीय कार्य मंत्री जी भी रहेंगे और टेक्निकल मंत्री जी भी रहेंगे, वाजपेयी जी के साथ कल शाम को बैठ लेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी, आज बहुत चला गया, कल फिर आप दीजिएगा कल समय पूरा है।

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में पंचायतों के चुनाव हो गये हैं और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव हो जाने के बावजूद जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव अभी तक नहीं कराया जा सका है।

श्री अध्यक्ष-

यह चुनाव आयोग करायेगा या सरकार करायेगी?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 247 (ङ) (1) के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है जो 10 अक्तूबर, 2005 को स्वत: समाप्त हो गया और स्वत: समाप्त हो जाने के बाद मान्यवर, संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकारों की होती है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जो संविधान के निर्देश है उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए 5 वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद फिर उसका चुनाव सम्पन्न करा लेना चाहिए।

मान्यवर, आज संवैधानिक संकट इसलिये पैदा हो गया है कि यह पंचायत के सदस्य हैं, इनको डराया-धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सत्तापक्ष का साथ नहीं दोगे तो इनको फर्जी मुकदमों में फँसाया जा रहा है। इस संवैधानिक संकट के पैदा हो जाने से आपसी वैमनस्य इतना बढ़ा है कि तमाम सदस्यों की हत्या हो रही है, जैसे कि ललितपुर में माननीय मंत्री जी के बेटे की हत्या हो गयी, यह आपसी वैमनस्य के कारण ही हुयी। मै आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, चूँकि यह संवैधानिक व्यवस्था है और जो सरकार अपनी संवैधानिक व्यवस्था का निर्वहन नहीं कर पाती है, उसको सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत सदस्यों को उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ जनता ने चुना है और इसलिये जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव न करा पाना उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ जनता का अपमान है और उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ जनता की भावना का हनन हो रहा है। आज इस संवैधानिक संकट के नाते पूरे उत्तर प्रदेश की जनता में गुस्सा है, आक्रोश है, जो कभी भी गंभीर रूख ले सकता है। यह अविलम्बनीय भी है, इसलिये कि एक माननीय मंत्री के बेटे की हत्या हुयी है, इसका लोकमहत्व भी है, क्योंकि लोगों की जान को खतरा है, इसलिये इस विषय पर सदन की सारी कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री सुखदेव राजभर-

अध्यक्ष महोदय, इस सूचना को हम लोग इसलिये लगाये है कि आयोग की परिधि में जो भी काम है, उसमें हम बहस नहीं करना चाहते, इस समय आयोग के लोग निराश होकर बैठे है। सरकार जो चाह रही हैं, वह हो रहा है। चाहे जिला पंचायत का आरक्षण हो, चाहे अध्यक्ष पद का आरक्षण हो। पहले एक सूची जारी हुयी कि फंला जनपद में फंला आरक्षण रहेगा। जब चुनाव शुरू हो गये तो सूची बदल गयी। सरकार ने दूसरी सूची जारी कर दी, इस कारण 4-4 रिटे माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल हो गयी। मऊ की रिट दाखिल है, यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष पर जो लड़ना चाहते थे, वह अध्यक्ष पद की सूची बदल दी गयी। आज जो काम आयोग का है, वह पूरा काम सरकार कर रही है, आयोग लाचार होकर बैठा है और मनमाना आरक्षण हो रहा है, मनमाना चुनाव हो रहा है। मैं सरकार से माँग कर रहा हूँ कि सरकार अध्यक्ष पद चुनाव की घोषणा कर दे, इससे जो उहापोह की स्थिति बनी हुयी है, वह समाप्त हो।

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, पता नहीं कैसे हमारे सम्मानित नेता को शंका हो रही है और कह रहे हैं कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सरकार टालमटोल कर रही है। मान्यवर, पंचायत के चुनाव तो इतने अच्छे ढंग से सम्पन्न हुये है कि हमें इसकी खुशी है और इन्हीं की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आयोग को और सरकार को इसके लिये धन्यवाद भी दिया है। पंचायतों के चुनाव निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के कराने के लिये। जिस सरकार को यह ऐसा कह रहे है, उसी सरकार के लिये इनकी अध्यक्ष ने कहा है कि पंचायतों के चुनाव निष्पक्ष हुये है। जब विद्वान लोग कोई ऐसी बात कहें, अखबारों की न्यूज बनाने के लिये, तो बड़ा दुख होता है। एक रिट दाखिल हुयी थी, सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था कि अमुक तारीख को हम आरक्षण की सूची देगें। हमारे नीतिगत जो नियम है, उसके अन्तर्गत आरक्षण की सूची कोर्ट में प्रस्तुत की गई है, उसमें उच्च न्यायालय के जो भी निर्देश होंगे, उनका पालन किया जाएगा। चुनावों के सम्बन्ध में उंगली रखने की अभी तक किसी को जगह तक नहीं मिली है। मान्यवर, हम तो चुनाव कराने के लिए तत्पर है, आयोग ने लिखा था कि जब चुनाव के परिणाम आ रहे थे, जब सामान्य निर्वाचन हो रहा था, उस समय कुछ जगहों पर चुनाव सम्पन्न नहीं हो पाये थे। कुछ अनियमितताओं और शिकायतों के कारण उन्हें स्थगित किया गया था और अब स्थगित चुनावों को आयोग ने 17 तारीख को सम्पन्न करा दिया है। अब 19 तारीख के बाद विचार-विमर्श करके जल्दी ही जिला पंचायत अध्यक्ष के पद हेतु चुनाव की तिथि निर्धारित कर दी जाएगी और निर्धारित तिथि पर चुनाव सम्पन्न हो जाएंगे, इसलिए यह शंका निर्मूल है। हमारे सम्मानित नेतागण कभी इस प्रकार की बाते नहीं करते थे, पता नही आज इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे है?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, 19 तारीख की जगह आज 23 तारीख हो गयी है, इसलिए अब चुनाव के लिए घोषणा कर दी जानी चाहिए।

श्री बलराम यादव-

आप जितनी जल्दी चाह रहे है, उतनी ही जल्दी आपको सूचना दे दी जाएगी। पता नहीं माननीय सदस्य किस आधार पर यह कह रहे है कि लोगों को धमकाया जा रहा है, कम से कम माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार में तो इस प्रकार से चुनाव नहीं कराये गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय मौर्या जी, माननीय राजभर जी और माननीय मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती, इसलिए मैं इसे निरस्त करता हूँ।

(श्री मुंशी लाल गौतम, श्री रामहेत भारती और श्री सुरेश कुमार खन्ना के एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने पर।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, आप सभी लोग बैठ जाएं।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, मैने नियम-56 में एक सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाएं, आपके नेता प्रस्ताव रखने जा रहे है, आप कृपया बैठ जाएं।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, यह बहुत आवश्यक सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा ठीक है, आप भेज दीजिएगा, हम उसे देख लेंगे। माननीय हुकुम सिंह जी, आप प्रस्ताव रखें।

उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) अध्यादेश, 2005 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 2005

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) अध्यादेश, 2005 का अननुमोदन करता है।

श्री अध्यक्ष-

आप इस पर अपने विचार रखेंगे?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी प्रस्ताव रख दें और मैं अपना संशोधन प्रस्ताव रख दूँ, उसके बाद एक साथ विचार रख दूँगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, माननीय मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

कर एवं निबन्धन व्यापार कर राज्य मंत्री (श्री संजय गर्ग)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जाएंगे।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-11 पर सदन में मतदान होना चाहिए।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मद संख्या 11 और 12 दोनों पर एक साथ मतदान हो जायेगा, पहले भी एक साथ होता रहा है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा-2 म संशोधन किया गया है और संशोधन के माध्यम से चाहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसानों को ऋण की सुविधा दी जाए। ग्रामीण क्षेत्र में आवादी भूमि पर व्यक्तिगत प्रयोग के लिए गृह निर्माण या उसकी मरम्मत, आधुनिकीकरण या विस्तार या वैकल्पिक ऊर्जा संयंत्र एवं मशीन का क्रय, संग्रह और अर्जन या उससे संबंधित अन्य विषयों को इसमें सम्मिलित कर लिया जाए ताकि उनको ऋण लेने की सुविधा हो जाए। मैं इसका स्वागत करता हूँ लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि कृषकों में आपस में विभाजन क्यों किया गया? केवल ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कृषकों को ही शामिल किया गया है। नगरीय क्षेत्र के किसानों को क्यों छोड़ दिया गया? अगर सुविधा देनी है तो सबको दिया जाए, नगरीय क्षेत्र में रहने वाले कृषकों ने क्या कोई गलती कर दी है? बैंक से ऋण ले रहे है तो आपने कह दिया कि इनको भी हम कृषि ऋण के रूप में मानें। कृषि ऋण के रूप में मानना है तो दोनों को मानिये। एक तो यह आश्वासन दे दें कि किसी कारण से रह गया होगा तो यह सुविधा हर कृषक को उपलब्ध होगी भले ही वह कहीं भी रहता हो। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा इसमें विचार करके जो ऋण लेते है उसकी व्यवस्था के सरलीकरण के लिए विचार करेंगे। अगर ऋण लेने के लिए जटिलतायें रहेंगी तो फिर कोई फायदा होने वाला नहीं है, आप परिभाषित कुछ भी कर दीजिए। अगर सरलीकरण नहीं है और वही कठिनाई है तो फिर विचार होना चाहिए। तीसरी बात ऋण की दर को कम करना चाहिए।

गर्ग साहब आपको पता होगा, अगर आप अपना पैसा बैंक में जमा करने जाइये तो 4 फीसदी ब्याज मिलता है, किसान पैसा लेने जाये तो 9 फीसदी ब्याज देना पड़ेगा। हमें अच्छा लगता कि जो सुबिधा आज सारे विश्व में चली है, एक अभियान के रूप में चला है बैंक इंट्रेस्ट रेट को कम करने की तो यहाँ इंट्रेस्ट रेट को कम करने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं बैंक की मीटिंग बुलाकर, उनसे बात करके गरीब किसान जो ऋण ले रहे हैं उसकी दर में कम करने पर विचार होना चाहिए, इसमें आपको क्या कठिनाई है? एन0डी0 ए0 की सरकार ने एक अभियान के रूप में क्रेडिट कार्ड चलाया उससे बहुत फायदा हुआ, आगे भी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। लक्ष्य निर्धारित करिये और इसे आगे बढ़ाइये। जहाँ-जहाँ यह व्यवस्था नहीं हो सकी है। आमतौर पर फार्म भरेगें बी0डी0ओ0 और लेखपाल से प्रमाणित करायेंगे फिर जा करके ऋण लेंगे। जहाँ क्रेडिट कार्ड है, किसान की स्थिति अच्छी है। सहकारी समितियों से खाद और बीज मिलता है, ऋण के रूप में मिलता है। हमारे यहाँ गन्ना सहकारी समिति बहुत है। आज किसान की कमर ऐसे टूट गयी है, गन्ने के दाम अच्छे हैं लेकिन किसान की आर्थिक स्थिति यह हो गयी है कि चाहे सहारनपुर, पश्चिम या पूरब में बहुत सारे किसान अपने लिए एग्रो से खाद और डाई ले करके बाहर बाजार में बेचने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं? वह खाद बाजार में नहीं जाता तो खेत में जाता। छोटे किसानों की बहुत बड़ी संख्या ऐसी है कि हजार दो हजार का खाद लिये और 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत पर वही खाद ला करके दुकान पर बेच दिया। ताकि पैसा उसकी जेब में आ जाय और लड़की की ब्याह शादी या घर खर्च चल सके यह व्यवहारिक कठिनाइयाँ है।

सरकार निश्चितरूप से इन व्यवहारिक कठिनाइयों पर विचार करने के उपरान्त कुछ न कुछ फायदा कुछ न कुछ सुविधाएं किसानों को देना चाहेगी। सैद्धान्तिक रूप से मुझे इसमें कोई विरोध नहीं होता लेकिन जब मैंने देखा कि यह बिल आधा अधूरा है इसे पूरा होना चाहिए था इस कारण से यह दोनों प्रस्ताव मैंने रखे है। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि जब सदन को बुला लिया गया था उसके बाद भी आर्डिनेंस लाए इस पर विधेयक आ जाता और इस पर चर्चा हो जाती और चर्चा के दौरान सरकार संवेदनशीलता दिखाती ईमानदारी दिखाती। यह दो चार सुझाव मैंने रखे हैं जिनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है सरकार उन पर विचार करके इनको शामिल करे अगर आज नहीं तो आश्वासन दे कि उन पर विचार करके उनको शामिल किया जायेगा।

*श्री सुखदेव राजभर-

अध्यक्ष महोदय, किसानों के प्रोत्साहन के लिए मंत्री जी ने जो व्यवस्था की है और जो आबादी भूमि शब्द प्रयोग किया है तो आबादी भूमि सारे रेवेन्यू रिकार्डो में किसी व्यक्ति के नाम नही रहती है जो रजिस्टर होते हैं चाहे एग्रीकल्चरल लैण्ड, आबादी लैण्ड के। अगर कोई आबादी लैण्ड में मकान बना रहा है तो उसको ऋण दे रहे है हमारे जो अधिवक्तागण बैठे हैं या जो जानकार व्यक्ति हैं उनको पता है कि कोई भी आबादी भूमि वहाँ पर रहने वाले किसी के नाम नहीं होती है वह वर्ग 6 के कालम में जाती है। अगर कोई अपने खेतों में मकान बनाएगा तो उसे गृह ऋण दिया जायेगा यह जोड़ दिया जाय। इसके साथ-साथ रेवेन्यू रिकार्ड में वर्ग 2,3 या किसी वर्ग की जमीनों पर कोई अपना मकान बनाए तो उसको ऋण देने की सुविधा प्रदान की जाय यह मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आबादी भूमि के साथ-साथ व्यक्तिगत भूमि पर भी यह दिए जाने की व्यवस्था करें और यह शब्द जोड़ने का काम करें। इसी के साथ-साथ आबादी ऋण का मकसद क्या है यह भी बता दें।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) अध्यादेश,2005 जो लाया गया है वह किसानों के हित के मकसद से लाया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम 1973 की धारा 2 में इससे पहले ग्रामीण आबादी की भूमि पर व्यक्तिगत प्रयोग के लिए गृह निर्माण या उसकी मरम्मत के वास्ते भूमि को मॉर्गेज करने की व्यवस्था नहीं थी जिससे किसानों को गृह निर्माण के लिए ऋण नहीं मिलता था। इस अधिनियम में जो संशोधन किया गया है वह इस मकसद से किया गया है जिससे किसानों को आबादी की भूमि पर अपने आवास के निर्माण या विस्तार के लिए ऋण लेने में दिक्कत न आए। क्योंकि आबादी की भूमि का कोई सेटलमेंट या बंदोबस्त नहीं है डिटेल डीड के अभाव में परेशानी होती है। नगरीय क्षेत्रों के किसानों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को भी ऋण की सुविधा प्राप्त हो और वह अपनी कृषि भूमि को गृह निर्माण आदि में ऋण के लिए मार्गेज करके ऋण ले सकता है। पूर्व में आबादी भूमि पर मकान के अलावा वैकल्पिक ऊर्जा सयंत्र एवं मशीन का क्रय संग्रह और उससे सम्बन्धित अन्य विषय को सम्मिलित नहीं किया गया था जिससे उक्त प्रयोजन हेतु किसानों को बैंक से ऋण लेने में असुविधा होती थी। उस असुविधा को दूर करने के लिए यह संशोधन किया गया है। मशीनरी को भी सम्मिलित कर दिया जाय और ग्रामीण क्षेत्र में आबादी होने पर व्यक्तिगत प्रयोग के लिये गृह निर्माण उसकी मरम्मत, आधुनिकीकरण या विस्तार या वैकल्पिक ऊर्जा सयंत्र मशीन का क्रय विक्रय और उससे अन्य संबंधित विषयों को इसमें सम्मिलित करने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की मंशा केवल इसी मकसद के साथ है कि बिना टाईटिल डीड के बैंक उसकी कृषि भूमि को मोरगेज करके इन मदों में भी ऋण देने का काम कर सके। मौजूदा शासन कृषकों कि हित में हमेशा से निर्णय लेता रहा है और इससे पहले भी हम इस बात के लिये पक्षधर रहे है कि किस तरह से किसानों को ज्यादा से ज्यादा हम सुविधा देने का काम कर सकें और इस तरफ माननीय हुकुम सिंह जी ने जो कुछ बिन्दुओं की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की वह चाहे ऋण के ब्याज की दर की कमी हो या क्रेडिट कार्ड या सब्सीडरी का सवाल हो समाजवादी पार्टी हमारे मुखिया माननीय मुलायम सिंह जी यादव ने किसानों के हित में हमेशा से उनके पक्ष में निर्णय लेने का काम किया है।

केन्द्र की सरकार भी जब विश्व व्यापार संगठन के दबाव में आकर किसी भी रूप में उस तरह के फैसले लेने की बात करती है जहाँ विकसित मुल्क तरह तरह से सब्सीडरी देने की बात करते हों और विकासशील और अविकसित मुल्कों से हम किसानों पर किस तरह से सब्सीडरी को खत्म करने की बात करदें हमने अपना पक्ष रखा है पार्लियामेन्ट में भी रखा है और एसेम्बली के अन्दर भी हम प्रदेश के किसानों को बढ़ावा देने का अपना मन और मकसद साफ नीयत के साथ रखना चाहते है। इस अध्यादेश को लाने का मकसद यही था कि उत्तर प्रदेश के कृषकों को वह लाभ मिल सके। दूरस्थ के दूर दराज के उन इलाकों में रहने वाले लोगों को जहाँ अभी तक बिजली उपलब्ध नहीं हो पाई है जहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस बात को बढ़ावा दे रही है कि लोग और कृषक वैकल्पिक उर्जा का इस्तेमाल कर सके। उन संयंत्रों पर अगर वह ऋण लेना चाहते हों और वह ऋण बैंक के द्वारा उपलब्ध नही हो पा रहा हो इस मकसद के साथ वह अध्यादेश लाया गया इसमें नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों के साथ कोई भेद भाव नहीं किया गया है इसलिये मेरा मा0 हुकुम सिंह जी से यह अनुरोध है कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करने की बात के प्रस्ताव को वापस लें और इसको पास होने की अनुमति देने का कष्ट करें।

श्री हुकुम सिंह-

मैं अपनी कमी समझता हूँ। शायद मैं अपनी बात समझा नहीं पाया। मेरी कमी रही होगी। यह धारा-2 में जो संशोधन है जो इसमें उल्लेख किया गया है। प्रतिबन्ध यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में आबादी होने पर स्पैसिफिक शब्द है ग्रामीण क्षेत्र में तो यह सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कृषकों को ही उपलब्ध हो पायेगी। नगरीय क्षेत्र में रहने वालों को नहीं हो पायेगी। आप कह रहे हैं कि दोनों क्षेत्रों के लोगों को मिलेगी। आपने तो नहीं किया आपके मन में तो कोई भेदभाव की बात नहीं है। लेकिन यह सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसानों को ही मिल पायेगी। जो कारण आपने बताया कि वहाँ कठिनाई यह होती है कि उनका सेटिलमेंट नहीं हो पाया इसलिये इसको शामिल करने की बात है। बात तो कृषि ऋण की है, कृषि ऋण को परिभाषित करने की है। कि ये आइटम भी कृषि ऋण के रूप में माने जायेंगे। यही तो आपने कहना चाहा है। एक बात आपने उठाई थी अभी। और सही उठाई थी। मेरी भूमिधरी की जमीन गॉव में है वह भूमिधरी दर्ज है आबादी दर्ज नहीं है और मैं वहाँ मकान बनाना चाहता हूँ।

यह जो आपका संशोधन है यह आबादी के लिये है केवल तो अगर मैं उसमें बनाऊँगा तो कैसे सुविधा उपलब्ध हो जायेगी? सीधी बात यह हो जाती है कि कृषक अपनी भूमि में चाहे वह किसी वर्ग की हो। आबादी की हो या कृषि की हो अगर यह बात उसमें आ जाती तो दिक्कत न आती। आप केवल बहुत ही सीमित क्षेत्र के लिये कवर करके लाये है क्योंकि बार-बार यह बैंक की तरफ से दिक्कत आती थी जब तक वहाँ सैटिलमेंट नहीं हुआ उसका मूल्यांकन भी नहीं हुआ जमीन का तो ऋण किस आधार पर दें तो फिर जब यह कर ही रहे थे तो एक पंक्ति बढ़ाने की जरूरत थी कि अपनी भूमि पर अपनी भूमि चाहे कैसी

भी हो आबादी शब्द बढाकर आपने इसको ऐसा कर दिया कि इससे किसी को फायदा होने वाला नहीं। आप कहेगे कि आपने ऐसा कर दिया लेकिन प्रैक्टिकली व्यवहारिकरूप से इसका कोई लाभ होने वाला नहीं। इसलिये मैंने कहा कि दोनों बात इसमें आ जायं कि हर किसान को इसकी सुविधा मिल जाय कृषि ऋण की। चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला हो या नगर में रहने वाला। दूसरा केवल आबादी शब्द बढ़ाकर किसान की निजी जमीन आ जाय जिससे उसको सारी सुविधा मिल जायेगी इसीलिये मैंने आपसे यह कहा था। विरोध करने की बात नहीं है अगर कमी है तो हम नही बतायेंगे तो यहाँ बैठने का क्या फायदा है। हमने सारी समस्या को समझा विश्लेषण किया तब आपके सामने बात रखी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी उत्तर देगें या फिर प्रश्न उपस्थित करें।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें संशोधन का मकसद एग्रीकल्चर, कृषि और कृषि के उद्देश्य जो पहले अधिनियम में उल्लिखित थे उसके अन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान के उपकरण उसकी मरम्मत और आवास से संबंधित उसके मरम्मत और उसका प्राविधान उसमें नहीं था। इस अधिनियम में संशोधन के परिपत्रों को भी इन मदों को भी, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल उद्देश्यों की परिभाषा में परिभाषित करने का है। अब यह कृषि योग्य मद में आ गया तो मैं नहीं समझता उसमें नगरीय ग्रामीण कृषकों के साथ कोई मतभेद करने की बात हो रही है।

श्री हुकुम सिंह-

आबादिक भूमि यह गड़बड़ी थी आबादी शब्द न होता भूमि शब्द होता तब दिक्कत न आती।

श्री संजय गर्ग-

यह इसलिए किया सेटेलमेंट की बात नहीं थी वहां के टाइटल डीड की बात है इसलिए विशेष उल्लेख है . . .

श्री हुकुम सिंह-

किसानों की भूमि जाएगी चाहे वह आबादी में हो चाहे कृषि में हो अगर मेरी भूमिधरी की जमीन है। आबादी की जमीन तो बची नहीं गॉव में। अगर अपनी जमीन है वहां मैं लगाना चाहता हूँ तो आपको क्या दिक्कत है? आशय तो यही है आपने कहा, मैं सहमत हूँ। लेकिन वह आशय रखा रह गया।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) अध्यादेश, 2005 का अननुमोदन करता है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से 3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 2005

उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

(2) यह 13 सितम्बर, 2005 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

2-उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है धारा 2 में खण्ड (क) में स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"प्रतिबन्ध यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि पर व्यक्तिगत प्रयोग के लिये किसी गृह के निर्माण या उसकी मरम्मत, आधुनिकीकरण या विस्तार और गैर परम्परागत या वैकल्पिक ऊर्जा संयंत्र एवं मशीन का क्रय, संग्रह और अर्जन या उससे सम्बन्धित अन्य विषयों को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ कृषि प्रयोजन समझा जाएगा।"

3- (1) उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) अध्यादेश, 2005 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझा जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड 3 तक, खंड एक प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2005 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2005

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2005 का अननुमोदन करता है।

श्री अध्यक्ष-

एक साथ बोलेंगे?

श्री हुकुम सिंह-

जी।

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।) मान्यवर, अभी तक एक परम्परा यह चली आ रही है जितनी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत थी वह रुचि लें या न लें लेकिन माननीय सांसद और माननीय विधायक इसके पदेन सदस्य होते हैं। उसके लाभ तो मैं गिनवा सकता हूँ। नुकसान मेरी समझ में नहीं आते है एक इफेक्ट होता था अगर कभी माननीय विधायक चले जाते थे किसी जिला पंचायत की बैठक में उनकी जानकारी का, उनके अनुभव का लाभ वहाँ उठा सकते थे, जो जनप्रतिनिधि है, अगर भागीदारी उनकी भी जिला पंचायत में बनी रहे। जिला पंचायत बहुत महत्वपूर्ण संस्था है क्योंकि जितने भी विकास से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विभाग है, सबकी अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष करता है। अब जिलाधिकारी भी हट गये है, विकास का सारा काम अब जिला पंचायत से संचालित होगा। इनमें विधायक की भागीदारी बनी रहे, इसमें क्या दिक्कत है? हम यहाँ पर सारे के सारे विकास कार्य की समीक्षा करते है और हमारे क्षेत्र के लोग भी अपेक्षा करते है, केवल विधायक निधि को छोड़कर समस्त बजट जिला पंचायत में जाता है तो फिर क्या करेगा विधायक, क्या वह केवल विधायक निधि को लेकर घूमेगा? इसे अन्यथा न लें, आप इस पर जरूर विचार कर लें। यह जो हमारी बेसिक इकाइयाँ है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, हम चाहते है कि यह मजबूत बनें लेकिन इनका व्यावहारिक स्वरूप क्या होकर आ रहा है? अभी आपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर जवाब दिया, अगर बिल्कुल इनको अखाड़ा बनाना चाह रहे है कि पैसे के बल पर सारा काम हो जाए या शक्ति के आधार पर हो जाए, अगर यह स्वरूप देने की बात है तो वह आ जायेगा। 80 प्रतिशत तो आ ही गया है, 15-20

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रतिशत और आ जायेगा। विधायक के रहने का मतलब यह भी था कि जनप्रतिनिधि का नियन्त्रण रहता था और विधायक जो बात कहता था उसका प्रभाव भी रहता था, लेकिन उसे तो आपने अलग कर दिया।

मान्यवर, मैं एक आर बात बलराम जी से कहना चाहता हूँ आप हमारे जिले का 2-3 साल का आडिट करा लें और यदि वह सामने आ जाए कि सारा का सारा पैसा जो विकास के नाम पर गया, वह कहाँ गया, रोंगटे खड़े हो जायेंगे। मैं चाहता हूँ कि 2,4,5 जिला पंचायतों का चयन करके उसका आडिट हो जाए, सारी सच्चाई सामने आ जायेगी। 150 करोड़ का जो बजट आना है तो बोली उसी आधार पर शुरू होंगी। यह सार्वजनिक बात है, कब तक छिपायेंगे? जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव की बात आ रही है, 10 से लेकर 15 तक बोली लगेंगी। मैं इस पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं करूँगा, केवल मैं इस संस्था को बचाने का काम कर रहा हूँ और यह बचेगी तभी जब उनकी भागीदारी विकास के मामले में होगी। आपने एक कदम गलत उठाया कि जो विधायक की भागीदारी को समाप्त कर दिया।

श्री बलराम यादव-

आप पढ़ लें, पदेन सदस्य तो वह रहेंगे ही।

श्री हुकुम सिंह-

हाँ, पदेन रहेंगे, चुने नहीं जायेंगे।

श्री बलराम यादव-

यह संविधान का मामला है।

श्री हुकुम सिंह-

पदेन सदस्य का यह मतलब नहीं है कि वह मत देने वहाँ बैठ जाए। अगर यह डर है कि यह वोट हमारे खिलाफ जाएगा तभी तो उसके ऊपर कोई नियंत्रण रहेगा। मै विधायक हूँ लेकिन विधायक होने के नाते मैं वोट नहीं दे सकता। मैंने इसे पढ़ा है। कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। अगर कोई संवैधानिक रूकावट पैदा होगी तो हम आपके चैम्बर में बैठकर बात करके उसे दूर कर लेंगे।

*श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जो व्यवस्था लाए है ठीक है। "विधेयक में यह कहा गया है कि-क्षेत्र पंचायत का कोई प्रमुख एवं उप प्रमुख तथा जिला पंचायत का कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष यदि सांसद या विधायक हो जाता है तो ऐसी दशा में उसके निर्वाचित होने की घोषणा के तुरन्त पश्चात वह प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर नहीं रह जाएगा"। तो क्या इसमें यह व्यवस्था नहीं हो सकती कि अगर वह दोनों में से किसी पद पर चुन लिया जाता है तो वह इस्तीफा दे दे।'

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, श्री हुकुम सिंह जी ने जो सुझाव दिया है और जो संशोधन लाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति लोक सभा, राज्य सभा, विधान परिषद या विधान सभा का सदस्य निर्वाचित हो जाएगा तो अगर वह पहले जिला पंचायत या किसी क्षेत्र पंचायत तो अगर वह पहले जिला पंचायत या किसी क्षेत्र पंचायत का सदस्य होगा तो वहाँ नहीं रह सकेगा। वह अनहर्य हो जाएगा। केवल इतना ही संशोधन लाया गया है। सांसद और विधायक यह दोनों लोग सभी क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत समितियों के पदेन सदस्य होते है लेकिन 73 वें संविधान संशोधन के बाद जो पहले क्षेत्रीय पंचायत और जिला पंचायतों के पदेन सदस्य के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रूप में हमारे विधायक और सांसदों को माना जाता था, इस संविधान संशोधन के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह पदेन सदस्य नहीं होगें। केवल निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य ही अध्यक्ष हो सकते है। अब निर्वाचित व्यक्ति ही उसके सदस्य होते है। समाजवादी पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में यह उल्लेख किया गया है, हम लोगों ने प्रयास भी किया है कि जो कठिनाई आ रही है और जिनके चलते यह चुनाव महंगे हो रहे है, हमारा प्रयास है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा ही कराये जाय।

[समय 4 बजकर 20 मिनट]

यह आपने प्रस्ताव भेजा था। यह कांस्टीट्यूशनल अमेन्डमेंट के रूप में लोक सभा द्वारा पारित होना था लेकिन किन्हीं कारणों से पारित नहीं हो पाया। संभवत: जितने राज्यों का समर्थन इसे मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। यह सभी दलों के सामने खड़ा है कि किस तरह से प्रणाली में निर्वाचत होंगे। आप भी लोग भिज्ञ है। लेकिन जो संशोधन विधेयक आया है उसमें निर्वाचित होने के बाद अपने पद से कार्य मुक्त माने जायेंगे। जिस दिन विधान सभा, विधान परिषद् या सांसद हो जायेंगे उसके बाद न तो क्षेत्र पंचायत के सदस्य के रूप में या जिला पंचायत सदस्य के रूप से रह सकेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

जो उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के लिए है उसमें यह प्रतिबन्ध है, केवल इलेक्टेड मेम्बर मतदान करेंगे, मैं उससे सहमत हूँ क्योंकि हमारे कार्यकाल में यह संशोधन आया था। लेकिन उसमें यह कहीं नहीं है कि जो सांसद या विधायक है बाकी की कार्यवाही में राइट आफ वोट उनका नहीं होगा। वोटिंग मैम्बर रहने का अधिकार हमारा हो या मेरा कहना है।

श्री बलराम यादव-

पदेन सदस्य तो रहेंगे लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं है। संविधान को दिखवा लूँगा। आपसे भी राय ले लूँगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश पंचायत तथा जिला पंचायत (संशो॰ ॥0 अध्यादेश, 2005 का अनुमोदन करता है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह हैं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक 2005 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन प्रस्तुत करे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 200 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से 3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2005

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 13 सितम्बर, 2005 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

2-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है धारा 27-क में शब्द "प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष" जहां कही भी आये हों, के स्थान पर शब्द "प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य" रख दिये जायेंगे।

3- (1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधयेक के अंग माने जायें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री हुकुम सिंह-

कम से कम जो विधेयक आना है उसकी एक कापी तो हमको मिल ही जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

अभी मिल जायेगी।

अब हम मद संख्या-17 लेते हैं।

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि भारत के स्वंतत्रता संग्राम आन्दोलन के इतिहास में चौकीदार चपाती आन्दोलन के अप्रतिम संघर्ष के इतिहास को अंकित किया जाय" विषयक श्री श्याम लाल रावत द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा का स्थगन

*श्री श्याम लाल रावत-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलन के इतिहास में 'चौकीदार चपाती' आन्दोलन के अप्रतिम संघर्ष के इतिहास को अंकित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

आप इसको प्रस्तुत कर चुके है। आप इस पर कुछ बोलना चाहेगें?

श्री श्याम लाल रावत-

मान्यवर, यह प्रस्ताव आपने स्वीकृत किया है। यह प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ प्रकरण है और आठ अगस्त को मान्यवर, आपने स्वीकृत किया था, उस समय आपने समय दिया था एक घण्टे का और आज आपने जो समय दिया है वह आधे घण्टे का है।*

श्री अध्यक्ष-

तो आप बात कर लें, आगे फिर हो जायेगा। आज समय कम है, इस पर चर्चा जारी रहेगी।

"इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर अविलम्ब प्रभावी रोक लगायी जाय" के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा का स्थगन+

श्री अध्यक्ष-

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने अपना स्थगित करने के लिए प्रस्ताव दिया है, इसलिए मद संख्या 18 को स्थगित कर दे रहा हूँ।

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों एवं वैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भाँति अवैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष कर दी जाय"के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा का स्थगन+

श्री अध्यक्ष-

नियम-103 के अन्तर्गत श्री प्रमोद कुमार, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा रहेगी।

*श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, जब वैतनिक को मिल रहा है तो अवैतनिक को भी वह मिलना चाहिए।

+ दिनांक 8 अगस्त, 2005 की कार्यवाही से।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, चर्चा जारी रखिये, आगे देखेगें जो भी होगा।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005+

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक करा लें अभी, अगर आप कहें तो।

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

मान्यवर, इजाजत है, पास करा दीजिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक के बिना रख तो सकते है, लेकिन पारित नहीं कर सकते है।

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

आ गये [x x x] आ गये, वह भी बहुत ज्ञानी था और आप भी बहुत पण्डित हैं।

श्री अध्यक्ष-

इसको कल पारित करायें। बिना कार्य-मंत्रणा समिति के प्रस्ताव के इसमें नहीं आ पायेगा। अगर इसे आप कल करा लें तो ठीक रहेगा।

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

मान्यवर, मरता क्या नही करता। जैसा आप चाहें।

श्री अध्यक्ष-

अब नियम-51 की सूचना पढते हैं, कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक अभी बुलाता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 23 नवम्बर, 2005 को नियम-51 के अंतर्गत कुल 44 सूचनाएं प्राप्त हुई :-

पहली सूचना श्री हुकुम सिंह की जो जनपद मुजफ्फरनगर के तहसील कैराना के ग्राम ईसापुर खुरगान की लगभग दो हजार बीघा सरकारी जमीन पर भू-भाफिओं द्वारा अनधिकृत कब्जा किए जाने के

+ दिनांक 30.11.2005 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

नोट :[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी दूसरी सूचना श्री रणवीर राणा की जो जनपद लखनऊ के थाना माल में तैनात पुलिस कर्मियों/थानाध्यक्ष द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। तीसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की जो विधान सभा क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास निधि से राजकीय जिला चिकित्सालय, मेडिकल कालेज, शासन से अनुदानित महाविद्यालयों को धन उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था किए जाने के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। चौथी सूचना डा0 अजय कुमार की जो प्रदेश के गन्ना किसानों को चीनी के दाम को दृष्टिगत रखते हुए चालू पेराई सत्र में गन्ना मूल्य 140 रूपये प्रति क्विंटल किए जाने के संबंध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। पॉचवी सूचना श्री मदन चौहान की जो जनपद गाजियाबाद के सिंभावली शुगर मिल द्वारा प्रदूषित गंदे पानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। छठी सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जो जनपद आगरा शहर में विभिन्न सड़कों एवं प्रमुख स्थानों पर किए गए अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। सातवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की जो जनपद आगरा शहर में विभिन्न सड़कों एवं प्रमुख स्थानों पर किए गए अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। सातवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की जो जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज में वर्ष 2004 में सूखा से प्रभावित किसानों को राहत वितरण में धांधली किए जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। आठवीं सूचना श्री मुकुल उपाध्याय की जो जनपद अलीगढ़ के इगलास क्षेत्रान्तर्गत विद्युत सप्लाई शासन के अनुरूप न दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। नवीं सूचना श्री रामकरन आर्य की जो जनपद बस्ती में लखनऊ-गोरखपुर क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। दसवीं सूचना श्री राम कृपाल की जो जनपद इलाहाबाद के मेजा क्षेत्र में सूखे से प्रभावित ग्रामों में काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम चालू कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। ग्यारहवीं सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की जो प्रदेश के सैकडो इण्टरमीडिएट कालेजों में कार्यरत व्यासायिक शिक्षकों को प्रवक्ता पद एवं वेतनमान में विनियमित किए जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। बारहवीं सूचना श्री मस्तराम की जो जनपद उन्नाव के विकास खण्ड औरास के ग्रामों में विद्युत तारों की चोरी एवं विद्युत आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। तेरहवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह की जो जनपद बरेली के आंवला विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत रामगंगा नदी की बाढ़ की चपेट में में आये ग्रामों के किसानों की ऋण माफी एवं बुआई हेतु गेहूं बीज व खाद की व्यवस्था किए जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई:-

1. श्री उदयभान करवरिया
2. श्री आलम बदी
3. श्री द्वारिका प्रसाद
4. प्रो0 रवीन्द्र पुण्डीर
5. श्री दद्दू प्रसाद
6. श्री लालजी वर्मा
7. श्री स्वामी प्रसाद मौर्य
8. श्री बाबू लाल कुशवाहा
9. श्री रामहेत भारती
10. श्री अलगू प्रसाद चौहान
11. श्री प्रेम सिंह
12. श्री पूर्णमासी देहाती
13. श्री राम इकबाल सिंह
14. श्री नरेन्द्र शिशौदिया
15. श्री प्रागी लाल अहिरवार
16. श्री ओम प्रकाश पाण्डेय

17. डा0 राम बाबू हरित
18. श्री राम किशुन
19. श्री जियाउद्दीन रिजवी
20. श्री बीजू पटनायक
21. श्री राम विशुन आजाद
22. चौधरी धूराम लोधी
23. श्रीमती विद्या चौधरी
24. श्री सुरेन्द्र कुमार मुन्नी
25. श्री आर0के0 सिंह
26. श्री कौशल किशोर
27. डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल
28. डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा
29. श्री जगदीश नारायण राय
30. श्री मुन्शी लाल गौतम
31. श्री प्रभु दयाल बाल्मीकि

अब उठते हैं, कल पूर्वाहन 11.00 बजे पुन: बैठेंगे।

(इसके बाद सन का उपवेशन 04 बजकर 33 मिनट पर अगले दिन 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:

दिनांक 23 नवम्बर, 2005

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0स0 24 उत्तर पीछे पृष्ठ 66 पर ।)

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या-24 संलग्न।

क्र0 सं0	सामु0/ प्राथमिक केन्द्र	वर्ष 2003-04 में व्यय	वर्ष 2004-05 में व्यय	वर्ष 2005-06 में व्यय (जुलाई 05 तक)	कुल व्यय
1-	सिधौली	482855	767603	463816	1714274
2-	पुवायॉ	557077	763872	480712	1790044
3-	वण्डा	580310	831286	469095	1892308
4-	खुटार	455948	62867	401020	1485639
5-	भावलखेड़ा	603188	884875	556910	2044973
6-	निगोही	530440	778749	475387	1784576
7-	तिलहर	599196	869118	616519	2084833
8-	खुदागंज	564245	808655	519525	1892425
9-	जैतीपुर	484180	596097	446423	1526700
10-	ददरौल	520387	747528	475614	1743529
11-	कॉठ	592256	870853	526751	1989860
12-	जलालाबाद	673780	926758	703873	2304411
13-	मिर्जापुर	468683	670098	444463	1583244
14-	कलान	496454	709120	463631	1669205
15-	नगर क्षेत्र	4118955	5418495	2827673	12365123
	योग कुल व्यय	11727954	16271778	9871412	37871144
	समर्पित धनराशि	761638	786975	463542	2012155
	जनपद को प्राप्त कुल आवंटन	12489592	17058753	10334954	39883299

पल्स पोलियो अभियान वर्ष 2003-04 में प्राप्त धनराशि/व्यय धनराशि का विवरण

जनपद-शाहजहॉपुर

क्र0सं0	अभियान का माह	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	समर्पित धनराशि
1.	अप्रैल,2003	2179246	2056627	122619
2.	जून, 2003	2024600	1948260	76340
3.	सितम्बर,2003	2152199	1977342	174857
4.	नवम्बर,2003	2065356	1953898	111458
5.	जनवरी,2004	2043352	1947072	96280
6.	फरवरी,2004	2024839	1844755	180084
	योग	12489592	11727954	761638

पल्स पोलियो अभियान वर्ष 2004-05 में प्राप्त धनराशि/व्यय धनराशि का विवरण

जनपद-शाहजहाँपुर

क्र0सं0	अभियान का माह	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	समर्पित धनराशि
1.	अप्रैल,2004	2059906	1907879	152027
2.	मई, 2004	2132851	2091513	41338
3.	जुलाई,2004	1935048	1831856	103192
4.	अगस्त,2004	1926678	1913820	12858
5.	अक्टूबर,2004	2170198	2023186	147012
6.	नवम्बर,2004	2095896	2014764	81132
7.	जनवरी,2005	2376233	2182975	193218
8.	फरवरी,2005	2361943	2305785	56118
	योग	17058753	16271778	786975

पल्स पोलियो अभियान वर्ष 2005-06 में प्राप्त धनराशि/व्यय धनराशि का विवरण

जनपद-शाहजहाँपुर

क्र0सं0	अभियान का माह	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	समर्पित धनराशि
1.	अप्रैल,2005	2603752	2331267	272485
2.	मई, 2005	2420152	2391418	28734
3.	जून,2005	2719882	2639469	80413
4.	जुलाई,2005	2591168	2509258	81910
	योग	10334954	9871412	463542

	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	समर्पित धनराशि
कुल योग वर्ष 2003-04 + 2004-05 + 2005-06	39883299	37871144	2012155

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 67 पर।)

उ0प्र0राज्य कुष्ठ समिति द्वारा जिला कुष्ठ समिति शाहजहाँपुर को प्रदत्त फण्ड्स एवं जिला कुष्ठ समिति शाहजहाँपुर द्वारा व्यय धनराशि

(धनराशि रू0 में)

प्रदत्त धनराशि					व्यय धनराशि					
वित्तीय वर्ष 2002-03	वित्तीय वर्ष 2003-04	वित्तीय वर्ष 2004-05	वित्तीय वर्ष 2005-06	योग	मद	वित्तीय वर्ष 2002-03	वित्तीय वर्ष 2003-04	वित्तीय वर्ष 2004-05	वित्तीय वर्ष 2005-06 दि.31.7.05	योग
3727725	2030000	386174	0	6143899	प्रचार-प्रसार	2926.80	4425.00	56000.00	31353.00	94704.80
					विशेष अभियान	966729.00	0.00	511925.00	0.00	1478654.00
					पोफेसनल सर्विस	8400.00	4320.00	7626.00	3306.00	23652.00
					कन्सल्टैण्ट			840.00	0.00	840.00
					संविदा स्टाफ	2068386.00	1620753.00	389847.00	16007.00	4094993.00
					वाहन व्यय	31708.00	53291.65	119569.00	19020.00	223589.35
					कार्यालय व्यय	2014.00	2401.00	23938.00	2656.00	31059.00
					कन्ज्यमेविलस	21699.00	6348.60	58975.00	702.00	87724.60
					दवा		50966.00	7972.00	0.00	58938.00
					मैटेरियल तथा सप्लाई		32401.00	31462.00	1202.00	65065.00

प्रदत्त धनराशि					व्यय धनराशि					
वित्तीय वर्ष 2002-03	वित्तीय वर्ष 2003-04	वित्तीय वर्ष 2004-05	वित्तीय वर्ष 2005-06	योग	मद	वित्तीय वर्ष 2002-03	वित्तीय वर्ष 2003-04	वित्तीय वर्ष 2004-05	वित्तीय वर्ष 2005-06 दि.31.7.05	योग
					ट्रेनिंग तथा वर्कशाप		7344.00	214390.00	0.00	221734.00
					अन्य		50.00	10078.00	28.00	10156.00
3727725	2030000	386174	0	6143899	योग	3101863.50	1782300.25	1432672.00	74274.00	6391109.75

(आर0एस0दिवाकर)
राज्य कुष्ठ अधिकारी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 50 का उत्तर पीछे पृष्ठ 77 पर।)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-सीयर जनपद बलिया में नियुक्त चिकित्सक एवं अन्य अधिकारियों की सूची :-

क्रमांक	नाम	पद	तैनात की तिथि
1.	डा0के0के0 कौशिक	चिकित्साधिकारी	01.06.2004
2.	डा0वशीमुद्दीन जमाली	,,	30.07.2004
3.	डा0माधुरी सिंह	,,	30.07.2004
4.	डा0एस0के0चौबे	,,	13.07.2004
5.	श्री विष्णु प्रसाद	फार्मासिस्ट	03.10.2003
6.	श्री चन्द्रभान यादव	वार्ड ब्याय	21.12.2000
7.	--	नर्स	
8.	श्रीमती सोममती देवी	वी0एच0डब्लयू0(महिला)	10.04.1981
9.	,, कान्ती यादव	,,	01.07.1979
10.	,, चन्द्रदेई देवी	,,	20.03.1984
11.	,, लीलावती देवी	,,	01.08.1999
12.	,, लालबच्ची देवी	,,	29.05.1989
13.	,, जयवन्ती देवी	,,	21.02.1975
14.	,, सुभावती देवी	,,	01.07.1976
15.	,, शारदा देवी	,,	18.07.1992
16.	,, सुशीला देवी	,,	01.08.1996
17.	,, ऊषा देवी	,,	01.07.1987
18.	,, विमला देवी	,,	09.02.1988
19.	,, विद्यावती देवी	,,	01.07.1992
20.	,, शिवकुमारी देवी	,,	18.07.1992
21.	,, शैल कुमारी दुबे	,,	01.11.1988
22.	,, लीलावती देवी	,,	01.09.1996
23.	,, भानुमती देवी	,,	01.06.1987
24.	,, कुसुम सिंह	,,	21.07,1992
25.	,, सावित्री देवी	,,	07.04.1983
26.	,, विमला सिंह	,,	23.06.1985
27.	,, भगवानी देवी	,,	04.06.1986
28.	,, गिरजा शर्मा	,,	22.08.1982
29.	,, निर्मला सिंह	,,	17.07.1988
30.	,, माया कुमारी	,,	12.06.1986
31.	,, रमावती देवी	,,	16.06.1986

उत्तर प्रदेश विधान सभा

32.	श्रीमती किरन गुप्ता	वी0एच0डब्ल्यू0(महिला)	12.12.1988
33.	,, ज्ञानी देवी	,,	09.02.1987
34.	,, आशा देवी	,,	01.07.1987
35.	,, विमला देवी	,,	18.06.1992
36.	,, सुमन पाण्डेय	,,	06.02.1988
37.	,, सितारा पाण्डेय	,,	01.08.1995

उत्तर प्रदेश विधान सभा